चतुर्थ माला, खंड 21, अंक 1 — सोमवार, 11 नवम्बर, 1968/कार्तिक 20, 1890 (शक)

Fourth Series, Vol. XXI, No. 1 — Monday, November 11, 1968/Kartika 20, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया — *Price : One Rupee*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1–सोमवार, 11 नवम्बर, 1968/20 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 1—Monday, November 11, 1968/Kartika 20, 1890 (Saka)

	सदस्यों की सूची	Alphabetical List of Members XIX	
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1-3

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1	मीठापुर में टाटा उर्वरक उद्योग समूह	Tata Fertilizer Complex at Mithapur...	4–9
2	आसाम में गैस का उत्पादन	Gas Production in Assam	9–14
3	खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in Gulf of Combay ..	14–19
4	उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers	19–20
5	छोटा परिवार आदर्श समिति का प्रतिवेदन	Small Family Norm Committee's Report ...	20–22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.			
6	सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता, कोचीन	Assistant Collector of Customs, Cochin ..	22–23
7	आसाम में कोपिली परियोजना का स्थान	Site for Kopili Project in Assam	23
8	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened Strike by LIC Employees... ...	23
9	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	Messrs Dodsal (P) Ltd.	24

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
10	तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करारों का पुनरीक्षण	Revision of Refinery Pacts	24–25
11	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रचार गाड़ियां	Publicity Trains for family Planning Programme	25
12	कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के कार्यालय में संगणक	Computors in LIC Office at Calcutta... ...	25–26
13	गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद	Narmada Water dispute between Gujarat and Madhya Pradesh	26
14	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मे-सियूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. ...	26-27
15	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दौरे के दौरान भत्ते	Allowance to Central Government Employees while on Tour	27–28
16	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाएं	Civil Amenities in Unauthorised colonies in Delhi	28
17	पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal	28–29
18	सुखे तथा बाढ़ सहायता के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for drought and flood relief	29–30
19	गण्डक परियोजना	Gandak Project	30–31
20	यात्रा अभिकरणों के कार्या-लयों पर छापा	Raids on Offices of Travel Agencies	31
21	अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude	31–32
22	विटामिन 'सी' का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Vitamin 'C' ...	32–33
23	नेपाल के साथ लगने वाली पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर माल की तस्करी	Smuggling of goods on West Bengal and Bihar Borders with Nepal	33

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

24	'पेट्रियाट' द्वारा प्राप्त किया गया धन	Donations received by Patriot	34
25	तस्कर व्यापार में वृद्धि	Increase in Smuggling	34
26	राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए सहायता	Assistance for Water Supply in Famine Hit areas of Rajasthan	34–35
27	आसाम को सहायता	Assistance to Assam	35
28	नर्सों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Nurses enquiry commission's Report... ...	35-36
29	खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले	Food Adulteration Cases	36
30	गंगा नदी के पानी के दूषित होने के बारे में जांच	Enquiry into Pollution of Ganges Water ..	36

अता. प्र. सं. /U. S. Q. Nos.

1	क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी	C. P. W. D. staff on field duty	36–37
2	मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Madhya Pradesh ...	37
3	मध्य प्रदेश में गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Madhya Pradesh ...	37–38
4	यूनाईटेड प्राविंसेस कमर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	United Provinces Commercial corporation (P) Ltd.	38
5	जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन	Forced Vasectomy Operations	38–39
6	क्लोरोटेटरासाइक्लीन प्लांट का आयात	Import of Chlorotetracycline Plant	39

7	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceutieals	39-40
8	मैसूर में मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	Scheduled Castes/Scheduled Tribes Students studying post matric classes in Mysore ...	40-41
9	मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarship for Post-matric classes	41
10	आय-कर सम्बन्धी अपीलें	Income tax appeals	41-42
11	उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत आय-कर सम्बन्धी अपीलें	Income-tax appeals dec decided by Sup reme Court	42
12	चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता की सम्भावनायें	Prospects for Foreign aid for Fourth Plan ...	42-43
13	नेफ्था और मिट्टी के तेल का उत्पादन	Production of Naptha and Kerosene	43
14	अनुसन्धान तथा विकास विभाग, सिंदरी	Research and Development Division, Sindri...	43-44
15	सिंदरी उर्वरक कारखाना का वैज्ञानिकन	Rationalisation of Sindri Fertilizer Factory ..	44
16	केरल में कल्लाड़ा, कुटियादी और पाजहेसी परियोजनाएं	Kalkade, Kuttiyadi and Pazhessi Projects in Kerala	45
17	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Report of Russian Experts on ONGC	45-45
18	गंगा से अधिक जल प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान की मांग	Demand by Pakistan for increased Water Supply from Ganges ...	46

19	मिट्टी के तेल में रसायनिक तत्व (एजैन्ट)	Chemical Marking Agent in Kerosene Oil	46-47
20	आय–कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears ..	47-48
21	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	48
22	राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Aid given to States	49
24	श्री कान्तिलाल देसाई और श्रीमती पद्मा देसाई की आय	Incomes of Shri Kanti Lal Desai and Shrimati Padma Desai ...	49
25	आगरा जिले में ट्रांसफार्मरों की चोरी	Theft of Transformers in Agra District	49-50
26	दक्षिण वियतनाम को अस्फाल्ट का निर्यात	Export of Asphalt to South Vietnam...	50
27	मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल के कार्यालयों से पकड़े गये कागजात	Documents seized from Offices of M/s. Amirchand Pyarelal ...	50-51
28	डालमियां जैन ग्रुप की कुछ कम्पनियों पर कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from certain Dalmia Jain Group of Companies	51-52
29	परिवार नियोजन पखवाड़ा	Family Planning Fortnight	52-53
30	व्यास परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Beas Project...	53
31	पंजाब के जिलों में मलेरिया	Malaria in Punjab Districts	53-54
32	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	National Building Construction corporation Ltd.	54-55
33	विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिये विधेयक	Draft Bill for raising Marriageable Age ...	55-56

35	कीमतों में वृद्धि	Rise in prices	56–57
36	पैट्रोल और डीजल से प्राप्त होने वाले राजस्व में गुजरात राज्य का हिस्सा	Sharing of Revenue from Petrol and Diesel by Gujarat State	57–58
37	गुजरात में परिवार नियोजन आपरेशन	Family Planning Operations in Gujarat ...	58
38	गुजरात में आवास योजनायें	Housing Scheme in Gujarat	58–59
39	गुजरात के कैंरा जिले के आय कर दाता	Income-tax payers in Kaira District ...	59
40	राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्री सम्मेलन	Conference of Commonwealth Finance Ministers	59–60
41	आय-कर भुगतान के प्रमाण पत्र का जारी किया जाना	Issue of Income Tax Clearance Certificate ...	6
42	इर्विन अस्पताल (दिल्ली) में श्री रामकृष्ण जैन की मृत्यु	Death of Shri Ram Krishan Jain in Irwin Hospital (Delhi)	60-61
43	दिल्ली वृहद् योजना	Master Plan of Delhi	61
44	राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Commonwealth Finance Ministers	61-62
46	राजस्थान में पीने के पानी की कमी	Scarcity of Drinking water in Rajastan ...	62
47	खम्भात त्र क्षेमें 'ड्रिलिंग'	Drilling in Cambay Region	62–63
49	अमींचन्द प्यारे लाल तथा सम्बद्ध फर्मों से इस्पात के सौदों के बारे में राजस्व आसूचना विभाग का प्रतिवेदन	Report of Revenue Intelligence on Steel Transaction with M/s. Aminchand Pyarelal and Allied Concerns	63–64

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

50	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप व्यय	Expenditure Incurred on Second Pay Commission	64
52	राज्यों द्वारा अनुदानों को निश्चित प्रयोजनों को छोड़ अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया जाना	Diversion of Grants by States for other than specified purposes	64
53	दस रुपये के नोट	Ten Rupees Notes	64-65
54	मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा द्वारा निकल पाउडर का आयात	Import of Nickel Powder by M/s Sarabhai Merck of Baroda	65
55	मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा द्वारा विटामिन 'सी' के संयंत्र की क्षमता का विस्तार	Expension of Vitamin 'C' Plant Capacity of M/s Sarabhai Marck of Baroda	65–66
56	तामिलनाड़ के मुख्य मंत्री को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Tamilnad Chief Minister	66
57	कोयना बिजली घर पर भूकम्प का प्रभाव	Effect of Earthquakes on Koyna Power Station	66–67
58	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programmes	68
60	'लिंक' तथा 'पेट्रियाट'	Link and Patriot	68
62	उत्तर प्रदेश पन बिजली विभाग के कार्यकारी इंजिनियर के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Executive Engineer, Hydel Department, U. P.	68–69
63	बम्बई में तस्करी से लाये गये सूती वस्त्र आदि का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled textile goods in Bombay	69
64	दिल्ली प्रशासन के लिये नर्सिंग परिषद् की स्थापना	Setting-up of Nursing Council for Delhi Administration	69-70

65	पूर्वी कोसा नहर क्षेत्र के बारे में कनाडा सरकार की सिफारिश	Recommendation by Canadian Government on Eastern Kosi Canal Area	70
66	नाइलोन के पैराशूट का कपड़ा	Nylon Parachute Cloth ..	70-71
67	यात्री चैकों में जालसाजी	Recket in Traveller Cheques ..	71
68	विदेशी मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल, स्कूल और अन्य संस्थायें	Hospitals, Schools and other Institutions run by Foreign Missionaries	71-72
69	स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान	Grants to Voluntary Organisation ..	72
70	आयल इंडिया लिमिटेड	Oil, India, Ltd.	72-73
71	विश्व बैंक द्वारा भारत को सहायता	World Bank Assistance to India ...	73
72	महानदी बेसिन में खोज कार्य	Oil Exploration work in Mahanadi ..	73-74
73	ओवरसियरों (सेक्शनल अफसरों) (सिविल) की पदोन्नति	Promotion of Sectional Officers (Civil) ..	74-75
74	होटलों के 'बिलों' का विदेशी मुद्रा में भुगतान	Payment of Hotal Bills in Foreign Exchange	75
75	केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलेक्टरेट दिल्ली	Central Excise and customs Collectorate Delhi ...	75-76
76	उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्र द्वारा धन का नियतन	Central Allocation to U. P. ..	76
77	उत्तर प्रदेश में सुनारों को सहायता	Assistance to Goldsmiths in U. P.	76
78	काला धन	Unaccounted Money	76-77
79	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchange Violation cases	77

अता. प्र. संख्या./U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
80	बीमा सम्बन्धी दावे	Insurance Claims ...	77-78
82	उड़ीसा में बड़ी और मध्यम परियोजनायें	Major and medium projects in Orissa.. ...	78
83	खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के सम्बन्ध में जापानी विशेषज्ञों का दौरा	Visit of Japanese Experts in connection with Oil Exploration in Cambay Gulf	78-79
84	दिल्ली के अस्पतालों का कार्य-संचालन	Working of Delhi Hospital	79
85	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to S. C. and S. T. Students ..	79-80
86	कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Rates of Electricity for Agricultural purposes	80
87	नई दिल्ली में योगाश्रम तथा फीरोज गांधी स्मारक को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Yogashrama and Feroze Gandhi Memorial in New Delhi	80-81
88	दिल्ली में तपेदिक के मामले	T. B. Cases in Delhi	81
89	बाढ़	Floods	81-82
90	उत्तर प्रदेश में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in rates of Electricity or Agricultural purpose in U. P.	82
91	जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Life Insuranee Corporation	83
92	हिसार के एक वकील द्वारा स्थापित फर्जी फर्मे	Ghost Firms set up by an Advocate of Hissar	83
94	वित्त मंत्री की ब्रिटेन और अमरीका की यात्रा	Finance Minister's visit to U. K. and USA ...	84-85

95	राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन	State Health Minister's Conference	85-86
96	गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर पर सामाजिक निर्योग्यता निवारण	Wiping out of social disabilities in Gandhi Centenary Year	86
97	बिहार में गंगा के किनारे पर बरुआ बांध	Barua Bund on Ganges Bank in Bihar ...	86-87
98	लाकवा तथा रुद्रसागर से अशोधित तेल की ढुलाई	Transportation of Crude from Lakwa and Rudrasagar	87
99	रसायनों के उत्पादन का लक्ष्य	Target for production of Chemicals ... –	88
100	तरल पेट्रोलियम गैस का वितरण	Distribution of liquid petroleum Gas... ...	88
101	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. –	89
102	इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज द्वारा कानपुर उर्वरक कारखाने के लिये ली गई फीस	Fees charged by ICI for Kanpur Fertilizer Plant ... –	90
103	डायर मेकिन मोहन उद्योग समूह द्वारा आयकर का अपवंचन	Income tax evasion by Dyre Meaken Mohan Group of Industries	90
104	बिहार के लिये 1968-69 की वार्षिक योजना	1968-69 Annual Plan for Bihar	90-91
105	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsals (P) Ltd.	91
106	अन्तर्राज्यीय बिजली ग्रिड प्रणाल	Inter-State Electric Grid System	91-92

107	गांधी सागर तथा प्रताप सागर बांधों से बिजली की सप्लाई	Power Supply from Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar Dams	92
108	बिहार की प्रति व्यक्ति आय	Per-capita Income of Bihar	92-93
109	बरौनी तेल शोधन कारखाना	Barauni Refinery ..	93–94
110	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees ..	94
111	टाइप 2 के सरकारी क्वार्टर	Govt. accommodation of type II quarters ...	94-95
112	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees ..	95
113	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees ...	95
114	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के दौरान हुई हानि	Amount of loss during the recent Central Government employees	96
115	जीवन बीमा निगम तथा रिजर्व बैंक के ऋण	L. I. C. and Reserve Bank loans	96
116	कोयला आधारित उर्वरक कारखाने	Coal Based Fertilizer Plants	97
117	गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for slum Clearance Schemes	97
118	तीन मूर्ति भवन से नेहरू संग्राहल का हटाया जाना	Shifting of Nehru Museum from Teen Murti Bhavan	97–98
119	मंत्रियों के बंगलों का नवीकरण	Renovation of Ministers' Bungalows	98
120	पालम पर सोने का पकड़ा जाना	Recovery of Gold at Palam	98

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. सं./U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
121	भूतपूर्व संसद्-सदस्यों तथा भूत-पूर्व मंत्रियों से किराये की वसूली	Recovery of rent from Ex-M.Ps. and Ex-Ministers	98-99
122	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Central Government Employees ..	99
123	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Scheduled Castes	100
124	बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगाना	Chhotanagpur and Santhal Praganas of Bihar	100-101
125	उत्तर प्रदेश में नल-कूप	Tube-wells in U. P.	101
126	ईरान के सहयोग से तरल अमोनिया का निर्माण	Manufacturing of Liquid Ammonia in collaboration with Iran	101-102
127	भारत सहयता सार्थ संघ से सहायता मिलने की सम्भावनायें	Aid prospects from Aid India Consortium ..	102
128	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	102-103
129	आयल इंडिया लिमिटेड	Oil India Ltd.	103-104
130	नये उर्वरक कारखाने	New Fertilizer Plants	104
131	नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम में एक ईसाई धर्म-प्रचार स्कूल को भूमि का नियतन	Allotment of Land to a Missionary School in R. K. Puram, New Delhi	104-105
132	विकलांग लड़के और लड़कियों को रोजगार	Employment to Physically Handicapped Boys and Girls	105
133	दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती सफाई विभाग का दिल्ली विकास प्राधिकार को हस्तांतरण	Transfer of Slum Clearance Department of DMC to DDA	105-106

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता.प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
134	दिल्ली के इर्द-गिर्द के गांवों के लिये नागरिक सुविधायें	Civil Amenities to Villages around Delhi ...	106
135	शैक्षिक साधन केन्द्र (एजूकेशनल रिसोर्सिज सेंटर) नई दिल्ली द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by Educational Resources Centre, New Delhi	106-107
136	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध जांच	Inquiry against Managing Director, FACT ...	107-103
137	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली के औषधालयों में अत्यावश्यक औषधियों का न दिया जाना	Non Supply of Essential Medicines in C.G.H.S. Dispensaries, Delhi	108
138	छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students	109
139	भारतियों के विदेशों में बैंकों में खाते	Indians having Bank Accounts Abroad ...	109-110
140	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वाटरों का नियतन	Government Accommodation for Central Government Employees	110-111
141	समवायों का विज्ञापनों और अतिथि-गृहों पर व्यय	Expenditure incurred on Advertisements and Guest houses by Companies	111
142	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	111-112
143	रेडक्रास संस्था को मैसूर में टुमकुर स्वास्थ्य संस्था को चलाने के लिये सहायता	Assistance to Red Cross Society to run Tumkur Health Institute in Mysore ..	112
144	आल इंन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, बंगलौर	All India Institute of Mental Health, Bangalore ...	112-113

145	बम्बई तथा कोटा में उद्योगों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Power Supply to Industries in Bombay and Kotah	113
146	धार्मिक सम्प्रदाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme among Religious Communities	113-114
147	मैसर्स गुरुसम फैक्टरी तथा झुनझुनवाला जारविस लिमिटेड की स्थापना	Establishment of M/s Gurusum Factory and Jhunjhunwala Jarvis Ltd.	114
148	मैसर्स ओरिएण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	114-115
149	मैसर्स गंडूराम एंड संज तथा मैसर्स झुनझुन वाला परिवार न्यास की स्थापना	Establishment of M/s Gandu Ram and Sons and M/s Jhunjhunwala Family Trust ...	115
150	मैसर्स रेयन पल्प मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	M/s Rayon Plup Manufacturing Company ...	116
151	कलकत्ता नगर	Calcutta City	116-117
152	गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाएं	Slum Clearance Schemes	117
153	मध्य प्रदेश में गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना	Slum clearance and improvement schemes in Madhya Pradesh	118
154	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र	Maternity and Child Welfare Centres in Faizabad District Uttar Pradesh	118
155	उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले की सामाजिक संस्थाएं	Social Institutes of Faizabad District of U.P.	118-119
156	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति	Replacement of Foreign Experts in ONGC ...	119

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
157	अन्नपूर्णा जल–पान गृह, जनपथ, नई दिल्ली	Annapurana Restaurant, Janpath, New Delhi	119-120
158	मध्य प्रदेश में नगर आयोजन योजनाओं के अन्तर्गत बृहत योजनाएं	Master Plants under Town Planning Scheme in Madhya Pradesh	120-121
159	सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी	Government Employees in Public Undertakings	121
160	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश	Investment of Capital by Indians living Abroad	122
161	बाढ़ नियंत्रण के लिये क्षेत्रीय नदी ग्रिड व्यवस्था	Regional River Grid System to Control Floods	123
162	राजस्थान नहर के पोंग बांध के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Evacuees of Pong Dam on Rajasthan Canal	123-124
163	करों की वसूली	Realisation of Taxas	124-125
164	गोरखपुर के गांवों के निवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Residents of Gorakhpur Villages	125
165	समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी	Employees working in Department of Social Welfare	125
166	ग्राम्य गृह-निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation for Rural Housing Schemes ...	125-126
167	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर के व्यवस्थापकों से कर्मचारियों की मांगें	Worker's Demand on the Management of Fertilizer Factory, Gorakhpur	126
168	बिहार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Bihar ...	126
169	दक्षिण पटना का विकास	Development of South Patna	127
170	बरौनी उर्वरक कारखाना, बिहार के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Barauni Fertilizer Factory, Bihar	127

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
172	दिल्ली में संक्रामक रोगों का अस्पताल	Infectious Diseases Hospital, Delhi	127–128
173	चाय पर उत्पादन शुल्क तथा निर्यात शुल्क	Excise and Export duty on Tea	128
174	बाढ़ के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षति	Damage to Barauni Oil Refinery due to Floods	128–129
175	विलिंग्डन अस्पताल (नई-दिल्ली) में ट्यूबेक्टोमी और बसेक्टोमी आपरेशनों की व्यवस्था	Arrangement for Tubectomy and Vesectomy operations in Willingdon Hospital, New Delhi	129–130
176	मद्य निषेध	Prohibition	130–131
177	सरकारी ऋण	Government Loans	131–132
178	विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for various Housing Schemes	132–133
179	सिंचाई की क्षमता	Irrigation Potentialities	133-134
180	फाइलेरिया	Filaria	134
181	भाखड़ा बिजली घर में दोषपूर्ण 'टरबाइन रनर'	Defective Turbine Runners in Bhakra Power Houses	134–135
182	इस्पात के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Importing Steel ...	135
183	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	135–137
184	नेपाल से भारत को किसी तीसरे देश के माल की तस्करी	Smuggling of Third Country goods from Nepal to India	137–138
185	राज्यों को सहायता	Assistance to States	138–139
186	समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन	Social Welfare Ministers Conference	139

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
187	पंचनदी परियोजना	Panch River Project	139–140
188	एक डच महिला द्वारा भारत में कोढ़-निरोध कार्य के लिये दान	Donation by a Dutch Woman for Anti leprosy work in India ...	140–141
189	राज्यों में बिजली की दरें	Electricity Rates in States	141
190	कुछ वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से छूट	Exemption of certain goods from Excise Duty	141–142
191	उत्तर प्रदेश में अफीम का अवैध व्यापार	Illegal Business of Opium in U. P.	142–143
192	गैर-सरकारी तथा सहकारी उद्योगों के लिये ऋण	Loans advanced to Private and Co-operative Industries	143
193	उत्पादन शुल्क से राजस्व वसूली में कमी	Fall in Collection of Revenue from Excise duty	143
194	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को विमान तेल की सप्लाई	Supply of Aviation Fuel to Indian Airlines Corporation	143–144
195	नूनमती तेल शोधक कारखाने में मिट्टी का तेल साफ करने का संयंत्र	Kerosene Oil Treating Plant at Noonmati Refinery	144
196	बरौनी तेल - शोधक कारखाना	Barau i Oil Refinery	144–145
197	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवाएं	Central Engineering Services of C. P. W. D....	145
198	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Class I Officers in C. P. W. D.	145–146
199	मलकानी रिपोर्ट को क्रियान्वित करना	Implementation of Malkani Report	146-147
200	डीजल तेल में मिलावट	Adulteration in Diesel Oil	147

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	147-155
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee	155
31वां और 34वां प्रतिवेदन-	Thirty-first and Thirty-Fourth Reports ...	155
बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill ...	155
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	155
(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	155
समिति का चुनाव	Election to Committee	156
भारतीय उपचर्या परिषद्	Indian Nursing Council	156
संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों को पेश करने के लिये समय के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. extension of time for presentation of Reports of Joint Committees	156
(1) संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्य विधेयक	(i) Union Territories (Separate of Judicial and Executive Functions) Bill... ...	156
(2) दण्ड तथा चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक	Criminal and Election Laws (Amendment) Bill	157
(3) लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक	Lokpal and Lokayuktas Bill	157
मंत्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers ...	158
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	158
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ...	161
श्री मी. रू. मसानी	Shri M. R. Masani	163
श्री शिवाजीराव शं. देशमुख	Shri Shivajirao S. Desmukh	166
श्री श्री. अ. डांगे	Shri S. A. Dange	170
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	175
श्री एस. एम. जोशी	Shri S. M. Joshi	177
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	179
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	180
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	181
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	183
23वां प्रतिवेदन	Twenty-third Report	183

लोक-सभा

सदस्यों की सूची

A

अब्राहम, श्री के० एम० (कोट्टयम)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अकिंचन, श्री (अडूर)
आगा, श्री अहमद (बारामूला)
अगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)
अहमद डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री फ० अ० (बारपेटा)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमरसे, श्री म० (बनस्कंठा)
अमीन, श्री रा० को० (ढढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अंबाजागन, श्री (तिरुचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अनिरुद्धन, श्री क० (चिरयन्कील)
अंजनप्पा, श्री बी० (नेल्लोर)
अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
अरुमुगम, श्री आर० एस० (टैंकासी)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
आतम दास, श्री (मुरैना)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अग्रवाल, श्री राम सिंह (सागर)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

B

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बख्शी, श्री गुलाब मुहम्मद (श्रीनगर)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बन्श नारायण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदायी)
बरुआ, श्री रा० (जोरहाट)
बारुपाल, श्री प० ला० (गंगानगर)
बसी, श्री सो० सिं० (फीरोजपुर)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बसन्त, श्री (भिवंडी)
बेहेरा, श्री बेघर (जाजपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भगवान दास श्री (औसग्राम)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भक्त दर्शन, श्री (गढवाल)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
बिड़ला, श्री रा० कृ० (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिं० (अलमोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बोहरा, श्री ओंकारलाल (चित्तौड़गढ़)
बोस, श्री अमिय नाथ (आरामबाग)

B (Contd)

ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह-कोटा, श्री (झालावाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बर्मन, श्री किरित बिक्रम देव (त्रिपुरा-पूर्व)
बूटा सिंह, श्री (रोपड)

C

चक्रपाणि, श्री सी० के० (पोन्नाणि)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हतकणंगले)
चित्तिबाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री बाल्मीकी (हाजीपुर)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)

D

दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दामानी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई-मध्य दक्षिण)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दासचौधरी, श्री बे० कुं० (कूच-बिहार)
दास, श्री सी० (तिरुपति)
देव, श्री बी० ना० (अंगुल)
दीवीकन, श्री (कुल्लाकुरिच्चि)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री प्र० के० (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवघरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देसाई, श्री चं०चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देविन्दर सिंह, श्री (लुधियाना)
दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
ढिल्लों, श्री गु० सिं० (तरनतारन)
धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)
दिग्विजय नाथ, श्री महन्त (गोरखपुर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीपा, श्री अ० (फूलबनी)
दीक्षीत, श्री गं० च० (खंडवा)
दरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

E

एरिंग, श्री डा० (उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री पी० पी० (मुवत्तुपुजा)

F

फरनेन्डीज, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

G

गजराज सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (राय बरेली)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गरणपत सहाय, श्री (सुल्तानपुर)
गौतम, श्री चिं० (बालघाट)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
घोष, श्री विमल कांति (सेरामपुर)
घोष, श्री गणेश (कलकत्ता दक्षिण)
घोष, श्री प्र० कु० (राँची)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरण सिंह, श्री (मथुरा)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लीचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोडर, श्री मुत्तु (तिरुत्तूर)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गौड, श्री गार्डिलिंगन (कुरनूल)
गौडा, श्री हुचे (चिकमगलूर)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चण्डीगढ़)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गुप्ता, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्ता, श्री लखनलाल (रायपुर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)

H

हजरनवीस, श्री (चिमुर)
हाल्दर श्री कं० (मथुरापुर)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरि कृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हीरजी भाई, श्री (बांसवाड़ा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)

I

इकबाल सिंह, श्री (फाजिलका)

J

जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० न० (जालना)
जगैया, श्री कों० (ओंगोल)
जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जमीर, श्री सं० चु० (नागालैंड)
जमुना लाल, श्री (टौंक)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जेना, श्री डी० डी० (भद्रक)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चंद्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (भोपाल)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)

K

कबीर, श्री हुमायून (बसिरहाट)
कछवाय, श्री हुकम चंद (उज्जैन)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गोहाटी)
कमलनाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कांबले, श्री (लातूर)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कन्डप्पन, श्री एस० (मेट्टूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कस्तूरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
कथ्थम, श्री बी० ना० (जलपाईगुड़ी)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
खाडिलकर, श्री (खेड)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री लताफत अली (मुज्जफरनगर)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)

K (Contd)

खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खन्ना, श्री प्र० के० (शाहजहाँपुर)
किकर सिह, श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कटको, श्री लीलाधर (नवगांव)
कौशिक, श्री कृ० मा० (बांदा)
कृपालानी, श्री जी० मा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गौंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णामूर्ति, श्री वी० (कडुलूर)
कृष्णन श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कुचेलर, श्री जी० (वेल्लौर)
कुण्डू, श्री स० (बालासौर)
कुन्टे, श्री दत्तात्रय (कोलाबा)
कुरील, श्री बे० ना० (रामसनेहीघाट)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)

L

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
ललित सेन, श्री (मंडी)
लास्कर श्री नि० रं० (करीमगंज)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
लिमये, श्री मधु (मुंगेर)
लोबो प्रभु, श्री (उदीपी)
लुत्फल हक, श्री (जंगीपुर)

M

मधोक, श्री बलराज (दक्षिण दिल्ली)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेवप्पा, श्री रामपुर (गुलबर्गा)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़-उत्तर)
माइती, श्री श० ना० (मिदनापुर)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधीपुरा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मांने, श्री शंकरराव (कोल्हापुर)
मंगलाथुमाडोम, श्री (मवेलिक्करा)
मनोहरन, श्री (मद्रास उत्तर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मरंडी, श्री (राजमहल)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मास्टर, श्री भोला नाथ (अलवर)
मसुरियादीन, श्री (चैल)
मयावन, श्री (चिदाम्बरम)
मीना, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
मेघचन्द्र, श्री एम० (आन्तरिक मनीपुर)
मेहता, श्री अशोक (भण्डारी)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम्)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मिनीमाता अगम दास गुरु, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री गा० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मुहम्मद इमाम, श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बेरकपुर)
मुहम्मद यूसफ, श्री (सीवन)
मोहन स्वरुप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़ दक्षिण)

M (Contd)

मोहिन्दर कौर, श्रीमती (पटियाला)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मंडल, श्री जुगल (उलुबेरिया)
मृत्युंजय प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद शरीफ, (रामनाथपुरम)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रतनगिरि)
मुकने, श्री यशवन्तराव (दहानु)
मुल्ला, श्री आ० ना० (लखनउ)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करुर)

N

नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगाँव)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तूर)
नायक, श्री गु० च० (क्योंझर)
नायक, श्री रा० वें० (रायचूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (पीरमाडे)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नन्दा, श्री (कैथल)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायनार, श्री ई० के० (पालघाट)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरुर)

O

ओबराय, श्री एम० एस० (हजारीबाग)
ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

P

पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृष्नगर)
पाण्डेय, श्री काशी नाथ (पदरौना)
पाण्डेय श्री सरजू (गाजीपुर)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्यमनीपुर)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पस्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पटेल, श्री ना० नि० (बलसार)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ोदा)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री चू० आ० (धुलिया)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भीर)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटोदिया, श्री देवकी नन्दन (जालोर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मंगलौर)
प्रधानी, श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० अ० (मचिलीपट्टणम)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)

Q

कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)

R

राधाबाई श्रीमती बी० (भद्राचलम)
रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
रजनी देवी, श्रीमती (रायगढ़)
राजाराम, श्री (सलेम)
राजशेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राजू डा० द० स० (राजमन्ड्रि)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनबाद)
राम, श्री तु० (अरारिया)
रामचरण, श्री (खुर्जा)
राम धन, श्री (लालगंज)
रामधनी दास, श्री (गया)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
रामस्वरुप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामभद्रन, श्री टी० डी० (तिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राममूर्ति, श्री (मदुरै)
रमानी, श्री के० (कोयम्बत्तूर)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
राणे, श्री (बुलडाना)
रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रणजीत सिंह, श्री (खलीलाबाद)
राव श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री क० नारायण (बोब्बिली)
राव, श्री मुत्याल (नगरकुरनूल)
राव, श्री जु० रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री वि० नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
राउत श्री भोला (बगहा)
राय, श्री रवि (पुरी)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियालागुडा)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम० नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नी० संजीव (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हार)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्री चित्तरंजन (जयनगर)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)

S

साबू, श्री श्रीगोपाल (सीकर)
साधूराम, श्री (फिल्लौर)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभम)
सहगल, श्री अ० सिं० (बिलासपुर)
सट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सलीम, श्री मु० यूनस (नलगोंडा)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बतूल)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)
सम्बन्धन, श्री एस० के० (तिरुत्तणि)
साम्बसिवम, श्री (नागपट्टिणम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सामिनाथन, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
सांघी, श्री न० कु० (जोधपुर)
संजी रुपजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
संकटा प्रसाद, डा० (मसरिख)
सन्त बख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
संतोषम्, डा० म० (तिरुचेन्डर)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
सत्य नारायण सिंह श्री (वाराणसी)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
सईद, श्री प० मु० (लक्कदीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सैयद अली, श्री (जलगांव)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन, श्री द्वैपायन (कटवा)

सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेक्वीरा, श्री इरास्मो डी (मारमागोआ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामन, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री शान्तिलाल (बम्बई-उत्तर-पश्चिम)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री वीरेन्द्रकुमार (जूनागढ़)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चान्दनी चौक)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शारदा नन्द, श्री (सीतापुर)
शर्मा' श्री वेणी शंकर (बांका)
शर्मा, श्री दी० चं० (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री नारायण स्वरुप (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बंगुसराय)
शशि भूषण, श्री (खारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शास्त्री श्री वि० ना० (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री श्री रघुवीर सिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (बिक्रमगंज)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
शिन्दे, श्री अन्नासाहिब (कोपरगांव)
शिंकरे, श्री (पंजिम)
शिवचंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिवचरण लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री श० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद श्री (नालंदा)
सिंह, श्री दि० ना० (मुज्जफरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिंह श्री जि० ब० (शाहबाद)
सिंह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रा० कृ० (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिन्हा श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
शिवशंकरन श्री (श्रीपरेम्बदूर)
स्नातक श्री नरदेव (हाथरस)
सोलंकी, श्री प्र० न० (करा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोमानी श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोमसुन्दरम, एस० डी० (थंजाबूर)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोंधी, श्री म० ला० (नई दिल्ली)
श्रीधरन श्री ए० (बडागरा)
सुब्राबेलू, श्री (मयरम)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसाराबाट)
सुन्दरलाल, श्री झा० (बस्तर)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सूपकार श्री श्रद्धाकार (सम्बलपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सरसिंह, श्री (झाबुआ)
सूर्यनारायण, श्री को० (एल्लूरू)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वैल, श्री (स्वायत्तशासी जिले)

T

तामस्कर, श्री (दुर्ग)
तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तारोड़कर श्री वें० बा० (नांदेड़)
ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)

ठाकुर, श्री प्र० र० (नवद्वीप)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री क० ना० (बेतिया)
त्रिपाठी, श्री कृ० दे० (उन्नाव)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद)

U

उइके, श्री मंगरु (मंडला)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)
उमानाथ, श्री (पुद्दूकोटै)

V

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वेंकटासुब्बया, श्री पें० (नन्दयाल)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री प्रेम चन्द (हमीरपुर)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरुप (करौलबाग)
विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
विश्वम्भरन, श्री पी० (त्रिवेन्द्रम)
विश्वनाथम, श्री तेन्नेटि (विशाखापतनम)
विश्वनाथन, श्री जी० (वंडीवाश)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

X

जेवियर, श्री एस० (तिरुनेलवेल्लि)

Y

यादव, श्री न० प्र० (सीतामढ़ी)
यादव, श्री चंद्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जगेश्वर (बांदा)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

———

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री नी० संजीव रेड्डी

उपाध्यक्ष

श्री र० के० खाडिलकर

सभापति तालिका

श्री तिरुमल राव
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री रा० ढो० भन्डारे
श्री गाडिलिंगन गौड
श्री वासुदेवन नायर
श्री हेम बरूआ

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री–श्रीमती इन्दिरा गांधी
उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री–श्री मोरारजी देसाई
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री–श्री फखरूद्दीन अली अहमद
गृह–कार्य मन्त्री–श्री यशवन्तराव चव्हाण
वाणिज्य मन्त्री–श्री दिनेश सिंह
श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री–श्री जय सुखलाल हाथी
खाद्य तथा कृषि मन्त्री––श्री जगजीवन राम
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री––डा० कर्ण सिंह
विधि मन्त्री––श्री गोविन्द मेनन
रेलवे मन्त्री––श्री चे० मु० पुनाचा
संसद कार्य तथा संचार मन्त्री––डा० राम सुभग सिंह
परिवहन तथा नौवहन मन्त्री––डा० वी० के० आर० वी० राव
शिक्षा मन्त्री—डा० त्रिगुण सेन
सूचना और प्रसारण मन्त्री—श्री के० के० शाह
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री—श्री सत्यनारायण सिंह
प्रतिरक्षा मन्त्री—श्री स्वर्ण सिंह

राज्य मन्त्री

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री ब० रा० भगत
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—डा० श्री चन्द्रशेखर
रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री परिमल घोष
समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री—डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री—श्री जगन्नाथ राव
प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री ल० ना० मिश्र
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
पैट्रोलियम और रसायन, मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री रघुरामैया
सिंचाई और बिजली मन्त्री—डा० कु० ल० राव
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री प्र० चं० सेठी
शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री शेर सिंह
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री अन्नासाहिब शिन्दे
गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री विद्याचरण शुक्ल

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री भागवत झा आजाद
संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री—श्री इ० कु० गुजराल
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री—श्री गुरपाद स्वामी

उप–मन्त्री

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मंत्री—श्री भक्त दर्शन
रेलवे मन्त्रालय में उप–मंत्री—श्री रोहनलाल चतुर्वेदी
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री दा० रा० चव्हाण
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप–मंत्री—श्री डा० एरिंग
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप–मंत्री—श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री स० चु० जमीर
प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री म० रं० कृष्ण
उप–मंत्री—डा० सरोजनी महिषी
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति
वित्त मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री जगन्नाथ पहाड़िया
वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
इस्पात, खान, तथा धातु मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री राम सेवक
गृह–कार्य मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री के० एस० रामास्वामी
समाज कल्याण विभाग में उप–मंत्री—श्री मुत्याल राव
विधि मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री मुहम्मद यूनस सलीम
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप–मंत्री—श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री भानु प्रकाश सिंह
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप–मंत्री—श्री इकबाल सिंह
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप–मन्त्री—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 11 नवम्बर 1968/20 कार्तिक, 1890 (शक)
Monday, November 11, 1968/*Kartika* 20, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री ए० वी० कृष्णमूर्ति राव के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री राव का 4 अक्तूबर, 1968 को नई दिल्ली में देहान्त हो गया। उनकी आयु 66 वर्ष थी।

श्री राव का अधिकांश जीवन संसद से सम्बद्ध रहा है। वह वर्ष 1947 से 1952 तक भारत की संविधान सभा तथा अस्थाई संसद के सदस्य थे तथा वर्ष 1952 से 1962 तक राज्य सभा और 1962 से 1967 तक तीसरी लोकसभा के सदस्य थे। अपने संसदीय जीवन में श्री राव ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अति सराहनीय कार्य किया है। वह वर्ष 1952 से 1962 तक राज्यसभा के उप सभापति थे तथा वर्ष 1962 से 1967 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष थे।

श्री राव का सभा की विभिन्न स्थायी समितियों तथा विधेयकों सम्बन्धी प्रवर और संयुक्त समितियों के उपाध्यक्ष होने के नाते इन समितियों के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शांत मुद्रा तथा सुशील स्वभाव उनके व्यक्तित्व की विशेषतायें थी, जिनसे सभा तथा समितियों के सदस्य प्रभावित होते थे। वह सज्जनता की प्रतिमूर्ति थे।

हम उनके निधन से शोकाकुल हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है ।

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूं ।

इस अन्तर सत्रावधि में हमारा एक और आदरणीय साथी हम से बिछुड़ गया । महोदय, जैसा कि आपने कहा है, श्री कृष्णमूर्ति राव इस संसद की स्थापना से ही इसके सदस्य रहे हैं। पहले वे संविधान सभा के सदस्य थे और फिर राज्य सभा के उपसभापति तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार तीन कालावधियों तक उस सभा अथवा इस सभा का सभापतित्व कर रहे थे ।

श्री राव का राजनीतिक जीवन हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भ से ही शुरु हुआ था तथा उन्होंने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था । उनकी महानता उनके चरित्र की विविधता में छिपी हुई थी । उन्होंने सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अनेक रचनात्मक कार्य किये हैं । उन्होंने अपने राज्य मैसूर तथा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति की उन्नति के लिये सराहनीय प्रयास किये हैं । उनके निधन से हमने एक ऐसे प्रमुख राजनैतिक को खो दिया, जिनकी प्रजातन्त्र में पूर्ण आस्था थी ।

मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय आपने तथा सभा नेता ने श्री कृष्ण मूर्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, मैं विरोधी पक्षों की ओर से उसमें शामिल होता हूं । वह केवल उपाध्यक्ष ही नहीं थे, अपितु हम में से कुछ सदस्यों ने उन्हें और निकटता से देखा है । विभिन्न प्रवर समितियों में जिनके वे सभापति थे, वह बहुत धीरज से काम लेते थे और समिति की कार्यवाही का मार्गदर्शन करते थे ।

हम उकके निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं तथा उनके सम्बन्ध में आपने तथा सभा नेता ने जो कुछ कहा है, हम उससे सहमत थे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री कृष्णामूर्ति राव के निधन पर शोक प्रकट करने में मैं अपने आपको सभा के अन्य सदस्यों के साथ शामिल करता हूँ । मैं श्री कृष्णामूर्ति राव को तब से जानता हूं जब वह पहले पहल राज्य सभा के सदस्य बने थे तथा उसके उप सभापति बने थे । जब वह लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तो मैं भी इस सदन का सदस्य था ।

उनके विचारों में चाहे कुछ कट्टरता थी, तथापि व्यक्तिगत रूप में वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे । वह एक देश भक्त थे ; जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेकर न केवल संसद् में अपितु बाहर भी राष्ट्र की विभिन्न प्रकार से सेवा की । वह कई सांस्कृतिक तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य थे ।

यह बड़े दुख की बात है कि उन जैसा गणमान्य व्यक्ति इस बार संसद् का सदस्य नहीं चुना जा सका। हमें दुख है कि वह हम से उस समय बिछुड़ गये, जबकि उनके सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों को बहुत लाभ हो सकता था। विधि ने हमें इस अवसर से वन्चित कर दिया। हमें उनके निधन का गहरा दुख है तथा मुझे आशा है कि आप हमारी संवेदनायें संतप्त परिवार को भेजेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से श्री कृष्णामूर्ति राव के निधन पर गहरा दुख प्रकट करता हूं।

मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं। जब हम संसद में आये, उस समय जिन-जिन महान् व्यक्तियों की हमें जानकारी हुई, उनमें श्रीकृष्णामूर्ति राव का एक विशिष्ट स्थान था। उच्च पद पर आसीन होते हुए भी वह नम्रता की प्रतिमूर्ति थे, जो कि मानव के चरित्र का एक विशेष गुण है।

मुझे विभिन्न समितियों में उनके साथ काम करने के अवसर मिले हैं तथा मैं यह कह सकता हूं कि समितियों के कार्यों में वह बहुत प्रवीण थे।

उनके निधन से एक महान आत्मा हमारे बीच नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार को भेज दी जाये।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड़) : अपने दल की ओर से मैं श्री कृष्णामूर्ति राव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं श्री राव को जब से जानता हूँ, तब वह इस सभा के उपाध्यक्ष थे। जहां तक उनके वास्तविक गुणों का सम्बन्ध है, उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि वे सर्वविदित हैं।

अतः अपने दल की ओर से मैं उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना संतप्त परिवार को भेज दी जाये।

Shri Ravi Rai (Puri): Mr Speaker, although I had no personal connections with Shri Krishnamoorty Rao, yet it is very well known that he was an able administrator and political leader. His contributions in the struggle for independence of the country and the political life of Mysore are imense. I on behalf of my party and on my on behalf on express my condelences to the bereared family.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना शोक व्यक्त करने के लिये कृपया थोड़ी सी देर के लिये मौन खड़े हो जायें।

(तब सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हो गये)

(The Members then stood in Silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मीठापुर में टाटा उर्वरक उद्योग समूह

+

*1. डा० रानेन सेन : श्री रा० को० अमीन :
श्री अदिचन : श्री श्रद्धाकर सूपकार ।
श्री लतीफ अली खां : श्री दामानी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मीठापुर में एक भारी उर्वरक समूह स्थापित करने की प्रस्तावित टाटा योजना में सरकार ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिवर्तनों का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या टाटाओं ने ये सुझाव स्वीकार कर लिए हैं;

(घ) क्या इस प्रस्ताव पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : जी हां। समय समय पर कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है । अन्य बातों के साथ साथ संशोधन, आयात किये जाने वाले अमोनिया की मात्रा, अमोनिया के देशीय उत्पादन का प्रारंभ, प्राइवेट जेटी का प्रस्थापन, तथा सरकार के योगदान की सीमा से सम्बन्धित हैं । कुछ सुझाव मान लिये गये हैं । मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० रानेन सेन : माननीय मन्त्री ने कहा है कि टाटा उर्वरक प्रस्ताव में समय–समय पर संशोधन किये गये थे और एक समय 5 करोड़ डालर के मूल्य के अमोनिया का आयात करने तथा 10 करोड़ की लागत से पत्तन का विकास करने का प्रस्ताव था । मैं जानना चाहता हूं कि टाटा उर्वरक परियोजना के इस विशेष प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री रघुरामैया : इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलू हैं । उदाहरण के तौर पर आयात किये जाने वाले अमोनिया की मात्रा को लीजिए । मूलतः उन्होंने कहा था कि 15 लाख मीटरी टन अमोनिया का आयात किया जायेगा । फिर यह आंकड़े घटकर 12 लाख 50 हजार मीटरी टन रह गये । इसके बाद वार्षिक आयात की अधिकतम सीमा को 4,00,000 मीटरी टन से घटा कर 3,00,000 मीटरी टन कर दिया गया । जेटी के निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आनी थी । विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव रखे गये थे । कुछ स्वीकार कर लिये गये हैं तथा कुछ अभी तक विचाराधीन हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इस उर्वरक संयंत्र परियोजना को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था तथा आयोग के उप प्रधान ने यहां एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में रूसी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए हाल में रूस की यात्रा की थी और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रघुरामैया : स्वीकार अथवा अस्वीकार करना सरकार का काम है। यह सच है कि इस योजना के स्वीकार किये जाने की हालत में योजना आयोग ने कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये हैं। जहां तक योजना आयोग के उप प्रधान की यात्रा का सम्बन्ध है, यह सच है कि वह रूस की यात्रा पर गये थे और मुझे विश्वास है कि रूस ने यह भावना प्रकट की है कि हमें उनकी योजनाओं आदि में रूचि लेनी चाहिये। हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनकी यात्रा से कितना लाभ उठाया जा सकता है, हम एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री रा० की० अमीन : आपको इस बात का पूरा पता है सारा गुजरात राज्य इस बात की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा है कि सरकार द्वारा मीठापुर परियोजना को स्वीकार किया जाये। जहां तक सरकार के योगदान से सम्बन्धित तथा अमोनिया की आयात की मात्रा की अनुमति देने के बारे में सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात को देखते हुए कि इरान सरकार इस मामले में सरकार से सरकार के आधार पर सौदा करने को सहमत हो गई है तथा इस बात को देखते हुए भी कि हमने पहले ही बम्बई में धर्मसे मोरारजी को अमोनिया आयात करने की अनुमति दे दी है तथा इस बात को देखते हुए भी कि बम्बई पत्तन और धर्मसे मोरारजी के बीच कोई समझौता हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त क्यों नहीं बनाती, जिससे समझौता हो सके तथा निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके, विशेष रूप से जब कि हम सब जानते हैं कि हमें उस सारे उर्वरक की आवश्यकता होगी, जितने का कि हम उत्पादन कर सकते हैं और उर्वरक के उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम सदा असफल रहे हैं।

श्री रघुरामैया : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उर्वरकसंयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार उनसे कम उत्सुक नहीं है। यह परियोजना धर्मसे मोरारजी परियोजना से बहुत अधिक बड़ी है। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की पूंजी लगनी है और वह भी गैर-सर कारी क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से अन्य पहलू है। यह कोई आसान मामला नहीं है। यह एक बहुत पेंचीदा मामला है तथा इसकी जांच में समय लगना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि जल्दी में कोई काम करने से तथा बाद में पछताने से यह अच्छा है कि हम इस समय इस पर पूर्णतया विचार करें।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि अभी तक बातचीत के कोई निश्चित परिणाम नहीं निकले हैं। इस परियोजना में सरकार का कितने प्रतिशत योगदान देने का विचार है, तथा टाटाओं के साथ कब तक अन्तिम रूप से बातचीत करली जायेगी ?

श्री रघुरामैया : मूलतया यह प्रस्ताव था कि विभिन्न राज्य सरकारों, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के 16% अंश होंगे। अब वे इसे 22% तक बढ़ाने को सहमत हो गये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्रीय सरकार भी इसमें साझी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यूंही इस सन्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा, हम शिघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री दामानी : चूंकि सरकार विशाखापत्तनम में संयंत्र स्थापित करने को सहमत हो गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस योजना का अनुमोदन करने में क्या कठिनाईयां पेश आ रही हैं ? दूसरे कौन कौन सी अन्य कठिनाईयां पेश आने की सम्भावना है अथवा क्या-क्या आपत्तियां उठाई जाने की सम्भावना है ?

श्री रघुरामैया : यह सच है कि सरकार ने विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में ओसीडेंटल कम्पनी को एक आशय-पत्र दिया हुआ है। परन्तु यह परियोजना कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें देश में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इस मामले में अमोनिया के देशी भाग के बारे में भी आपत्ति यह है कि एक तिहाई उत्पादन भी 5½ वर्ष बाद आरम्भ होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य बातें हैं।

श्री उमा नाथ : टाटा परियोजना को अनुमति देने के बारे में देश में बहुत विवाद है, क्योंकि यह परियोजना अमोनिया पर आधारित होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात को देखते हुए कि देश में नेफ्ता फालतू है तथा अमोनिया का आयात किया जाना है, क्या इस परियोजना के लिये अनुमति देना देश के लिए हितकर है ? सरकार सदा यह कहती रही है कि उनकी नीति जहां तक हो सके अमोनिया की आयात न करने की है। धर्मसे मोरारजी के बारे में उन्होंने कहा था कि उसे असाधारण परिस्थितियों में मंजूर किया गया था, क्योंकि उससे गन्धक का आयात सम्बन्धित था। सबसे पहले मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ओसीडेंटल आयल कम्पनी नामक एक अमरीकी कम्पनी को विशाखापत्तनम में अमोनिया पर आधारित एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है तथा दूसरे यह जनाना चाहता हूं कि क्या अमरीकी कम्पनी को अपने आधे से अधिक अंश रखने की भी अनुमति दी गई है और यदि हां, तो क्या इसका अर्थ यह है कि टाटाओं को भी आधे से अधिक अंश रख कर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री रघुरामैया : ओसीडेन्टल कम्पनी अमोनिया आधारित है, परन्तु इसमें एक महत्व पूर्ण बात यह है कि वह हमारे देश से ही सप्लाई किये गये नेफ्था से अमोनिया का उत्पादन आरम्भ करेंगे। यह सच है कि उन्हें इस समय लगभग 52.5 अंश प्रतिशत अंश रखने की अनुमति दी गई है, क्योंकि भविष्य में चाहे जो कहा जाये, सरकार की अब तक यह नीति रही है तथा इसे विश्व भर में घोषित कर दिया गया है कि यदि विदेशी नियोजक आधे से अधिक अंश चाहते हैं, तो उन्हें इस की अनुमति दी जायेगी तथा यह निर्णय इसी नीति के अनुसरण में किया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या यह सच है कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने कहा है कि इस कारखाने को केवल मीठापुर में ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां विभिन्न ऐसी चीजें हैं

जो उस कारखाने के लिए उपयुक्त हैं, और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुरामैया : मुझे श्री टाटा से बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिला है, परन्तु मैंने एक विशेषज्ञ से बातचीत की थी तथा उसने वही बात कही थी जो माननीय सदस्य ने कही है।

श्री नाथपाई : हम इस योजना के बारे में कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि विश्व में जो शीत युद्ध समाप्त होने वाला है वह इस प्रश्न को लेकर मंत्रिमण्डल में चल रहा है कि हमें रूसी पूंजी चाहिये अथवा गैर सरकारी पूंजी। उप प्रधान मन्त्री ने गुजरात में यह घोषित किया है कि इस पेट्रो-रसायनिक समूह को तथा उर्वरक कारखाने को नहीं लगाया जायगा। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सचाई क्या है तथा यह योजना इस समय किस स्थिति में है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) यह सच नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था।

श्री नाथपाई : यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मेरे पास मन्त्री महोदय के वक्तव्य की कतरन है, परन्तु दुर्भाग्य से वह इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : दुर्भाग्य से माननीय सदस्य उन बातों को समझने की क्षमता रखते हैं जो कही नहीं गई है।

श्री नाथपाई : मैं कोई व्यक्ति गत बात नहीं कहना चाहता हूं। यदि उन्होंने कोई बात नहीं कही तो उनकी बात सच सही, मैं उनके भाषण की प्रति जो उन्होंने वहां दिया था, प्रेस से ले लूंगा। परन्तु मैं भार साधक मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि विलम्ब के क्या कारण हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिये कि वह उसे स्थापित करना चाहते हैं अथवा नहीं। इस बारे में लगातार बादविवाद करने का क्या लाभ है ?

श्री रघुरामैया : यह प्रस्ताव कुछ महीनों से हमारे विचाराधीन है तथा क्योंकि यह एक जटिल प्रस्ताव है तथा इसमें बहुत भारी पूंजी लगती है और नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, अतः यह स्वभाविक है कि इस पर समय लगेगा।

Shri Premchand Verma : I want to know from the hon. Minister whether any Expert Committee has examined this fact of the matter that after the establishment of Tata Fertilizer complex at Methapur in Gujrat the public sector factory established at Trombay will not be able to sell its produce in Andhra Pradesh, Gujrat and Maharashtra? I want to know whether this question has been examined ?

श्री रघुरामैया : इस प्रस्ताव पर सरकार ने चाहे कुछ भी निर्णय किया हो परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उर्वरक हमारी आवश्यकता से फालतू नहीं होगा। अतः ट्राम्बे और इसके बीच कोई झगड़े की बात नहीं है।

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री ने कुछ समय पहले यह कहा था कि अन्य विषयों के साथ साथ इस परियोजना के बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने उस समय बातचीत की थी जब वह रूस गये थे तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में रूस सरकार के साथ अब भी बातचीत हो रही है। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या यह बात उचित है अथवा क्या इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में रूस सरकार के साथ बातचीत करना सरकार का काम है जबकि उन्होंने इस परियोजना को चलाने वाली टाटा जैसी कम्पनियों से परियोजना का ब्योरा तथा उसकी लाभ प्रदत्तता की जानकारी पहले प्राप्त करली हो। यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह उन परियोजनाओं को रद्द करने का आश्चर्यमय तरीका नहीं है जिनके बारे में यहां चर्चा आरम्भ की जाती है, ताकि रूस सरकार के साथ अच्छी तरह से बातचीत करके इस बारे में कोई चीज की जा सके ?

श्री रघुरामैया : मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र का सारा ध्यान गलत तथ्यों पर आधारित है। मैंने कभी नहीं कहा कि टाटा परियोजना के बारे में बातचीत हुई थी। मैंने यह कहा था कि रूस सरकार के साथ चाहे उनके वे अधिकारी कोई हों, तथा हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच इस बारे में बातचीत की थी कि क्या दोनों देशों के बीच उर्वरक के उत्पादन के सिलसिले में सहयोग हो सकता है अथवा नहीं। उनका टाटा परियोजना के बारे में कोई वास्ता नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई थी।

श्री अमृत नहाटा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उर्वरक परियोजना के लिए करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा के तरल अमोनिया का लगातार आयात करना पड़ेगा, तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस परियोजना से हमारे देश में एकाधिकार और बढ़ जायेगा तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उर्वरक उद्योग से सम्बन्धित सभी वैज्ञानिकों और तकनीशनों ने यह मांग की है, जिसे बार बार रद्द भी कर दिया गया है कि अमोनिया का देश में उत्पादन होना चाहिये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाइराइट्स कारपोरेशन ने पाइराइट्स का उत्पादन नहीं बढ़ाया है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रॉक फास्फेट को जान बूझ कर अस्वीकार कर दिया गया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार कर देगी ?

श्री रघुरामैया : लगातार आयात करने का प्रश्न ही नहीं है। अमोनिया का आयात दस वर्ष तक किया जायेगा। आरम्भ में दस वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। अब उसे सात वर्ष कर दिया गया है। मेरे पास सही सही यह जानकारी है।

श्री पीलू मोडी : मेरी जानकारी तो यह है कि टाटा उर्वरक परियोजना को दो कारणों से स्थगित कर दिया गया है। पहला कारण तो सिद्धान्त का है तथा दूसरा कारण मन्त्रियों का इस परियोजना में निहित स्वार्थ। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि जितने समय तक के लिए टाटा उर्वरक परियोजना को स्थगित किया गया उसके एक एक घंटे के लिए देश को एक एक लाख रुपये की विदेशी मुद्रा को हानि हो रही है, तथा मन्त्री महोदय अभी यहां कह रहे हैं कि यह बहुत जटिल

प्रश्न है तथा इस पर कुछ समय लग जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्णय करने के बारे में उनकी गलती पर इतना नुक्सान नहीं होगा जितना उसे स्थगित करने पर।

श्री रघुरामैया : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र ने अपनी प्रतिमा को मन्त्रियों पर आक्रमण करने से खो दिया है। मेरा यह निवेदन है कि किसी मन्त्री का इस में निहित स्वार्थ नहीं है। यदि किसी मन्त्री का स्वार्थ होता तो इस योजना को बहुत समय पहले ही मंजूरी मिल गई होती।

श्री हनुमंतैय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बहुत से सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों की अक्षमता के कारण नुकसान हो रहा है, क्या सरकार अन्तिम तौर पर मंजूरी देते समय प्रबन्धकों की क्षमता को ध्यान में रखेगी ताकि यह परियोजना उचित ढंग से और लाभ पर चल सके।

श्री रघुरामैया : इस प्रकार के सुझाव को, जो ऐसे सम्माननीय सदस्य द्वारा दिया जाये, हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Gas Production in Assam

*2. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the cost of gas being produced in Assam and the rates at which it is being supplied to the Assam Electricity Board, Assam Oil Company, Fertiliser Factory and Tea plantation;

(b) whether Government propose to sell this gas without incurring any loss to those consumers to whom it is being sold at a loss at present and if so, when ;

(c) whether it is a fact that the electricity being produced by the gas and being received by the Assam Electricity Board at nominal price is being supplied by the Board to the Fertiliser factory at a rate higher than the rate of the eleetricity being supplied to any other Fertiliser factory throughout India; and

(d) if so, the reasons therefor ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक गैस का 1966 के दौरान कूप मुख पर मूल्य लगभग 17.54 रुपये प्रति घन मीटर था। गैस का विक्रय मूल्य निम्न प्रकार है—

उपभोक्ता का नाम	मूल्य प्रति 1,000 घन मीटर
आसाम राज्य विद्युत बोर्ड	8.77 रुपये
चाय बागान	52.62 रुपये

आसाम आयल कम्पनी	17.54 रुपये "(42.10 रुपये तक बढ़ा दिया जायेगा जब भारतीय उर्वरक निगम गैस को लगातार, व्यापारिक आधारों पर लेना शुरु कर देगा।)
भारतीय उर्वरक निगम	42.10 रुपये

(ख) प्राकृतिक गैस की बिक्री आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा नहीं। कम्पनी केवल आसाम राज्य विद्युत बोर्ड को गैस उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर दे रही है। यह मूल्य 31-12-1973 तक लागू हैं। आयल इन्डिया लिमिटेड आसाम सरकार से मूल्यों के पुनरीक्षण का प्रश्न उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात उठायेगी।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati - Sir, the extent to which this gas has been flared in Assam that has caused a loss of crores of rupees everyday and on that account the farmers have sued the case, have obtained decrees and this have got the money. May I know from the Government the reasons whythey have allowed the gas being flared up so far and why they have never reached an agreement regarding the procedure to use that gas. May I know whether it is a fact that merely discussion had taken place and gas was not supplied to others on account of a letter only, the same persons were considered consumers and they did not take gas later on. May I know the reasons of so big a loss and what is the plan Government have chalked out to check this loss in future.

श्री रघुरामैया : यह मिश्रित गैस होती है जो शोधित नहीं होती। आयल इंडिया उसे यथासम्भव अधिक मात्रा में बेचने का प्रयत्न करता रहा है। परन्तु चूंकि यह कम दबाव वाली गैस होती है इसलिये जल जाती है। जहां तक अधिक दबाव वाली गैस का सम्बन्ध है चाहे आसाम आयल कम्पनी उसे 1959 से ले रही है तथा बिजली बोर्ड उसे 1964 से ले रहा है, परन्तु मैं समझता हूं कि अब भी कुछ लोग उसे इतनी अधिक मात्रा में नहीं ले रहे हैं जितनी मात्रा में वे उसे ले सकते हैं क्योंकि वे इसके लिये तैयार नहीं है। अत: जिस हद तक लोग इसे लेने के लिये तैयार हैं हम उसे दे रहे हैं। यह बात नहीं हैं कि हम उसे व्यर्थ ही जला रहे हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Now it so appear that no question arise. The Gas has been flaring far so long a time and you say that no one wants to take it. It appears that people are facing a handicapped Government. Where we are talking to import ammonia and when neptha is not with us. Government could utilise this gas for the production of Neptha. May I know why the total quantity of gas is not utilised for the production of fertilisers The rate of electricity is very much and the rates of fertilisers will also go up tomorrow and Government will say again that we are not seting up a fertiliser plant in Assam because the cost of production is much there. May I know why Government is not setting up an Atomic plant. Why this precious thing is being lost and is not utilised by Government.

श्री रघुरामैया : यदि उर्वरक के प्रयोग के लिये काफी गैस हो तो हम उसे प्रयोग में लाते हैं परन्तु उसका अन्य प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, अब हम नामरूप की पूर्ण गैस आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Why electricity is being supplied for Fertilisers at so high rate, when the rate of electricity is less throughout India, why it is more in Assam.

श्री रघुरामैया : जबकि अन्य बागानों को वह 52.63 रुपये के हिसाब से मिल रही है तो भारत के उर्वरक को वह 42.10 रुपये के हिसाब से मिल रही है । अत: अधिक दर नहीं ली जा रही है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Gas is being Supplied for electricity at the rate of Rs. 8.50, while the cost of production is Rs. 17.50.

श्री रघुरामैया : यह बात सच है कि आसाम आयल कम्पनी 17.54 रुपये दे रही है । ऐसा 1959 में किया गया था जबकि इसकी कोई अधिक मांग नहीं थी । जबसे भारत का उर्वरक निगम व्यापारिक काम के लिये इतनी गैस खरीदने लग जायेगा, हम इसमें संशोधन कर देंगे । इसमें हम संशोधन करके उतनी ही दर अर्थात 42.10 रुपये करने जा रहे हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : माननीय मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि आसाम राज्य विद्युत बोर्ड, चाय बागानों और उर्वरक निगम के मूल्यों में अन्तर है । गैस, आयल इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है तथा भारत सरकार का इसमें 50 प्रति शत भाग है । उर्वरक कारखाना सरकार द्वारा प्रायोजित सरकारी उद्योग है । सरकार इस मूल्य प्रणाली के बारे में कैसे सहमत हो सकती है तथा अन्य की तुलना में उर्वरक निगम से अधिक दाम कैसे ले सकती है विशेषकर जबकि उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक कृषकों को कम दाम पर बेचना होता है । ऐसी परिस्थितियों में नामरूप स्थित उर्वरक कारखाना उर्वरक की उत्पादन लागत कम नहीं कर सकता ।

श्री रघुरामैया : हम राज्य बिजली बोर्ड को गैस इसलिये 8.77 रुपये की दर से दे रहे हैं, क्योंकि आसाम सरकार ने कहा था कि वह राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है । उसके बारे में भी चर्चा होने वाली है । हमारा उद्देश्य मूल्य को बराबर करना है । अब तक यह मांग और पूर्ति का प्रश्न था । यदि मैं उर्वरक निगम के लिये मूल्य को कम करके 42 रुपये करता हूं तो चाय बागान 52 रुपये नहीं देंगे तथा हमें उनके लिये भी दर को कम करना होगा । हमें सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखना होता है कि देश के लिये सब से अच्छी बात क्या है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : भारत सरकार आयल इंडिया की भागीदार है, तथा उर्वरक निगम सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय है । अत: उसके लिए यह दर क्यों निर्धारित की जाये ।

श्री रघुरामैया : मैं पहले कह चुका हूँ कि उन्होंने इसकी लाभ प्रदत्तता को ध्यान में रख कर ऐसा किया है । ध्येय तो दर को समान करने का है । पहले यह बात सम्भव नहीं थी । परन्तु हमारा प्रयास इसे प्राप्त करने का है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम बिजली बोर्ड और नामरूप उर्वरक कारखानों की मांग पूरी करने के बाद नहरकटिया और मोरन तेल क्षेत्र ही प्रति

दिन 6 करोड़ से 10 करोड़ घनफुट गैस मुहैया कर सकते हैं, तथा इस बात को देखते हुए कि आसाम उद्योगों के मामले में बड़ा पिछड़ा हुआ है तथा वहां पर कोई भी पैट्रोलियम रसायन उद्योग नहीं है, सरकार ने इसके लिये कोई उपाय क्यों नहीं किये हैं कि इस गैस का प्रयोग राज्य में पैट्रोलियम उद्योगों को स्थापित करने पर किया जाये। क्या आसाम को दिल्ली के उपनिवेश के रूप में रखने की पुरानी नीति अपनाने का सरकार का विचार है ?

श्री रघुरामैया : इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत सरकार आसाम की विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करना चाहती है। जहां तक पैट्रोलियम रसायन उद्योगों का सम्बन्ध है, आसाम सरकार के साथ लिखा पढ़ी की जा रही है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना सम्भव है तथा क्या वहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि इसे तुरन्त ही अस्वीकार किया जा रहा है। आसाम के किसी भी प्रस्ताव पर, विशेषकर माननीय मित्र के प्रस्ताव पर, विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : नहरकटिया और मोरन तेल क्षेत्र ही आसाम बिजली बोर्ड और नामरूप कारखानों की मांग पूरी करने के बाद प्रति दिन 6 करोड़ से 10 करोड़ घन फुट गैस मुहैया कर सकते हैं। अतः इस गैस को जलाने की बजाय सरकार वहां पर पेट्रोलियम रसायन उद्योग स्थापित करके उसका प्रयोग करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है।

श्री रघुरामैया : जो आंकड़े उन्होंने बताये हैं वह मेरे पास नहीं हैं। परन्तु यदि यह सम्भव हुआ, हम ऐसा करेंगे। जैसाकि मैंने पहले कहा है आसाम सरकार के साथ बातचीत की जा रही है :

श्री चं० चु० देसाई : क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम और गुजरात में उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मूल्य के तुलनात्मक आंक देगी, क्योंकि वह दूसरा एक ही राज्य है जहां गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है ? गुजरात के उपभोक्ताओं के मामले में अधिक मूल्य लिये जाने में क्या औचित्य है ?

श्री रघुरामैया : इस प्रश्न के लिये मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Shashi Bhushan : Gas worth crores of rupees is being wasted and the reason for that is that gas containers or cylinders are not available in the country. May I therefore know whether Government propose to get them manufactured through some public sector company. Secondly, the scientists of the country have said ammonia could be prepared with gas and coal, may I know why immediate action is not taken in that regard?

श्री रघुरामैया : मैं इस बात, सुझाव अथवा आरोप को स्वीकार नहीं करता कि हमारा अधिकांश गैस जल जाता है। इसमें शक नहीं कि कुछ जल जाता है। उदाहरण के तौर पर अंकलेशवर का गैस वचन के अनुसार दिया जा रहा है। खम्भात का गैस दूवर बिजलीघर के लिये निर्धारित किया गया है। हम यथासम्भव अधिक प्रयोग में ला रहे हैं।

श्री स्वेल : यह बड़े दुःख की बात है कि आसाम में प्रतिदिन बहुत सा गैस जलाया जाता है। यह भी तथ्य है कि आसाम के वनों को ईंधन के प्रयोग में लाया जाता है। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या सरकार गैस को बोतलों में भर कर घरों के प्रयोगार्थ उसे सप्लाई करने का विचार कर रही है। यदि इस बारे में विचार नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ? यदि विचार कर लिया गया है तो रास्ते में कौन-कौनसी कठिनाइयां आ रही है ?

श्री रघुरामैया : रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। हम इसके लिये एक कारखाना खोल रहे हैं ताकि उसका खाना पकाने के लिये प्रयोग किया जा सके।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या यह सच नहीं है कि रूरकेला में जितना गैस जाया हो रहा है उससे उतना उर्वरक तैयार हो सकता है जितना नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा तैयार किया जाता है, जो केवल उर्वरक तैयार करने के लिये बनाया गया है ? जब देश उर्वरक के मामले में स्वावलम्बी नहीं है तथा अन्य देशों से उर्वरक का आयात कर रहा है, इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने उर्वरक तैयार करने के लिये समूचे गैस का प्रयोग करने की संभावना पर विचार नहीं किया है ?

श्री रघुरामैया : गैस का प्रयोग करने के हर तरीके पर विचार किया जा रहा है तथा यदि हम उसे बचा सके तो कुछ भी चीज जाया नहीं होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कम से कम ऐसे चार केन्द्र अर्थात् दार्जिलिंग, कुरस्यौंग, कलिमयौंग और शिलांग है जहां ईंधन और बिजली की भारी कमी है तथा स्थिति बाढ़ भूस्खलन के कारण और खराब हो गई है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय को पहले ही लिख चुका हूं। क्या सरकार इस गैस को सिलेंडरों में भरने और कम से कम आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बेचने के बारे में विचार करेगी ?

श्री रघुरामैया : मैं इस सुझाव को अवश्य ही भारतीय तेल कम्पनी को भेज दूंगा जो भारतीय गैस को बेचती है।

श्री समर गुह : यह गैस, जिसको हम जला कर जाया कर देते हैं, संश्लिष्ट अमोनिया और संश्लिष्ट आरगैनिक खाद तैयार करने के काम आता है। क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है। यदि नहीं, तो क्या इसका अध्ययन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की जायेगी ?

श्री रघुरामैया : जब वे लोग जिन्हें गैस मुहैया करने का वचन दिया गया है, जब वे आधा प्रयोग करने लगेंगे तो अन्य प्रयोजनों के लिये शेष नहीं बचेगा।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार नहरकटिया में उपलब्ध गैस से संश्लिष्ट अमोनिया और संश्लिष्ट आरगैनिक खाद तैयार करने की संभावना पर विचार करेगी ?

श्री रघुरामैया : कठिनाई यह है कि जब किसी बिजलीघर, उर्वरक कारखाने अथवा चाय बागान को गैस अलाट कर दिया जाता है और वे उसका प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं तो उसका वैकल्पिक प्रयोग करने से हम वचन पर पूरा नहीं उतर सकते हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि चाहे ऑयल इण्डिया लिमिटेड को मुनाफा हो रहा है इसका 50 प्रतिशत भाग विदेशों को जा रहा है । क्योंकि अशोधित तेल के मूल्य के सम्बन्ध वह तेल मूल्य सूत्र लागू होता है जिसके अन्तर्गत हम भारतीय तेल निगम को बेचे जाने वाले तेल के लिये हम 30 से लेकर 40 रुपये अधिक वसूल कर रहे हैं । इस प्रकार विदेशों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपयें जा रहे हैं ।

श्री रघुरामैया : जब उनके पास 50 प्रतिशत अंश है तो अवश्य ही उन्हें 50 प्रतिशत मुनाफा जायेगा । तेल नीति पर वह समिति विचार करेगी जिसके सदस्यों की हाल में संसद् में घोषणा की गई थी ।

खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज

+

*3.	**श्री पी० पी० एस्थोस :**	**श्री रा० की० अमीन :**
	श्री मुहम्मद इस्माइल :	**श्री बी० ना० देव :**
	श्री शारदानन्द :	**श्री एस० पी० राममूर्ति :**
	श्री बंश नारायण सिंह :	**श्री प्र० न० सोलंकी :**
	श्री ओंकार सिंह :	**श्री ही० ना० मुकर्जी :**
	श्री दी० चं० शर्मा :	**श्री जनार्दनन :**
	श्री कंवरलाल गुप्त :	**श्री श्रीधरन :**
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :	**श्री धीरेश्वर कलिता :**
	श्री ओमप्रकाश त्यागी :	**श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज के लिये टैनेको, जपाटे तथा अन्य अमरीकी तेल सार्थों के साथ बातचीत इस बीच में पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो किये गये करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रूस तथा जापान खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज में सहायता करने के लिये तैयार है;

(घ) यदि हां, तो उनके निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उनकी शर्तों पर विचार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) अधिक उथले पानी में व्यधन के लिए एक स्थिर प्लेटफार्म के डिजाइन में रूस ने सहायता की पेशकश की है । जापान ने अधिक गहरे पानी में एक व्यधन उपकरण को बिक्री

पर प्रदाय करने, इसे शुरु 2 में चालू करने की सहायता और भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। दोनों स्थितियों में निबन्धन और शर्तों के बारे में अभी बातचीत हो रही है।

(ङ) और (च) रूस और जापान के प्रस्ताव अन्य पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : 18 नाम हैं और यह सम्भव नहीं कि सभी 18 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछें।

एक माननीय सदस्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना देने वाले 18 सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन सभी को ही प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि वे सभी न उठ खड़े हों तथा अनुपूरक प्रश्न पूछें; यह अनिवार्य नहीं है। अब श्री एस्थोस।

श्री पी० पी० एस्थोस : तट से दूर की तेल खुदाई के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में गम्भीर स्थिति को तथा भारत के तेल उद्योग पर विदेशी एकाधिकारियों के आधिपत्य के कारण क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तट से दूर की बड़ी खुदाई के बारे में सोचने से पूर्व, विशाल भूमिगत स्रोतों से लाभ उठाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री रघुरामैया : दोनों ही कार्य सामान्तर रूप से चल सकते हैं।

श्री पी० पी० एस्थोस : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार अमेरिका के प्रस्ताव पर सहानुभूति से विचार कर रही है, क्योंकि इसके लिए विश्व बैंक अथवा अमेरिकी परिसहायक ने सलाह दी है; यदि हां, तो वह सलाह कैसी थी तथा क्या उस सहायता के साथ कोई बन्धन भी थे ?

श्री रघुरामैया : मुझे किसी ऐसी सलाह का ज्ञान नहीं है।

Shri Mohammad Ismail: How much more are we paying to the American Company whom we have permitted for deep drilling to explore oil from underneath the sea; and, besides that, whether our own arrangements for exploring oil from underneath the earth have since been completed ? Whether it became essential after our own arrangements were completed or because of your not completing the arrangements since the American Company was working and you love Americans more and you have called the American Company for exploring oil near the sea shore.

श्री रघुरामैया : मेरे विचार से इस बारे में कोई गलतफहमी है। हमने अभी तक किसी अमेरिकन को गहरी खुदाई के लिये अनुमति नहीं दी है।

Shri Shardanand : May I know whether the Government have their own resources and are capable for handling this job so that the need not depend upon these foreignrs or others.

श्री रघुरामैया : मुझे भय है कि गहरी सामुद्रिक खुदाई के लिए हमारे पास प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा साज-सामान की कमी है ।

श्री वी० चं० शर्मा : यही, सभा में हमें कई बार बताया गया है कि भूमिगत खुदाई तथा गहन खुदाई की जानकारी होने के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर होते जा रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कैसे हुआ कि इस खुदाई के बारे में हम अब भी दूसरे देशों से बात-चीत कर रहे हैं तथा इस दिशा में हमने कहां तक उन्नति की है ताकि इस बारे में हमें आत्म निर्भरता प्राप्त हो जाये ?

श्री रघुरामैया : बेशक, भूमि पर अथवा तल पर की खुदाई के बारे में हम काफी प्रवीण हैं, परन्तु जब तटदूर की खुदाई का मामला आता है, तो रूसियों तक ने भी कम गहरे पानी में खुदाई करने में हमारी सहायता करने का प्रस्ताव किया है ; उनके पास गहरे पानी में खुदाई का सामर्थ्य अथवा साज-सामान नहीं है । अत: यह आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे पास भी जल में 30 मीटर से अधिक गहरी खुदाई करने हेतु अनुभव अथवा साज-सामान नहीं है ।

श्री वी० चं० शर्मा : समुद्र में गहरी खुदाई करने में हम कब तक प्रवीण हो जायेंगे, मैं यही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त ।

Shri Kanwar Lal Gupta : This matter is pending for the last one year, This Government has this Constant malady of indecisiveness. Now, when the USSR does not have the technical know-home in regard to exploring oil from deep waters, and only the American Company has given an offer to undertake thus work which is a joint venture and till now. only the Japanese and other western powers have agreed to undertake this job, only on contract basis with the Govt. of India. If it is true, may I know whether the Govt. have taken a decision to get this work done either on contract basis or on a joint Venture basis ? Is it also true this will involve Rs. 15 crores and there has been a loss of Rs. 35 crores on account of taking no decision in this behalf ?

श्री रघुरामैया : अनेक प्रस्ताव आये हैं । सहयोग के बारे में भी प्रस्ताव आये हैं, जैसे कि टेनेको का । फिर हमें ठेके पर खुदाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं । जापानी कम्पनी मित्सुबिशी ने इस ा सुझाव दिया है । एक प्रस्ताव हाऊस आफ होस्टोन की ओर से भी हैं, जिन्होंने सुझाव दिया है कि उपकरणों को यहां बनाकर खुदाई की जाये । इसके बाद एक जर्मन कम्पनी है जिसने एक नया प्रस्ताव किया है । इन सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाना है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सम्मिलित रूप से अथवा ठेके पर खुदाई कार्य कराने के बारे में कोई निर्णय लिया है ?

श्री रघुरामैया : केवल सारी स्थिति को देखकर तथा लाभ के बारे में निश्चय करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जहां तक इस समय देश में कच्चे तेल के उत्पादन के अनुमान का सम्बन्ध है, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1975 तक कच्चे तेल के उत्पादन में तथा पेट्रोलियम उत्पादों की हमारी आवश्यकताओं में 90 लाख टन की कमी आ जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या कच्चे माल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में वर्ष 1975 तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के बारे में कोई कार्य-क्रम बनाया गया है ताकि हम कच्चे माल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात 90 लाख टन तक की कमी कर सकें जो कि भारी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा को बाहर ले जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ईरानी सहयोग से कार्य कर रहा है। दूसरे देशों के साथ सहयोग करने से हमें कच्चा माल मिल रहा है। इन सभी बात को विचारते हुए क्या सरकार हमारे अपने ही तकनीशियनों तथा इन्जिनियरों जो 30 मीटर तक की गहराई में जाने के लिये सुसज्जित हैं, को छिछली खुदाई करने की अनुमति देगी ? हमारे अपने ही तकनीशियनों और इन्जिनियरों द्वारा छिजली खुदाई की जा सकती है ?

श्री रघुरामैया : जहाँ तक छिछलो खुदाई का सम्बन्ध है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इसे करने का प्रस्ताव करता है। हम साज व सामान के लिए रूसी प्रस्ताव से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 9 लाख टन कच्चे माल की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे।

श्री रघुरामैया : हमारे पास कार्यक्रम तथा ध्येय है। कुछ कहने से पूर्व हमें सारी स्थिति को देखना होगा।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether attention of the Govt, has been drawn to the opinion of those scientists that the oil stream in the gulf of Cambay is just like that in Kuwait and Iran and as the earth's level is very low here huge quantity of oil can be available in India and considering all this only the American Companies have offered for a joint venture as a result of which they will take away India's very big shore permanently ? Also I would like to konw from the Government that as the companies from Japan etc, have offered to explore oil by undertaking drilling work on contract basis, and it is more beoificial for India also, would the Govt. of India, then, explain their policy in this regard whether we should explore oil ourselves and not go in for joint venture deal ?

श्री रघुरामैया : यह सच है कि भू-कम्पीय सर्वेक्षण द्वारा खम्बात की खाड़ी में कई काकर्षण रूपरेखाओं का ज्ञान हुआ है यही कारण है कि ऐसे विभिन्न प्रस्ताव आ रहे हैं। हम भी कुछ करने के लिए उपाय कर रहे हैं। यह अभी निर्णय करने की बात है कि खुदाई का कार्य क्या सहयोग, ठेके अथवा स्वामित्व के आधार पर किया जाये।

Shri Om Prakash Tyagi : What sort of reply has aiven by the hon. Minister ? I had asked a specific question and he is not giving a straight answer to that. Repeating my question, I want to ask whether the attention of the Govt. has been drawn to the opinion expressed by those scientist's that there is a very big oil field in the Gulf of Cambay and this is that very oil-stream which exists in Kuwait and Iran and if can become

a great asset to India ; then not going into a joint venture deal would the Govt. get the oil explored solely on their own ?

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही भूकम्पीय सर्वेक्षण के बारे में बता चुका हूं । मैं समझता हूं कि लोग इसे वैज्ञानिक आधार पर करते हैं । उन्होंने कई रूपरेखाओं की खोज की है । क्या हमें यह कार्य स्वयं करना चाहिए अथवा किसी के सहयोग अथवा किसी से ठेके के आधार पर करना चाहिए, ये सब ऐसी ही बातें हैं जिन पर निर्णय लिया जाना है । हमें कुछ एक के बारे में अभी जानकारी की प्रतीक्षा है तथा जब भी हम निर्णय लेने की स्थिति में होंगे हम अवश्य निर्णय लेंगे ।

श्री रा० की० अमीन : मेरी इसमें रुचि नहीं है कि खम्बात की खाड़ी से तेल निकालने में सरकार अमेरिका, या जापान अथवा रूस के साथ सहयोग करती है । मेरी रुचि तो इसमें है कि तेल और गैस काफी मात्रा में प्राप्य हो, सरकार को जितनी जल्दी सम्भव हो इसकी प्राप्ति करनी चाहिए तथा यथा सम्भव शीघ्र इसका उपयोग देश के हितार्थ करना चाहिए । अब तक हमने पाया है कि तेल निकालने के कार्य में सरकार अभी तक बड़ी ही सुस्त रही है तथा गुजरात और आसाम में भी इसके उपयोग के लिए सरकार ने बड़ी धीमी गति से कार्य किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गहरे समुद्र से एलियाबेट तथा एलिया-बेट से छिछले पानी में तेल निकालने का कार्य, विलम्ब करने का एक उपाय है ? दूसरे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमने तेल और गैस का पता लगाया हैं और क्या सरकार के पास उसका तुरन्त उपयोग करने हेतु कोई योजनायें हैं ?

श्री रघुरामैया : यह कहना सत्य नहीं हैं कि खुदाई के कार्य में हम अपना पूरा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । वास्तव में हम 60 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहे हैं । हमारा देश अधिकतम तेल-उत्पादक देशों में से एक है और हमें अपने इन्जीनियरों पर अभिमान होना चाहिये ।

श्री धी० ना० देव : क्या यह सच है कि अभी तक केवल अमरीकी ही गहरे समुद्र में खुदाई करने का तकनीक विकसित कर पाये हैं और अब जापानी भी इस तकनीक का विकास करने की ओर अग्रसर है, और यदि हां, तो फिर सरकार क्यों वाक्लछ कर रही है । क्या कोई दबाव है, सोवियत रूस का, यदि हां तो किसका ?

श्री रघुरामैया : किसी भी ओर से किसी भी प्रकार के दबाव के बारे में किसी भी प्रकार की कल्पना को मैं पहले ही यथाशक्ति अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकार कच्चे तेल के आयात पर प्रतिदिन 33 लाख रुपया व्यय करना पड़ता है ; तथा योजना भवन द्वारा दिये गये एक अनु-मान के अनुसार के इसमें प्रति वर्ष 603 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा—यहां आंकड़ों में शुद्धि भी हो सकती है--व्यय होतो है, तथा इस तथ्य की दृष्टि से कि गहरी सामुद्रिक-खुदाई के लिये भारी पूंजीगत परिव्यय तथा तकनीकी जानकारी एवम् काफी खतरा भी लेना पड़ता है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तेल निकालने का कार्य करते समय आर्थिक पहलुओं पर भी

विचार किया जायेगा या इस पर सिद्धान्त एण्ड सामाजिक-राजनैतिक विचार से देखा जायेगा.......

अध्यक्ष महोदय : वह इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : और दूसरे, तेल निकालने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने में क्या बुद्धिमानी है ?

श्री रघुरामैया : केवल यही मापदंड है कि हम देश के हित का सबसे अधिक ध्यान रखेंगे।

उर्वरकों की खरीद

+
*4. **श्री प० गोपालन :**
श्री नम्बियार :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक खरीदने के लिये इस बीच उर्वरक निर्माताओं से बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक निर्माता फर्मों के नाम क्या हैं और उस करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि बातचीत द्वारा निर्धारित मूल्य विश्व जनीन टेंडर वाले मूल्यों से कम रहें।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री नम्बियार : एक अतारांकित प्रश्न संख्या 38, दिनांक 22 जुलाई, 1968 को था तथा वह प्रश्न संख्या 866 दिनांक 22 अप्रैल, 1968 के संदर्भ में था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने उत्तर को साइक्लोस्टाईल करा कर यहां पढ़ने को तैयार रख रखा है या कि उन्होंने आयात किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों के प्रश्न पर विचार-विमर्श भी किया है। यदि उन्होंने विचार-विमर्श नहीं किया है तो फिर बाधा क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने विश्व-भर में टेंडर भेजे हैं, अथवा कि ये विश्व-टेंडर ही न्युनाधिक इस कार्य की पूर्ति के मार्ग में बाधा है।

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न दिनांक 22 अप्रैल को नहीं था बल्कि अप्रैल से बहुत पहले आरम्भ हुआ था। यह मार्च में पुनः आया था तथा अप्रैल में फिर इसकी आवृति हुई

थी। यह उर्वरकों के क्रय के लिए लम्बी अवधि के ठेके के बारे में था। उस प्रश्न के बारे में मैंने कहा है : (क) "नहीं", और (ख) और (ग) "प्रश्न नहीं उठता।"

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार भी कर रही है ? हम देखते हैं कि कुछ मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जा रहा है। क्या यह थोड़ा-थोड़ा करके आयात किया जाता है या अन्य प्रकार से ? क्या कोई विश्व टेंडर आमन्त्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? देश ये बातें जानना चाहता है।

श्री इकबाल सिंह : प्रश्न उर्वरकों के क्रय हेतु लम्बी अवधि के ठेके से सम्बन्धित था तथा इस सम्बन्ध में यह पूछा गया था कि इस बारे में विश्व-टेंडर दिये गये थे अथवा बातचीत की गई थी। जब हम लम्बी अवधि के ठेके के बारे में विचार कर रहे है तथा इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो हम केवल इसी तरीके से तो उत्तर दे सकते हैं।

छोटा परिवार आदर्श समिति का प्रतिवेदन

+
*5. **श्री रवि राय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या छोटा परिवार आदर्श समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) (क) जी हां।

(ख) इस समिति की सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2068/68]**

(ग) लघु परिवार आदर्श समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। सिफारिशों को लागू करने की कार्यवाही की जाएगी।

Shri Prakash Vir Shastri : It hes been the tradition that persons with large number of children have to pay less income tax and persons with less nu nber of children have to pay more income tax and unmarried persons have to pay much more income tax as with the case of Shri Vajpayee. One of the recommendations given by the Committee is that unmarried persons have to pay much less than the persons with small number of children have also to Pay less tax. I want/to know whether th honorable Minister has consulted with the Finance Minister about the recommendation given by the Committee. If so, then what is the reaction in this.

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह गैर-सरकारी संस्था की केवल एक सिफारिश है और यह बाद में परिषद् के पास विचार करने के लिए लाया जायेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri : I want to know whether the Government are taking any such drastic step in this matter so that the Family planning may impress the people and they follow it.

डा० श्री चन्द्रशेखर : जी हां, लोग इस कार्यक्रम पर आचरण कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : परिवार नियोजन की विधियों पर साहित्य तथा सूचना का प्रचार तथा वितरण करने के अलावा क्या सरकार ने साथ ही साथ अपना काम सीमित परिवारों तक करने की ओर ध्यान केन्द्रित किया है, ताकि यह पता लगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल रहे हैं और इन पर आचरण किया गया है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जी हां, इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : हम विवरण से यह पाते हैं कि :

"समिति ने मालिकों और सरकार के विचारार्थ यह सिफारिश की है कि अगर कोई महिला कर्मचारी, जो निश्चित वेतन समूह तथा आयु स्तर के नीचे है, दूसरा बच्चा होने के बाद वंध्यकरण करा लेती है तो वह एक महीने का वेतन बोनस के रूप में पाने की अधिकारिणी होगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मालिकों के साथ इस प्रश्न पर विचार किया गया और यदि हां तो मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह केवल एक सिफारिश है, इस पर आगे विचार मालिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर किया जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : The Pope, leader of the christians iu Rome, has opposed the implementation of Family Planning of Christians and Mullas of muslims have also oppossed it. There is dissatisfaction among the Hindus because it is being implemented on them only. I want to know from the Government whether they are going to evolve such low throught which it may be implemented for all the Communities ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह केवल स्वैच्छिक कार्यक्रम है, किसी विशेष समुदाय पर दबाव नहीं डाला जा रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Government only say this but, they are implementing it only amongst the Hindus.

Shri Sheo Narain : I want to convey my thank for the fovour in giving me time to ask a supplementary at the last minutes. My friend, who has asked a question just now, has not mentioned about the Indian Culture. My friend is a member of Jan-Sangh. But I want to know from the Government that there is a Code of Indian culture

in which there is a rule to observe Brahamcharya for twenty five years then what the Government is doing to get it observed, from the people.

डा० श्री चन्द्रशेखर : हम परिवार नियोजन के साथ साथ ब्रह्मचर्य के पक्ष में हैं।

Shri Shiv Charan lal : The hon. member has stated that it is a voluntary programme. But I want to know that whether you have also issued such order in which the Government officials have been compelled to bring cases for forced operations, otherwise, they would be dismissed.

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसमें कोई दवबा वाली बात नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. member's reference was to know whether the hon. Minister has such information that high officials particular of his department have made such personal Compulsion on their Subordinates that if they do not bring cases for operations then fines wouldu be imposed on them or they will be dismissed from the service. As such they somtimes bring such persons in whose case operation is not required.

डा० श्री चन्द्रशेखर : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस बात की हमें सूचना दी, अगर हमारे सामने इस प्रकार के दवाब डालने का कोई उदाहरण लाया जायेगा तो हम उस पर कठोर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि यह स्पष्ठ स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसमें किसी प्रकार का दवाब तथा बल प्रयोग नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता, कोचीन

*6. **श्री ई०के० नायनार** :
श्री अ०क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मंत्री 22 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने कोचीन के एक सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता जिन्हें 20,000 रुपये के मूल्य की प्राचीन वस्तुओं तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं नो सामान के रूप में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, के मामले में जांच इस बीच में पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) तथा (ग) : विशेष पुलिस विभाग ने प्राचीन वस्तुओं तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के मामले में अपनी जांच पड़ताल अब पुरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी है जिसकी राय की प्रतीक्षा की जा रही है।

आसाम में कोपिनी परियोजना का स्थान

***7 : श्री निहाल सिंह** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में कोपिनी परियोजना के लिये स्थान चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०कु०ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) जिस स्थल के सम्बन्ध में पहले विचार किया गया था उसका विस्तृत अनुसंधान करने पर यह पता चला कि वहाँ जमीन के नीचे बहुत सी कंदराएं अथवा सुरंगें हैं। अब वैकल्पिक स्थल को ढूढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

***8. श्री स०मो० बनर्जी :**
श्री स०चं०सामन्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का विचार 5 दिसम्बर, 1968 से अनिश्चत काल के लिये हड़ताल करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों के लिये ; और

(ग) सरकार ने बातचीत द्वारा कोई समझौता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने, जो जीवन बीमा निगम के श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों का मान्यता प्राप्त संघ है, निगम के कर्मचारियों को 5 दिसम्बर, 1968 से निम्नलिखित मांगों के लिये अनिश्चित काल तक हड़ताल करने को कहा है:-

(I) यन्त्रीकरण, (II) मांगपत्र तथा निर्णय के लिये पड़ी अन्य शिकायतें, (III) संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को कथित रूप से हानि पहुंचाना।

(ग) समझौते पर पहुंचने के लिये यथोचित उपाय करना जीवन बीमा निगम का काम है।

मैसर्स डोड्साल (प्राइवेट) लिमिटेड

*9. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स डोड्साल (प्राइवेट) लिमिटेड ने 1965 से 1968 तक के तीन वर्षों में श्री कान्ति देसाई को दिये गये मासिक पारिश्रमिक को किस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया है ;

(ख) क्या आयकर विभाग ने इसे राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या आय-कर अधिकारियों ने इस कम्पनी से यह पूछा था कि यह खर्च क्यों किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या आय-कर विभाग ने कम्पनी से यह पूछने का कष्ट किया था कि "पूर्व सेवाओं" के लिये चाहे वे कुछ भी हों, के लिये पारिश्रमक का एक मुश्त भुगतान क्यों नहीं किया गया था ;

(च) क्या यह आय-कर का अपवंचन करने के लिये किया गया था ; और

(छ) क्या सरकार संसद् में तथा बाहर लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस सारे मामले पर पुनर्विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कम्पनी द्वारा अपनी आयकर विवरणियों की पुष्टि में दी गयी सूचना से यह नहीं पता चलता कि रकम किस शीर्ष के अन्तर्गत अदा की गयी थी। वित्तीय वर्षों 1964–65 से 1966–67 तक के लिये कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206 के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों से पता चलता है कि वर्ष के अन्तर्गत वेतन, मजदूरी, वार्षिकियां, पेंशन आदि की कुल अदा की गयी रकम में पारिश्रमिक शामिल किया गया है।

(ख) से (च) : 1964–65 तथा इसके बाद के वर्षों के लिये मैसर्स डोड्साल (प्रायवेट) लिमिटेड के कर-निर्धारण अभी होने बाकी रहते हैं। इसलिये ये प्रश्न नहीं उठते।

(छ) : कम्पनी के कर-निर्धारण अभी होने हैं, इसलिए फिर से कार्यवाही आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

तेलशोधक कारखानों सम्बन्धी करारों का पुनरीक्षण

*10. **श्री के०एम० अब्राहम :**
श्री उमानाथ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलशोधक कारखानों सम्बन्धी करारों का पुनरीक्षण करने के लिये, विदेशी तेल कम्पनियों के साथ अपनी बातचीत इस बीच पूरी कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई है ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम श्रौर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रचार गाड़ियां

***11. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन श्रौर नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिये सरकार ने कुछ प्रचार गाड़ियों का प्रबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन श्रौर नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) (क) श्रौर (ख) सरकार ने परिवार नियोजन प्रचार के लिए किसी प्रचार गाड़ी की व्यवस्था नहीं की है। 15 रेल-इंजनों पर परिवार नियोजन के बड़े साइज के एनैमल बोर्ड लगाये गए हैं। कुल यात्री गाड़ियों के डिब्बों के अन्दर छोटे बोर्ड लगाये गये हैं।

ऐसी पहली रेलगाड़ी जिसके इंजन पर परिवार नियोजन के प्रचार का बोर्ड लगाया गया था 12 सितम्बर, 1968 को छूटी थी। इस माध्यम की सफलता का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के कार्यालय में संगणक

***12. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जि०मो० बिस्वास :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बीमा जीवन निगम के कार्यालय में संगणकों की स्थापना करने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई श्रौर कलकत्ता में एक एक संगणक स्थापित करने का निर्णय जीवन बीमा निगम द्वारा 1964 जितना पहले कर लिया गया था। इस निर्णय को सरकार को पूर्ण

स्वीतिकृ प्राप्त है। जीवन बीमा निगम के कुशल कार्यसंचालन के लिए संगणक आवश्यक है, अतः इस निर्णय को बदलना उचित नहीं समझा गया है।

गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद

***13. श्री अ० दीपा :**
श्री रा०रा० सिंह देव :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद को निपटाने के लिये सरकार के प्रयत्नों के कुछ परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 14 सितम्बर, 1968 को गुजरात विधान सभा में गुजरात के सिंचाई तथा विद्युत मंत्री द्वारा इस बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०कु०ल० राव) (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग) : गुजराज के सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने 13 सितम्बर, 1968 को विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने, नर्मदा परियोजना की कार्यान्विति के संबंध में गुजरात सरकार की निष्क्रियता की कुछ सदस्यों द्वारा की गई आलोचना का उत्तर दिया था। भारत सरकार का विचार यह है कि नर्मदा जल-विवाद को बातचीत द्वारा निपटाने के लिए और प्रयत्न किये जायें।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड

***14. श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड कब और किन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिये स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों, उनके उत्पादन तथा विकास सम्बन्धी लक्ष्यों के अनुसार कारखाने स्थापित करने के लक्ष्य पूरे कर लिये गये थे और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी को स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो किन देशों का सहयोग प्राप्त किया गया था, सहयोग की शर्तें क्या थी और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) कम्पनी इस समय कौन-कौन सी चीजें तैयार कर रही हैं ; उत्पादन की मात्रा क्या है और क्या ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इस उत्पादन में से कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(च) क्या इस समय कम्पनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का विचार इनको कैसे दूर करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) भेषज, औषध-तथा सर्जीकल औजार एवं अकरणों का निर्माण, और व्यापार करने के लिये इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड को 5-4-1961 से एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। कम्पनी के लक्ष्य और उद्देश्यों का पूरा विवरण मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन (Memorandum of Association) में, जो एक प्रकाशित प्रलेख है, दिया गया है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट में यूनिटों के निर्माण तथा कार्यान्विति या उत्पादन तथा विकास की कोई नियत तिथियां नहीं दी गई हैं। तथापि बाद में, निर्माण और कार्यान्विति की तिथियां निश्चत कर दी थीं। एक विवरण-पत्र जिसमें निर्धारित तिथियां और विलम्ब के कारणों के साथ उपलब्धियां बताई गई हैं, सभा पटल पर रख दिया है। **[पुस्तकालय में रखा गया।देखिये संख्या एल० टी० 2015/68]** । जहां तक उत्पादन और विकास का सम्बन्ध है, इस बारे में कम्पनी बजट प्रयोजन के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। पिछले समय में इस तरह निर्धारित लक्ष्यों को मुख्यतः तकनीकी कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) दोनों सरकारों के बीच में 29-5-1959 को हुए करार के अन्तर्गत रूसी सहयोग से सन्यन्त्र स्थापित किये गये है ; जिसके अनुसार रूसी सरकार ने 95.2 मिलियन रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की सहायता दी।

(घ) और (ङ) इस समय कम्पनी द्वारा तैयार किये जा रहे पदार्थ उनकी बिक्री तथा आवश्यकतानुसार निर्यात से सम्बन्धित एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया है। **[पुस्तकालय में रखा गया।देखिये संख्या एल०टी०2015/68]** उत्पाद, भारतीय औषध-कोष में निहित मानकों के अनुरूप हैं।

(च) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2015/68]**

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दौरे के दौरान भत्ते

***15. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कलकत्ता और बम्बई में दौरे पर होने के समय बढ़ी दरों पर दैनिक भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन दरों पर ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि दिल्ली को कलकत्ता और बम्बई की भांति 'ए' ग्रेड नगर घोषित कर दिया गया है, परन्तु दौरे पर आये हुए अधिकारियों को बढ़ी दर से दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता ;

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को दिल्ली में सरकारी कार्य पर आने के समय दैनिक भत्ते के बारे में इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई और कलकत्ता तथा अन्य वर्गों के शहरों में दिये जाने वाले दैनिक भत्ते की दरों का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2016/68**]

(ग) और (घ) दौरे में विभिन्न शहरों में ठहरने, खाने, आने जाने आदि वास्तविक आवश्यकताओं पर सरकारी कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले संभावित व्यय को ध्यान में रखकर ही दैनिक भत्ते की दरें निश्चित की जाती हैं। शहरों के 'ए', 'बी-1', 'बी-2' और 'सी' आदि वर्गीकरण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वर्गीकरण एक भिन्न उद्देश्य से, अर्थात मकान-किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के लिये, किया गया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

*16. **डा० सुशीला नायर** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और चालू वर्ष में इस पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) क्योंकि अनधिकृत बस्तियां भवन-निर्माण योजना की स्वीकृति और भूमि के उचित विकास किए बिना ही बनाई गई थीं, इसलिए इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का स्वभावतः अभाव है।

(ख) फिर भी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण अनधिकृत बस्तियों में, जहां तक सम्भव है, आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पश्चिम कोसी नहर

*17. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4258 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली राज्य क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर के रेखांकन के बारे में नेपाल सरकार का अनुमोदन अथवा उसका उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और शीघ्रता से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या तीन बार सरकारी तौर पर उद्घाटन होने के बावजूद और योजना की कार्यान्विति में बारह वर्षों की अवधि में भी विलम्ब होने तथा इससे 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकने के लाभ को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चौथी योजना अवधि में पूरा करने के लिये विशेष नियतन किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) नेपाल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के संरेखण के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। वहां की सरकार से उच्चतम स्तर पर प्रार्थना की गई है कि वे शीघ्र ही अनुमोदन भेज दें।

(ग) और (घ) चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है। इस परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था बिहार राज्य की योजना के आकार, सिंचाई सैक्टर के लिए आबंटित राशियों और विभिन्न अनुमोदित स्कीमों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सापेक्ष प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

Central Assistance to States for Drought and Flood Relief

***18 : Shri D.N. Patodia ;**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Finance be pleased to State :

(a) whether in view of the serious situation arising out of the famine conditions prevailing in Rajasthan the Central Government have made any special grant to the State to combat the situation ;

(b) if so, the amount so far given or likely to be given ;

(c) whether similar grants have been given to other States which are either affected by drought or floods ;

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Ministr in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) : Yes, Sir.

(b) : An amount of Rs. 1 crore has already been advanced to the State Government to keep them in funds. The question of further assistance will be considerd in the light of the progress of expenditure keeping in view the recommendations of the Central Team which visited the State recently.

(c) : Yes, Sir.

(d) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Financial assistance released to the State Governments* towards natural calamities relief expenditure during 1968-69.

State	(Rs. in crores) Amonnt
1. Andhra Pradesh	7.50
2. Bihar	0.50
3. Gujarat	2.00
4. Kerala	1.00
5. Maharashtra	5.00
6. Mysore	3.63
7. Orissa	3.00
8, Rajasthan	3.00
9. West Bengal	8.50
Total	34.13

*as on 7.11.1968

गन्डक परियोजना

*19. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना पर अब तक दी गई राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) चालू वर्ष में कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) समूची परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और हाल के महीनों में इसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको दूर करने तथा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गण्डक परियोजना पर पहली अप्रैल, 1968 तक कुल 51 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 1964–65 से 1 अप्रैल, 1968 तक 41 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) बिहार के लिए 12 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 6.5 करोड़ रुपये।

(ग) परियोजना के चौथी योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। बराज जून, 1969 तक हर पहलू से पूरा हो जाएगा। तिरहुत नहर के पहले 55 मील भी पूरे हो जाएंगे। अन्य पहुंचों और दूसरी नहरों में कार्य प्रगति कर रहा है।

(घ) 1966 में बाढें समय से कुछ पहले ही आ गई थीं जिसकी सम्भावना नहीं थी ; इन से काफर बांध क्षतिग्रस्त हो गया और प्रगति धीमी पड़ गई। इसके अतिरिक्त एक कारण

यह भी था कि मई, 1966 में आए झंझावात से कालोनी के निर्माण तथा बिजली के प्रतिष्ठान उखड़ गए थे।

अब परियोजना पर कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए हर प्रयत्न किया जाएगा।

यात्रा अभिकरणों के कार्यालयों पर छापा

***20. श्री वि० कु० मोडक :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या वित्त मन्त्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 3558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रा अभिकरणों के विरुद्ध इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उस विदेशी राष्ट्रिक के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है जिसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन करने का मामला है ;

(घ) यदि हां, तो उस विदेशी राष्ट्रिक का नाम तथा राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग), (घ) तथा (ङ): इस मामले की जांच पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 3558 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विदेशी राष्ट्रिक के विरुद्ध इस्तगासा की कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

अशोधित तेल का उत्पादन

***21. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अशोधित तेल का प्रति मास कुल कितना उत्पादन हो रहा है तथा भारतीय तेल शोधक कारखानों में अशोधित तेल का प्रति मास कुल कितनी मात्रा में शोधन किया जाता है ; और

(ख) उपर्युक्त तेल शोधक कारखानों को पैट्रोल, तेल तथा अन्य वस्तुओं की कितनी मात्रा प्राप्त होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) भारत में 1968 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान अशोधित तेल की मासिक उत्पादन

औसत लगभग 485 हजार मीटरी टन थी ; इस अवधि के दौरान विभिन्न शोधनशालाओं में कच्चे तेल के शोधन की मासिक औसत 1333 हजार मीटरी टन थी ।

(ख) जनवरी-सितम्बर, 1968 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादनों का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

	(9000 मीटरी टन)
हल्के आसुत	1980
कैरोसीन्ज़	2241
डीजल्ज़	3268
हैवी एण्डज़	3604
कुल	11,093

विटामिन 'सी' का उत्पादन तथा आयात

*22. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विटामिन 'सी' का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इसके उत्पादकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक उत्पादक द्वारा प्रति वर्ष कितना उत्पादन किया जाता है ;

(ग) देश में विटामिन 'सी' किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ;

(घ) क्या देश में विटामिन 'सी' का आयात किया जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो विटामिन 'सी' का वार्षिक कितना आयात किया गया है ; और

(च) आयातित उत्पादन का मूल्य कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : मेसर्स साराभाई मार्क लिमिटेड बड़ौदा का जो देश में विटामिन 'सी' के केवल उत्पादक हैं, 1962 से लेकर विटामिन सी' का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :-

1962	32.45	मीटरी टन
1963	59.52	,,
1964	77.11	,,
1965	93.79	,,
1966	132.01	,,
1967	75.40	,,

(ग) उक्त पार्टी द्वारा उत्पादित विटामिन सी (प्लेन) बी पी/यू एस पी, रुपये 73.50 प्रति किलो बेचा जाता है ।

(घ) 30 सितम्बर, 1966 के बाद विटामिन 'सी' के आयात का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ङ) 1 अप्रेल, 1965 से 31 अगस्त, 1968 की अवधि में आयातित मात्राएं निम्न प्रकार हैं :

1965–66	42,696 किलो ग्राम
1966–67	287,254 किलो ग्राम
1967–68	197,471 ,,
1968–69	1,700 ,,

(अप्रेल, 68 से अगस्त, 68 तक)

पहली अवधियों में जारी किये गये आयात लाइसेंसों तथा एन० डी० आर० (N.D.R) स्कीम के अन्तर्गत, 1967-68 और 1968-69 के उक्त आंकड़े आयात को बताते हैं।

(च) आयातित विटामिन सी का बीमा-भाड़ा-मूल्य रुपये 24.75 से रुपये 29.24 प्रति किलो है।

नेपाल के साथ लगने वाली पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर माल की तस्करी

*23. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री जे० बी० सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के साथ लगने वाली पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सीमाओं पर वस्तुओं की तस्करी ज़ोरों पर है ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल को तथा नेपाल से आम तौर पर किन-किन वस्तुओं की तस्करी होती है ; और

(ग) तस्करी की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी उपाय गये किये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह सच है कि नेपाल से लगी हुई पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सीमाओं पर माल का तस्कर आयात निर्यात होता है।

(ख) सामान्यत: नेपाल से चोरी छिपे लाई जाने वाली कलाई घड़ियां, फाउन्टेन पेन, सिगरेट लाइटर, कृत्रिम तथा ऊनी कपड़े, ट्रांजिस्टर, चीनी (सुगर), चमकीले धागे (रेशे), सौन्दर्य-प्रसाधन, टार्चें, कैमरे तथा ब्लेडों जैसी उपभोग्य वस्तुएं होती हैं। भारत से नेपाल चोरी छिपे ले जाई जाने वाली वस्तु सामान्यत: जूट होता है।

(ग) भारत–नेपाल सीमा पर तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं तथा निरोधक उपायों को सुदृढ़ बना दिया गया है।

'पेट्रियाट' द्वारा प्राप्त किया गया धन

*24. **श्री मु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फर्मों, व्यापार-गृहों तथा संगठनों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के बारे में कोई नियम है : और

(ख) यदि हां, तो क्या 'पेट्रियाट' ने नेपाल से धन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त अधिकारियों से मंजूरी ली थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत को भेजे जाने वाली रकमों पर मुद्रा विनिमय विनियमों के अधीन कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि प्रत्येक 10,000/- रुपये से अधिक की रकम भेजी जाने की स्थिति में, रकम भेजने का प्रयोजन भी निर्दिष्ट करना होता है। यदि भेजी गई रकम का प्रयोजन पूंजी लगाना हो, तो उस पर नियन्त्रण है।

(ख) भारत और नेपाल के मध्य रुपयों के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः नेपाल से दान मिलने के बारे में किसी प्रकार की मंजूरी लेने का सवाल नहीं उठता।

तस्कर व्यापार में वृद्धि

*25. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 5 वर्षों की तुलना में अब देश में सामान तथा सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1968 से 30 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया ;

(ग) समूचे देश में प्रत्येक छापे में कितने-कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा मानने का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है कि तस्कर आयात-निर्यात बढ़ रहा है।

(ख) से (घ) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी।

राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिये सहायता

*26. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पानी सप्लाई जारी रखने के तुरन्त अनुदान देने के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी राशि मांगी है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राजस्थान सरकार से अकाल ग्रस्त जिलों में चारे और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये दो करोड़ रुपये की पेशगी देने के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) एक करोड़ रुपये पेशगी के रुप में मंजूर किये जा चुके हैं तथा वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किये जाने के बाद और आगे सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

आसाम की सहायता

*27. **श्री हेम बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि आसाम सरकार को इस समय बाढ़, दंगों, विदेशियों की घुसपैठ आदि के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को इस कठिनाई के समय वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) असम सरकार की वित्तीय स्थिति पर इस समय कई कारणों से दबाव पड़ रहा है। किन्तु राज्य सरकार ने चालू वर्ष में भारत सरकार से विशेष वित्तीय सहायता से लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है। यदि इस प्रकार का कोई अनुरोध किया गया तो उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

नर्सों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन

*28. **श्री क० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की नर्सों सम्बन्धी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके जांच निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आयोग द्वारा 23 दिसम्बर, 1968 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जने की सम्भावना है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले

*29. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से 1968 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के कारण पकड़े गये खाद्य पदार्थों, मसालों आदि के निर्माताओं की राज्यवार तथा संघ-राज्य क्षेत्र वार संख्या और नाम क्या है;

(ख) कितने मामलों में एक वर्ष से कम कारावास का दण्ड दिया गया और कितने मामलों में इससे अधिक अवधि का दण्ड दिया गया;

(ग) किन-किन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे मामले नहीं पकड़े गये; और

(घ) किन-किन मुख्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक मिलावट की जाती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गंगा नदी के पानी के दूषित होने के बारे में जांच

*30. **श्री प्र० के० देव :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के पानी के दूषित होने सम्बन्धी आयोग ने मुंगेर के निकट गंगा के पानी के दूषित होने के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जनवरी, 1969 के अन्त तक ।

क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी

1. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्र पर कार्य करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दूसरे शनिवार को छुट्टी नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो वे कर्मचारी किस वर्ग के है; और

(ग) क्या उन्हें किसी अन्य दिन छुट्टी दी जाती है अथवा दूसरे शनिवार को कार्य करने पर कोई भुगतान किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा उपमण्डल के साथ संलग्न नियमित स्थापना के उन गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को, जिनकी उपस्थिति औद्योगिक कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझी जाती है, उन्हें दूसरे शनिवार का अवकाश नहीं दिया जाता। इनमें अनुभागीय अधिकारी (इ० एण्ड० एम० सुपरइन्टेन्डेन्ट तथा केयर-टेकर सहित) स्तर तक के तथा निरीक्षक, लिपिक एवं सहायक वर्ग के कर्मचारी आते है।

(ग) जी नहीं।

मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाना

2. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968-69 में मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने किसी योजना की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक कुल कितने ग्रामों में बिजली लग जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने 24 जून, 1968 को मध्य प्रदेश में नदी-पम्प सिंचाई की स्कीम को स्वीकृत किया जिसमें लगभग 3710 कृषि पम्प-सेटों को ऊर्जित करने और लगभग 350 गांवों के विद्युतिकरण के लिये 162.10 लाख रुपये की कुल लागत का अनुमान है।

(ग) मार्च, 1969 तक जिन गावों का विद्युतिकरण हो जाने की सम्भावना है उनकी संख्या लगभग 2300 है।

मध्य प्रदेश में गावों में बिजली लगाना

3. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने व्यय का प्रस्ताव किया गया है, कितने ग्रामों में बिजली लगाई जानी है और उनके लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती है, और इस योजना के अन्तर्गत बिजली के किन स्त्रोतों का सुझाव दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार की चौथी पंच वर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप में 75,000 कृषि पम्पों को ऊर्जित करने और 6500 गांवों को बिजली देने के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यय राशि का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के लिये अनुमानतः लगभग 200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी जिसे बिजली-उत्पादन की उन स्कीमों से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति से पूरा किया जाएगा जिन पर अभी काम चल रहा है।

यूनाईटेड प्राविंसेस कमर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

4. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्राविंसेस कमर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले के सम्बन्ध में कोई सरकारी अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या है; और

(ग) उक्त मामले के सम्बन्ध में मुअत्तिल किये गये सरकारी अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यूनाइटेड प्राविंसेस कमर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के निम्नलिखित तीन अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया था :

नाम	पदनाम
(1) श्री बी० आर० सुब्रह्मण्यम	सहायक निदेशक (पूर्ति), ग्रेड I.
(2) श्री एस० एन० चक्रवर्ती	अनुभाग अधिकारी
(3) श्री एस० बी० दत्त	निरीक्षण अधिकारी

उपरोक्त तीन अधिकारियों में से क्रम संख्या (1) और (2) के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुअत्तली के आदेश रद्द कर दिए गए है।

जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन

5. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कर्मचारियों द्वारा राज्यवार कितने व्यक्तियों का जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन किया गया है;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है;

(ग) उन व्यक्तियों की राज्यवार क्या संख्या है जो नसबन्दी आपरेशन के बाद घाव पक जाने के कारण मर गये;

(घ) जबरदस्ती आपरेशन किये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें सभी राज्य सरकारों को पहले ही जारी कर दी गई है ।

क्लोरोटेटरासाइक्लीन प्लांट का आयात

6. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरभद्र एन्टीबायोटिक्स प्लांट के भूतपूर्व उप-अधीक्षक डा० अरोड़ा ने अपने किसी प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि क्लोरोटेटरासाइक्लीन क्षमता को काफी कम कर दिया जाय क्योंकि अब इसका मनुष्यों द्वारा अधिक उपभोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि एक तकनीकी समिति के विचार भी डा० अरोड़ा से मेल खाते थे; और

(ग) यदि हां, तो क्लोरोटेटरासाइक्लीन प्लांट का आयात करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) और (ग) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड

7. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोगों पर लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेंस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा वीरभद्र ऋषिकेष में तैयार की गई प्रतिजीवाणु औषधियां भारतीय औषध विज्ञापन के मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रारम्भिक स्तर की इस कमी को कैसे पूरा करने का विचार है;

(ग) क्या कारण है यह टीका लगाने वाली या अनुर्वर करने की पेंसिलीन की एक भी शीशी बाजार में बिक्री के लिये अभी तक नहीं आई है;

(घ) "नान-स्टाराइल" पेंसिलीन बनाने की इस कारखाने की लक्षित क्षमता की तुलना में वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) समय पर औषधि बनाई जायं तथा कारखाना पूरी क्षमता पर चले, इसके लिये इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामय्या) : (क) और (ख) यह सही नहीं हैं। उत्पादकों के रसायनिक यौगिक अब भारतीय औषध विज्ञापन के मानकों के अनुरूप है, लेकिन समस्या कुछ कणों की अशुद्धताओं से बचने की है जो उत्पादन की प्रारम्भिक स्थितियों में पाई गई है. इस उद्देश्य के लिए रूसी विशेषज्ञों की सहायता से उचित कदम उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में निश्चित सुधार हुआ है और यह आशा है कि शीघ्र ही त्रुटि पर पूर्णतया काबू पा लिया जायेगा।

(ग) यद्यपि सोडियम पेंसिलीन की शीशियों की कुछ मात्रा बाजार में बिक्री के लिए तैयार हैं, तो भी वह बाजार में नहीं लाई जा रही है क्योंकि नितान्त आधार पर सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक कण सम्बन्धी समस्या पर पूर्णतया काबू नहीं पा लिया जाता है।

(घ) और (ङ) : इस समय सन्यन्त्र 6.5 मीटरी टन लक्षित क्षमता के मुकाबले में पोटाशियम पेंसिलीन का प्रति वर्ष 1.3 मीटरी टन की दर से उत्पादन कर रहा है। यद्यपि उच्चतर उत्पादन सम्भव है, तो भी उपर्युक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए इससे परिहार किया जा रहा है। एकदा कठिनाइयों पर काबू पा लेने पर उत्पादन को बढ़ाया जायेगा।

मैसूर में मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

8. **श्री सिद्धय्या** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में 1 अक्तूबर, 1968 को मैसूर राज्य की विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1968-69 में 1 अक्तूबर, 1968 तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियों के लिये कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिये थे और कितनों को छात्रवृतियां दी गई; और

(ग) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में 1 अक्तूबर, 1968 तक मैसूर राज्य में मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के लिये आवेदन करने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है कि जिनके माता पिता की वार्षिक आय 500 रुपये या इससे अधिक है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क), (ख) तथा (ग) विस्तृत सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के लिये छात्रवृत्तियां

9. **श्री सिद्धय्या :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में और 1968-69 में । अक्तूबर, 1968 तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के लिये, आवेदनपत्र देने वाले ऐसे अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिनके माता पिता की मासिक आय 500 रुपये या इससे अधिक है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : विस्तृत सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

आय-कर सम्बन्धी अपीलें

10. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या वित्त मंत्री करदाताओं की अपीलें तथा सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों के सम्बन्ध में यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में देश में विभिन्न भागों में पृथक-पृथक आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा कुल कितनी अपीलों का फैसला किया गया, कितने प्रतिशत अपीलें स्वीकार की गई, अशतः स्वीकार की गई तथा खारिज की गई, और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करदाताओं द्वारा दायर की गई अपीलों की तुलना में सरकार द्वारा दायर की गई अपीलें अधिक प्रतिशतता में खारिज हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसी हिदायतें देने का है कि वह न्यायाधिकरणों के समक्ष ऐसी अपीलें दायर करने से पहले समुचित सावधानी बरते और कानून/राय भी ले; और

(ग) सरकार की खारिज हुई अपीलों पर कितना धन खर्च हुआ ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मांगी गई सूचना अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध है । प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग आंकड़े इसलिये नहीं रखे जाते क्योंकि कुछ न्यायाधिकरण पीठों का अधिकार क्षेत्र एक से ज्यादा राज्यों तक है । पिछले पांच वर्षों में न्यायाधिकरण द्वारा निपटाई गई आयकर विभाग तथा निर्धारितियों की अपीलों की कुल संख्या तथा उनके परिणामों का विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2017/68]**

(क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर आयुक्तों को समय-समय पर आदेश जारी किये हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल चुने हुए मामलों में ही न्यायाधिकरण में अपीलें दायर की जाये । आयकर आयुक्त को, आयकर कानून के अन्तर्गत, आयकर अपीली-

य न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों के फैसलों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है, और वह जिन मामलों में आवश्यक समझता है, विभाग के स्थायी सलाहकार से राय लेता है।

(ग) न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिये आयकर विभाग को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इसमें अलग से कुछ खर्च भी नहीं आता, क्योंकि जो विभागीय प्रतिनिधि न्यायाधिकरण के पीठों से सम्बद्ध हैं वे विभाग के वेतन पाने वाले सहायक आयकर आयुक्त अथवा आयकर अधिकारी संवर्ग के होते हैं। ये विभागीय प्रतिनिधि, निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलों में तथा साथ ही विभाग की ओर से दायर की गई अपीलों में भी, विभाग की ओर से पैरवी करते हैं। बहुत थोड़े ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें स्थायी विभाग के स्थायी कानूनी सलाहकार को न्यायाधिकरण के सामने पैरवी करनी होती है। अतः सरकार द्वारा दायर की गई नामंजूर अपीलों में ग्रस्त व्यय का अलग से हिसाब लगाना संभव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत आय-कर सम्बन्धी अपीलें

11. श्री चं० चु० देसाई : क्या वित्त मंत्री करदाताओं की अपीलों तथा सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों के सम्बन्ध में यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल कितनी अपीलों के बारे में निर्णय दिया गया, कितने प्रतिशत अपीलें स्वीकार की गई, अंशतः स्वीकार की गई तथा खारिज की गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता की सम्भावनायें

12. श्री अदिचन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री जि० मो० बिश्वास :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
डा० सुशीला नैयर :
श्री बलराज मधोक :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री धी० ना० देव :
श्री सीता राम केसरी :
श्री रवी राय :
श्री जुगल मंडल :
श्री देवेन सेन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना के लिये विदेशी सहायता की सम्भावनायें बहुत कम है;

(ख) यदि हां. तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के लिये आन्तरिक संसाधनों को अधिक से अधिक जुटाये गये क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चौथी योतना के लिऐ विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अभी तक अन्तिमरूप से अनुमान नहीं लगाया गया है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ख) अधिक से अधिक आन्तरिक साधन जुटाने की समस्या पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें ध्यान दे रही है।

(ग) इन उपायों का पता चौथी पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही चलेगा।

Production of Naptha and Kerosene

13. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the production of petrol, the production of Kerosene and that of naptha are inter-linked and if the production of kerosene is increased, the production of naphtha would decrease;

(b) if so, whether the target of decreasing the production of kerosene is also included in the target of setting up of naphtha-based fertilizer factories;

(c) whether the refineries are likely to earn more profit by producing naphtha instead of kerosene; and

(d) if not, the reasons for which Government propose to resort to production which is comparatively less profitable ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir, ordinarily. But with the provision of secondary processing facilities it is possible to correct such a tendency and maintain the production of naphtha.

(b) and (c) No, Sir.

(d) In a refinery, it is not practicable to produce the highest priced products only. The production of certain lower priced products. such as naphtha, is necessary for technical reasons as well as for meeting the market demand.

Research and Development Division, Sindri

14. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the nature of research so far made by the Research and Development Division Sindri in regard to organic menure; and

(b) whether it is a fact that they have produced a unique manure which can serve both as manure and food; and

(c) if so, the percentage of nitrogen and protein therein, the cost of production thereof and the scheme formulated by Government for its production ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The Planning and Development Division, Sindri has undertaken research on the following:-

(i) Research on the treatment of effluent of Fertilizer factories which are contaminated with nitrogenous compounds.

(ii) Investigation on Algae as organic manure with a view to reduce loss of nitrogen from fertilizer applied to waterlogged soil by oulturing algae as cover crop in paddy fields just before transplanting pandy.

(iii) **Algae protein as food for animals**; In view of the high protein contents of algal cells and their ability to convert inorganic nitrogen to organic forms, studies are going on the convert fertilizer chemicals to proteinaoeous substances.

(b) The Planning & Development Division has undertaken research on the production of food and manure by biological synthesis, but the work is still in a developmental stage.

(c) The percentage of nitrogen of algal cells varies between 5-10% and that of protein 40-70%. One species of Chlorella has been noted to contain 8-10% nitrogen and 60-70% protein. The research is still being conducted in the laboratory and cost of production has not yet been worked out. No scheme for its mass production has so far been formulated as the work is still in a developmental stage.

Rationalisation of Sindri Fertilizer Factory

15. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of rationalisation of Sindri Fertilizer Factory is under consideration since 1964;

(b) whether the scheme has since been finalised;

(c) if so, the outcome details thereof; and

(d) If not, the reasons thoreof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes. Sir.

(c) The Sindri Rationalisation Scheme envisages additional production of about 156,000 tonnes of P_2O_5 per year in the form of Triple Superphosphate in addition to the existing products at the Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India Ltd. The scheme will use sulphuric-acid produced from Amjhore pyrites for the production of phosphoric acid. Gypsum will also be produced as a by-product in the process. The phosphoric acid will be used for the production of Triple Superphosphate while the by-product gypsum will be used for the production of ammonium sulphate in place of mineral gypsum used at present. The scheme is estimated to cost about Rs. 23 crores including a foreign exchange component of Rs. 5.93 crores.

(d) Does not arise.

केरल में कल्लाड़ा, कुटियादी और पाजहेसी परियोजनाएं

16. श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री पं० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कल्लाडा कुटियादि तथा पाजहेसी परियोजना के निर्माण के हेतु प्रत्येक योजना के लिए 50,000 रुपये मंजूर करने की केरल सरकार की प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग): संसाधनों की तंगी के कारण राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे किन्हीं और क्षेत्रों (सैक्टरों) में बचत करें और उसे इन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रयोग में लाएं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

17. श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री निम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन का इस बीच अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो परीक्षा के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम औररसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को नये क्षेत्रों से सम्बन्धित और अन्वेषण तकनीकी की सिफारिशों को लागू करने की हिदायत कर दी है, जिसमें विस्तृत भूकम्पीय

सर्वेषण, उपलब्ध तेल भण्डारों के समुपयोजन का विस्तार, खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में अतटीय अन्वेषण, क्षेत्रों में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण इत्यादि शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा से अधिक जल प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की मांग

18. श्री रवि राय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में दिल्ली में विशेषज्ञ स्तर की बात चीत के पिछले दौर में पाकिस्तान ने गंगा का जल 3500 क्यूसिक से बढ़ाकर 49,000 क्यूसिक करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के जल संसाधन विशेषज्ञों की विविध बैठकों में, पाकिस्तान द्वारा बताई गई आवश्यकतायें निम्नलिखित हैं;

बैठकें	अप्रैल में मांग (क्यूसेक)
जून-जुलाई, 1960 में हुई पहली बैठक तक	3500
दूसरी बैठक, अक्तूबर, 1960	18090
तीसरी बैठक, अप्रैल, 1961	29352
चौथी बैठक, दिसम्बर, 61-जनवरी, 62	32010
पांचवी बैठक, मई, 1968	49000

मिट्टी के तेल में रसायनिक तत्व (एजेन्ट)

19. श्री ई० के० नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री धी० कु० मोडक :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5847 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल में पहचान के लिए रसायनिक तत्व मिलाने के प्रस्ताव पर इस बीच में विचार किया है ताकि तीव्र गति डीजल तेल में उसकी मिलावट का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) आगामी कुछ महीनों में, सीमित क्षेत्र में योजना को परीक्षण आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आय कर की बकाया राशि

20. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर की कुल बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कुछ समवायों अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमें चलाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में; और

(घ) 1 सितम्बर, 1968 को आय-कर की कुल बकाया राशि कितनी थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आय-कर की वसूल होने योग्य बकाया रकमों को यथासम्भव शीघ्र वसूल करने के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किये गये हैं।

(i) सभी आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में बकाया की वसूली के काम को राज्य सरकार के पास से आय-कर विभाग द्वारा अपने हाथ में ले लेना।

(ii) विशेष वसूली के अतिरिक्त एककों की स्थापना।

(iii) चालू वर्ष में जारी की गई मांगों की वसूली पर अधिक ध्यान देना।

(iv) बकाया मांगों की वसूली पर अधिक सूक्ष्म निगरानी रखना।

(v) वसूली के काम पर विशेष ध्यान देते हुए कर्तव्यों के अनुसार कार्य विभाजन योजना में और भी अधिक सुधार करना।

(vi) बम्बई और कलकत्ता शहरों में कर वसूली अधिकारियों के काम के सम्बन्ध में मार्गदर्शन और निगरानी के लिये अलग से एक-एक सहायक आय-कर आयुक्त नियुक्त करना।

(ख) तथा (ग) : आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की धारा 76 ने कर वसूली अधिकारी को अधिकार दिया हुआ है कि वह कर की अदायगी में चूक करने वाले व्यक्ति को दीवानी हिरासत में बन्द करने का आदेश जारी कर सके। इसलिए कर की अदायगी में चूक करने वाले के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है।

जिन कम्पनियों और अन्य मालिकों ने अपने कर्मचारियों के वेतन से आय-कर की रकमें काट ली हैं परन्तु उन्हें सरकार के खातों में जमा नहीं कराया है, ऐसी कम्पनियों और मालिकों के खिलाफ इस्तगासे दायर किये गये हैं। इस्तगासे के ऐसे मामलों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) आय-कर की बकाया जैसी 31-3-1968 को थी उसके बारे में सूचना उपलब्ध है। उस तारीख को ऐसी बकाया की रकम 374.51 करोड़ रुपये थी।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

21. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बे० कृ० दास चौधरी
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री हेमराज :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य सितम्बर तथा अक्टूबर, 1968 में बढ़ गये थे;

(ख) यदि हां, तो मूल्य कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें 31 अगस्त, 1968 और 19 अक्टूबर, 1968 अर्थात उस अन्तिम तारिख के जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, बीच की अवधि में 31 वस्तुओं। समूहों के मूल्यों में हुई घट-बढ़ का ब्यौरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2018/68**]। 31 वस्तुओं में से 13 वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, 8 के मूल्यों में कमी हुई और बाकी दस वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे। इस अवधि में सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचक अंक में हुई वृद्धि 1 प्रतिशत बैठती है।

(ख) सरकार मूल्यों की स्थिति पर बराबर नजर रखती है और स्थिति के अनुसार जरूरत पड़ने पर आवश्यक उपाय करती है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, जिसके उपबन्ध सितम्बर, 1967 से और अधिक कड़े बना दिये गये हैं, राज्य सरकारों। संघीय राज्य क्षेत्रों को अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए काफी अधिकार दे दिये गये हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

22. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के हेतु 1968-69 के लिये राज्य-वार कितनी-कीतनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें 1968-69 की वार्षिक आयोजनाओं के लिये निर्धारित की गई केन्द्रीय सहायता की रकमों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2019/68)**

श्री कान्तिलाल देसाई और श्रीमती पद्मा देसाई की आय

24. श्री मधु लिमये :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-68 में हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता के रूप में श्री कान्ति देसाई की कितनी आय निर्धारित की गई थी;

(ख) 1960-68 में अपने दो बच्चों के अभिभावकों के रूप में श्री कान्ति देसाई तथा श्रीमती पद्मा देसाई की कितनी आय निर्धारित की गई थी; और

(ग) इस अवधि में उक्त दोनों हैसियतों में उन्होंने वास्तव में कितना आयकर दिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) श्री कान्ति लाल देसाई ने अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्त्ता की हैसियत से 1960-61 से लेकर 1967-68 तक के किसी भी कर निर्धारण-वर्ष के लिए आय की विवरणी दाखिल नहीं की है।

(ख) तथा (ग): अपने दो नाबालिग बच्चों के अभिभावक की हैसियत से श्री कान्तिलाल देसाई का कोई आय-कर निर्धारण नहीं किया गया है। किन्तु श्रीमती पद्मा देसाई का उनके अभिभावक की हैसियत से कर निर्धारण हुआ है। निर्धारत की गई आय तथा आयकर के रूप में अदा की गई वास्तविक रकमों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2020/68**) ।

Theft of Transformers in Agra District

+25. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of transformers stolen separately during the last two years from he Development Blocks in Agra District alongwith the names of these Development Blocks;

(b) the amount of loss suffered by Government as a result thereof;

(c) whether it is also a fact that the Electricity Board employees have stolen large quantity of copper wire after burning rubber insulation coverings on the cables;

(d) whether it is further a fact that bungling to the tune of twelve lakhs of rupees has been done in the Electricity Department, Agra District; and

(e) if so, the action being taken by Government against the culprits ?

The Deputy Minister in the Ministry, of Irrigation and Pcwer (Shri Siddheshwar Prasad): (a) During the last two years in clusive of 19 8, 14 transformers have been stolen, two in Ferozabad Block, one in Kharagarh Block, two in Bah Block and the remaining nine in Etmadpur Block.

(b) The cost of these transformers has been estimated at approximately Rs. 48,000.

(c) Some of the Boards employees were suspected to be involved in the theft of transformers indicated in reply to (a) above and of copper wire.

(d) No such case has come to the notice of the U. P. State Electricity Board.

(e) The services of 10 of the employees indicated in reply to part (c) above have been terminated. Two officers have been suspended in respect of complaints relating to irregularities in connection with theft of electricity and giving of unauthorised connections, pending further investigation into these complaints.

दक्षिण वियतनाम को अस्फाल्ट का निर्यात

26. **श्री अब्राहम :**
श्री नम्बियार :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच काल्टेक्स से दक्षिण वियतनाम को 5000 टन अस्फाल्ट भेजने के बारे में ब्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल के कार्यालयों से पकड़े गए कागजात

27. **श्री अब्राहम :**
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 में केन्द्रीय सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा आय-कर विभागों की सहायता से प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में अमीनचन्द प्यारेलाल के कार्यालयों की तलाशी ली थी और कुछ कागजात पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये कागज़ातों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पकड़े गये कुछ कागज़ातों से मालूम होता था कि विदेशी मुद्रा विनियम का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल पर अभियोग चलाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों के अधिकारियों की सहायता से अप्रैल, 1968 में मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली स्थिति कार्यालयों की तलाशी ली थी।

(ख) तथा (ग): पकड़े गए ऐसे कागजातों की छानबीन की जा रही है, और इस समय उनके ब्यौरे प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। पकड़े गए कुछ कागजातों से प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन के उल्लंघन का पता चलता है।

(घ) तथा (ड.): इस मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और इस न्यायालय से ऐसा न्यायादेश प्राप्त किया है, जिससे विभाग को, ली गई तलाशियों तथा पकड़े गए कागजों पर से मुकम्मल आज्ञाएं देने से रोक दिया गया है।

डालमियां-जैन ग्रुप की कुछ कम्पनियों पर कर की बकाया राशि

28. श्री अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री रमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बैनेट कोलमैन से 3.23 लाख रुपये, मैसर्स भारत निधि से 28.29 लाख रुपये और साहू जैन लिमिटेड से 21 लाख रुपये के कर की बकाया राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह बकाया राशि समय पर वसूल नहीं की जा रही है और इनके विरुद्ध जांच पिछले 10 वर्ष से पूरी नहीं की गई है क्योंकि आयकर अधिकारी इन कम्पनियों के साथ मिले हुए हैं।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ङ.) इसके क्या परिणाम निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी की तरफ 3.23 लाख रुपये की बकाया रकम कर-निर्धारण वर्ष 1958-59 (1.73 लाख रुपये) तथा 1962-63 (1.50 लाख रुपये) से सम्बन्ध रखती है। वर्ष 1958-59 का कर निर्धारण अपील में रद्द कर दिया गया है, तथा वर्ष 1962-63 का जो कर-निर्धारण धारा 144 के अधीन किया गया था, उसे धारा 146 के अधीन नये सिरे से किया जा रहा है। अतएव इस मामले में कर की अभी कोई रकम बकाया नहीं है।

मैसर्स भारत निधि लिमिटेड की तरफ 28.29 लाख रुपये की बकाया रकम के बारे में अपील की गई है तथा अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपीलों का निर्णय होने तक वसूली रोक दी गई है।

मैसर्स साहू जैन लिमिटेड की तरफ 21 लाख रुपये की बकाया रकम में से 16 लाख रुपये की अपील में मांग अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील में खारिज कर दी गयी है। बाकी बची 5 लाख रुपये की मांग कर निर्धारण वर्ष 1957-58 (1 लाख रुपये) तथा 1959-60 (4 लाख रुपये) के सम्बन्ध में है। पहली अपीलों का निपटारा होने तक 5 लाख रुपये की इन बकाया मांगों की वसूली, स्थगित कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) यह प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन पखवाड़ा

29. श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा अन्य राज्यों में हाल ही में हुए परिवार नियोजन पखवाड़े में क्या-क्या सफलतायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या प्रत्याशित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) (क) अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सितम्बर, 1968 में आयोजित परिवार नियोजन पखवाड़े की सफलताएं इस प्रकार हैं:—

	नसबन्दी	लूप
पंजाब	9,288	7,508
अन्य राज्य	1,19,329	32,661

अनेक राज्यों से अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) भारत सरकार ने इस पखवाड़े के लिये कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे।

(ग) जिला और ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक समारोहों के आयोजन के लिए नाममात्र की व्यवस्था के अलावा किसी अलग खर्च की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह खर्च इस वर्ष के लिए नियत की गई कुल व्यवस्था में से ही पूरा किया जाना था।

व्यास परियोजना के पूरा होने में बिलम्ब

30. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से का खर्च न देने के कारण व्यास परियोजना के पूरा होने में कुछ वर्षों की देरी हो जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार ने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना को 1970-71 में पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) व्यास परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण ये हैं। (1) विदेशी मुद्रा के ऋण सम्बन्धी समझौतों को देरी से अन्तिम रूप मिला और इसके परिणामस्वरूप विदेशों से निर्माण उपकरण प्राप्त करने में देरी हो गई और (2) संसाधनों की तंगी। पूरा करने के लिए अब निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

यूनिट 1 (व्यास-सतलज लिंक)

व्यास-सतलज लिंक के जरिये पानी का व्यपवर्तन (डाइवर्जन)	दिसम्बर, 1972
बिजली संयन्त्र	मार्च, 1973

यूनिट 2 (पोंग पर व्यास बांध)

पोंग पर व्यास बांध को पूरा करना	जून, 1973
बिजली संयन्त्र	दिसम्बर, 1974

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के जिलों में मलेरिया

31. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के संगरूर, पटियाला तथा भटिंडा जिलों में मलेरिया गम्भीर रूप से फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में मलेरिया के कितने मामले हुए हैं; और

(ग) इस रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, पंजाब के संगरूर, पटियाला तथा भटिंडा जिलों में मलेरिया का प्रकोप गम्भीर रहा है।

(ख) 24-10-1968 तक मलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है: ..

पटियाला	738
संगरूर	2160
भटिंडा	548

(ग) मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव कार्य पूर्णरूप से किया गया है। पोजिटिव रोगियों का आमूल उपचार, जन-सम्पर्क, रक्तसर्वेक्षण तथा सामूहिक तौर पर रोगियों का उपचार जैसे अन्य निरोधी उपाय भी, आवश्यक समझा गया, बरते गये हैं।

नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

32. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी स्थापना के समय कितनी थी और 31 मार्च, 1968 को यह पूंजी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को कारपोरेशन की ऋण के रूप में कितनी राशि केन्द्रीय सरकार को, कितनी बैंकों को और कितनी अन्य लोगों को देय थी;

(ग) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन ने कितनी राशि ब्याज के रूप में दी है;

(घ) निगम के गत तीन वर्ष में काम के क्या परिणाम हैं; और

(ङ) कितना लाभ अथवा हानि हुई और यदि हानि हुई तो उसके क्या कारण थे और 1968-69 के लिए इसके क्या अनुमान हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क)

प्राधिकृत पूंजी : 2 करोड़ रुपये (आरंभ से ही यह एक समान बनी रही)

प्रदत्त पूंजी :

जब स्थापित किया गया	3 लाख रुपये।
31 मार्च, 1968 को	135 लाख रुपये।

(ख) केन्द्र सरकार को		155.42 लाख रुपये
बैंक को		19.25 लाख रुपये
अन्य पार्टियों को		कुछ नहीं
	जोड़--	174.67 लाख रुपये

(ग) 37.61 लाख रुपये ।

(घ) तथा (ङ) :

वर्ष	घाटा रुपये
1965-66	20.51 लाख
1966-67	17.18 लाख
1967-68	7.87 लाख
1968-69	4.00 लाख (पूर्वानुमानित)

घाटे का मुख्य कारण यह था कि निगम को ठेकेदारों से प्रतियोगिता करनी होती है। ठेकेदारों का ऊपरी व्यय राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड की तुलना में बहुत कम होता है तथा उनका कार्य करने का ढंग भिन्न होता है ।

विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिये विधेयक

33. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
डा० सुशीला नायर : **श्री रा० बरुआ :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विवाह के लिये आयु सीमा बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों को एक विधेयक का मसौदा परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस बीच विधेयक के मसौदे पर अपने विचार भेज दिये हैं और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने विधेयक के पारित किये जाने से सहमति व्यक्त की है और किन-किन राज्यों ने इसका विरोध किया है;

(घ) क्या विधेयक के किन्हीं विशेष खण्डों के बारे में विरोध प्रकट किया गया है और यदि हां, तो वे कौन से खण्ड हैं और खण्डों को रखने का औचित्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसी सत्र में इस विधेयक को पारित करने का है;

(च) यदि नहीं, तो क्यों; और

(छ) क्या जनमत को जानने का भी प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) विधेयक के मसौदे में बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929, को संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो आजकल क्रमश 18 वर्ष और 15 वर्ष है; को बढ़ाकर क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष किया जा सके ।

इस प्रस्तावित विधान की सफलता अधिकांश रूप में जनता के सहयोग पर निर्भर करती है, इसलिये एक राज्य के लिये या उसके किसी निर्दिष्ट हिस्से में एक अफसर को नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो 'बाल विवाह प्रतिबन्ध अफसर' कहलायेगा । इस अफसर का कार्य प्रस्तावित विधान की शर्तों का उल्लंघन करने, वाले विवाहों को, अधिनियम या उसके नियमों के अधीन उचित कार्यवाही करके, जहां तक सम्भव हो सके, रोकना है ।

राज्य सरकारों से प्रस्तावित विधेयक पर, विशेषकर निम्नलिखित पर, अपने विचार प्रकट करने के लिये अनुरोध किया गया है:-

(1) विधेयक में जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, क्या न्यूनतम निर्धारित आयु उससे अधिक होनी चाहिये;

(2) बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम,1929, के अन्तर्गत किए गए अपराधों को हस्तक्षेप समझना चाहिये ।

(ग) अभी तक एक राज्य सरकार ने ही अपने विचार भेजे हैं जो कि विवाह योग्य आयु की सीमाओं में मूल परिवर्तन के पक्ष में हैं । अन्य राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) इस विधेयक को चालू सत्र में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

(च) ज्यूंही राज्य सरकारों और जनता के विचार प्राप्त हो जायेंगे और उनकी जांच पड़ताल आदि कार्य पूरा हो जाएगा, विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

(छ) जी हां ।

कीमतों में वृद्धि

35. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री बे०कु० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :
श्री आदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में जुलाई से सितम्बर के महीनों के दौरान खाद्यान्नों, खाद्य वस्तुओं और औद्योगिक माल की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) इन महीनों में सभी वस्तुओं की थोक कीमतों का सूचकांक क्या था और खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और औद्योगिक माल का अलग-अलग सूचकांक क्या था;

(ग) एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में उक्त वस्तुओं का सूचकांक क्या था; और

(घ) बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद सभी वस्तुओं, जिनमें खाद्यान्न भी हैं, की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ग) इन महीनों में इन वस्तुओं के मूल्यों का रूख बढ़ने की ओर रहा है। सभी वस्तुओं, खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों तथा औद्योगिक वस्तुओं के जुलाई से सितम्बर, 1968 तक के और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के थोक मूल्यों के सूचक अंकों के मासिक औसत का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2021/68]।

(घ) चूंकि वर्ष के इन महीनों में कामकाज कम होता है, इसलिए इन महीनों में मूल्यों का बढ़ जाना, आम मौसमी बात है। लेकिन जुलाई और सितम्बर, 1968 के बीच थोक मूल्यों के सूचक अंक में जो वृद्धि हुई, वह मुख्य रूप से दालों, खाद्य तेलों और औद्योगिक कच्चे माल, खासकर तेलहन और कच्चे जूट के मूल्यों मे इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना के कारण हुई। सितम्बर, 1968 में अनाज के मूल्य एक वर्ष पहले के इन्हीं महीनों के मूल्यों के मुकाबले 10.3 प्रतिशत कम थे।

पैट्रोल और डीजल से प्राप्त होने वाले राजस्व में गुजरात राज्य का हिस्सा

36. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पैट्रोल और डीजल की बिक्री से वसूल होने वाले कर के हिस्से के रूप में गुजरात राज्य की स्थापना के समय से लेकर मार्च, 1967 के अन्त तक गुजरात को कुल कितना वार्षिक अनुदान दिया गया;

(ख) गुजरात राज्य में पैट्रोल और डीजल की बीक्री राज्य की स्थापना के समय से लेकर मार्च, 1967 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कर के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) उक्त अवधि में गुजरात में प्रति वर्ष पैट्रोल तथा अन्य प्रकार के ईंधन की बिक्री से वसूल किये गये कर की राशि में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना था ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) गुजरात में बेचे गये पैट्रोल और डीजल आदि पर वसूल कर की कुल रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें राज्य की स्थापना के समय से लेकर मार्च, 1967 के अन्त तक की अवधि में राजस्वों में से पैट्रोल पर (केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत) लगाये कर के उसके हिस्से के निमित्त इसी अवधि में गुजरात को दिया गया

कुल वार्षिक अनुदान और गुजरात में शोधक कारखाने तथा बिक्री केन्द्रों से निकास किये गये पैट्रोल तथा डीजल आदि (अर्थात सभी पैट्रोलियम उत्पादों) पर वसूल किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम दिखायी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2022/68**]

(ग) गुजरात में प्रतिवर्ष पैट्रोल तथा अन्य ईंधन की बिक्री पर लिये गये कर के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुपात निकालना संभव नहीं है।

गुजरात में परिवार नियोजन आपरेशन

37. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जनवरी, 1968 से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के ओपरेशन किये गये और उनमें जिलेवार पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने कितनी राशि व्यय की;

(ग) ऐसे ओपरेशन के लिए डाक्टरों और ऐसे व्यक्तियों को कितनी राशि दी गई;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1967-68 में गुजरात सरकार को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1968 तक की अवधि की अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2023/68**]।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 1967-68 के दौरान गुजरात सरकार को 171.73 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे जो उस राज्य के खर्चे में केन्द्र के हिस्से से सम्बन्धित सहाययानुदान की एक सामयिक अदायगी थी।

गुजरात में आवास योजनायें

38. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गत चार वर्षों में गुजरात राज्य में बनाये जाने वाले नये मकानों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनसे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा राज्य सरकारों के प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के कैरा जिले के आय कर दाता

39. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कैरा जिले में वर्ष 1966-67 और 1967-68 में आय कर दाताओं की संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें 1966-67 और 1967-68 के ऐसे आय कर दाताओं की संख्या कितनी है जिन पर तीन वर्षों से आय कर बढ़ाया है;

(ग) 1966-67 और 1967-68 में कितने व्यक्तियों पर धन कर लगाया गया; और

(घ) उक्त अवधि में उपरोक्त जिले से तम्बाकू उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) (ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रमण्डलीय वित्त मन्त्री सम्मेलन

40. डा० सुशीला नैयर :
श्री हेम बरुआ :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री श्रीचंद गोयल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री धी० ना० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :
श्री शिवचंद्र झा :
श्री हेमराज :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकमचंद कछवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयमण्डलीय वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन सितम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में लन्दन में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भी सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) चर्चा के विषय क्या थे; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) राष्ट्रमण्डल से सम्बद्ध सामान्य आर्थिक विषयों पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है । इस वर्ष के सम्मेलन में मंत्रियों ने, विश्व की आर्थिक स्थिति में हाल में हुए परिवर्तनों, स्टर्लिंग क्षेत्र से सम्बन्धित शोधन शेष की सम्भावनाओं और विकासशील देशों को आर्थिक विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिलने की सम्भावनाओं पर स्थूल रूप से विचार किया ।

आय कर भुगतान के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

41. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह:
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त मन्त्री** 26 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 690 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आय कर भुगतान के प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे सभा-पटल पर रखने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी नहीं । सूचना का कुछ भाग अब भी इकट्ठा किया जा रहा है । पूरी सूचना इकट्ठी होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

इर्विन अस्पताल (दिल्ली) में श्री रामकृष्ण जैन की मृत्यु

42. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री** इर्विन अस्पताल में श्री रामकृष्ण जैन की मृत्यु के बारे में 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5595 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसे कोई दण्डित अपराध नहीं समझा गया ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली वृहद् योजना

43. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री नायनार :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने सितम्बर, 1968 में अपनी एक विशेष बैठक में दिल्ली वृहद योजना में उचित संशोधन किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव के प्राप्त होने पर सरकार उस पर विचार करेगी ।

राष्ट्रमण्डल के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन

44. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए राष्ट्रमण्डल वित्त मन्त्री सम्मेलन ने समुद्र पार के स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों की सरकारों और ब्रिटेन सरकार के बीच 200 करोड़ डालर के ऋण के लिए हुए समझौते पर सन्तोष व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन के स्टर्लिंग को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्नों का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव है;

(ङ.) क्या भारत के राष्ट्रमण्डल में होने के कारण भारत की अर्थ व्यवस्था की लाभ की अपेक्षा आर्थिक रूप से हानि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) (ग) और (घ): जी, हां । दूसरे राष्ट्रमण्डल देशों की तरह भारत ने भी इस समझौते को, स्टर्लिंग में और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया है । भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सहकारी और सुव्यवस्थित प्रयत्नों से सुदृढ़ बनाने के उपायों का हमेशा समर्थन किया है । प्रारक्षित मुद्राओं सम्बन्धी सुदृढ स्थिति न केवल मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाये रखने के लिये, बल्कि व्यापार के सुव्यवस्थित विकास के लिए और विकसित देशों को सहायता और व्यापार की उदार नीतियों का अनुसरण करने योग्य बनाने के लिये भी वांछनीय है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राजस्थान में पीने के पानी की कमी

46. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में भयंकर सूखे की स्थिति है;

(ख) क्या वहां पर फसलों के पैदा न होने के अतिरिक्त बहुत से जिलों में पीने के पानी की भी बहुत कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिये कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है और अब तक उसकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य सरकार से मिली सूचनानुसार राजस्थान के 26 जिलों में से 5 जिलों नामतः जैसलमेर, बीकानेर, बाढ़मेर, जालौर तथा जोधपुर में भयंकर सूखे की स्थिति है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 500 नलकूप लगाने की एक योजना तैयार कर रही है तथा जुलाई, 1969 से पूर्व लगभग 100 नलकूपों के चालू कर दिये जाने की आशा है ।

खम्भात क्षेत्र में "ड्रिलिंग"

47. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात (कैम्बे) के निकट उथले तथा गहरे जल में 'ड्रिलिंग' के प्रश्न पर भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों के बीच इस समय गम्भीर मतभेद है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जबकि जापान और रूस के विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि उथले जल में सफलतापूर्वक ड्रिलिंग' करने के बाद गहरे जल में 'ड्रिलिंग' की जानी चाहिए, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दोनों प्रकार के जलों में एक साथ 'ड्रिलिंग' करने को पसन्द करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है और इस मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दृष्टिकोण का क्या औचित्य है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) (ख) और (ग): तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, विभागीय तौर पर, उथले पानी में व्यधन कार्य सफलता पूर्वक कर सकता है, बशर्ते कि वह स्थिर प्लेट फार्मंज और चल-क्रेनज (fixed platforms and floating cranes) को, जिनके बारे में आयोग रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है, प्राप्त करने में समर्थ हो ।

आयोग की कुछ पार्टियों का यह विचार कि गहरे व्यधन कार्य से पहले, उथले पानी में व्यधन अनुभव जरूरी है, स्वीकार नहीं है । स्थिर–प्लेटफार्म व्यधन और चल प्लेटफार्म व्यधन की तकनीकी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है ।

इस मामले में सरकार आयोग के विचार से सहमत है ।

अमींचन्द प्यारे लाल तथा सम्बद्ध फर्मों से इस्पात के सौदों के बारे में राजस्व आसूचना विभाग का प्रतिवेदन

49. श्री के० रमानी :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री उमानाथ :

क्या वित्त मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना विभाग ने अमींचन्द प्यारे लाल तथा सम्बद्ध फर्मों के साथ इस्पात के सौदों के बारे में इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, उसका व्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है, और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय से कोई रिपोर्ट नहीं आनी है।

(ख) से (घ) ये सवाल नहीं उठते।

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप व्यय

50. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1957 में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोराजी देसाई) : द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण सरकार को कितना अतिरिक्त वार्षिक व्यय करना पड़ता है, यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं हैं। द्वितीय वेतन आयोग ने विभिन्न सिफारिशों के कारण होने वाले अतिरिक्त वार्षिक व्यय का 39.62 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था।

राज्यों द्वारा अनुदानों को निश्चित प्रयोजनों को छोड़ अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया जाना

52. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा पिछले दो वर्षों से केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित विकास व्यय के लिये दिये गये अनुदानों को अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है, और 1967-68 में राज्य-वार गैर आयोजित व्यय में कितनी राशि डाली गई है; और

(ग) क्या उक्त राशि को केन्द्रीय ऋण में बदल दिया गया है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयोजनागत योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार यह सहायता आयोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दस रुपये के नोट

53. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **डा० कर्णी सिंह :**
श्री नरसिम्हा राव : **श्री इ० के० नायनार :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस रुपये के नोटों की नई श्रृंखला से 'मांग पर' (आन डिमाण्ड) के शब्दों के हटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन शब्दों को हटाने के बारे में किसने निर्णय लिया है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दस रुपये के नोटों की नयी शृंखला (सीरीज़) से 'मांग पर' (आन डिमाण्ड) शब्दों को हटाने का निश्चय भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया था ताकि नोटों पर अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में इबारत छापने के लिए जगह बचाई जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 39 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक पर बैंक नोटों के बदले रुपये के सिक्के मांगे जाने पर वे सिक्के देने का जो दायित्व भार डाला गया है उसको देखते हुए उपर्युक्त शब्दों का कोई कानूनी महत्व नहीं है ।

मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा द्वारा निकल पाऊडर का आयात

54. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा उप प्रधान मन्त्री को 22 दिसम्बर, 1967 को दिये गये ज्ञापन में बताया गया है कि मैसर्स साराभाई मर्क ने विटामिन 'सी' लाइसेन्स के अन्तर्गत केटेलिस्ट के रूप में प्रयोग के लिये निकल पाउडर आयात किया था, परन्तु उसको निकल सल्फेट में बदल दिया गया था और उमदा रसायन के रूप में बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचा गया था;

(ख) इस ज्ञापन को प्राप्ति पर क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जांच पर मालूम हुआ है कि मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा ने वैश्लेषिक गुण के निकल सल्फेट के परीक्षण उत्पादन के लिये, उनके पास आयातित निकल पाउडर के 2028.6 किलोग्राम स्टाक में से, लगभग 112 किलोग्राम इस्तेमाल किया था । उक्त फर्म को, प्रयोगशाला अभिकर्मक (Reagents) और निकल सल्फेट को शामिल करते हुए उमदा रसायनों को तैयार करने के लिये लाइसेन्स दिया गया है और वह इस सक्रियता के बारे में कच्चे माल के आयात के लिये अधिकृत है । इस दृष्टि से तकनीकी विकास के महा-निदेशक ने उक्त फर्म द्वारा उमदा रसायनों के निर्माण के लिए निकल पाउडर की उपर्युक्त मात्रा का प्रयोग ठीक समझा है ।

मैसर्स सारा भाई मर्क आफ बड़ौदा द्वारा विटामिन 'सी' के संयंत्र की क्षमता का विस्तार

55. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा ने पुरानी मशीनों को बदलने के नाम पर मशीनों का आयात करके उनसे अपने विटामिन 'सी' के सयन्त्र की क्षमता का विस्तार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समवाय के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तामिलनाड के मुख्य मन्त्री को विदेशी मुद्रा

56. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाड के मुख्य मन्त्री श्री सी० एन० अन्नदुराई को संयुक्तराज्य अमरीका में अपनी चिकित्सा के उपचार के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या मांगी गई विदेशी मुद्रा की मंजूरी देने में कोई आपत्तियां उठाई गई थीं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय अथवा इसके किन्हीं अभिकरणों द्वारा न्यूयार्क में श्री अन्नदुराई के वहां पर ठहरने को सीमित रखने के बारे में कोई आपत्ति उठाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 8,125 डालर।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कोयना बिजली घर पर भूकम्प का प्रभाव

57. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री वे० कृ० दास चौधरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना बिजली घर पर दिसम्बर, में आये भूकम्पों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम तथा उसके निर्देशपद क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:–

(1) श्री आर्नोटेगे, जर्मन संघ गणराज्य, जर्मनी ।

(2) श्री मीकेल ग्रातालूप, फ्रांस ।

(3) श्री ग्रांटफ्राइड शुम्म, जर्मनी ।

(4) श्री फूमिकाजो निशिमुरा, जापान ।

(5) श्री एच० वी० नारायणराव, भूतपूर्व सदस्य, के० जल तथा विद्युत आयोग (बिजली स्कंध) ।

(6) श्री बी० वी० देशमुख, तकनीकी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ।

(7) डा० आर० एन० कार, हेवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड, भूपाल ।

(8) श्री बी० आर० आर० आयंगार, मुख्य इन्जीनियर (बिजली), कोयना पन-बिजली परियोजना (संयोजक) ।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(1) घूर्णक संयन्त्र, इसके संरक्षण और स्विचगीयर के तथा बिजली घर के भीतर और बाहर रिलेज के विशेष संदर्भ में, कोयना में दिसम्बर, 1967 और बाद में आने वाले भूकम्पों के प्रभावों की जांच करना ।

(2) भू-स्पन्दनों तथा इसी प्रकार के अन्य विक्षेमों के परिणाम स्वरूप हुए कम्पनों को सहने के लिए सहायक आधार फ्रेम निर्माणों, बैयरिंग संरचनाओं और नीवों के अभिकल्पों में परिवर्तन सुझाना ।

(3) भूकम्पीय झटकों को सहने के लिए, पारेषण पथ बुर्जों और उप केन्द्र की यन्त्रियों के अभिकल्पों ने परिवर्त सुझाना ।

(4) बिजलीघर के तीसरे चरण में प्रतिष्ठापन के अभिकल्पों में शामिल करने के लिए कुछ विशेष बातें सुझाना ।

(ग) जी, हां ।

(घ) समिति ने जनित्र गाइड बेयरिंगों में और कुछ स्विचयार्ड उपकरण तथा रिलेज में कुछ छोटे-छोटे संशोधन सुझाये हैं । उन्होंने भूकम्पनों को सहने के लिये कुछ उपकरणों को बड़ी दृढ़ता से लगाने के सम्बन्ध में भी तरीके सुझाए हैं । समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि मशीनों के स्वतः चालू होने (ट्रिपिंग) के लिए त्वरणलेखियों के प्रतिष्ठापन करने की सम्भाव्यता की जांच की जाए । समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोयना परियोजना के अधिकारी राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

58. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) अपेक्षित सुचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया : देखिये सख्या एल० टी० 2024/68) ।

"लिंक" तथा "पेट्रियाट"

60. **श्री मु० कु० तापड़िया :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त** मन्त्री 19 अगस्त, 1968, के अतारांकित प्रश्न संख्या 4248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेट्रियाट" तथा 'लिंक' समाचार पत्रों को चन्दा तथा अंशदान देने वालों के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता चला है कि चन्दा तथा अंशदान करने वाले कुछ व्यक्ति विदेशी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) और (घ) फिलहाल केवल इतनी ही सूचना उपलब्ध है कि 'पेट्रियाट' के मामले में नेपाल के किन्हीं श्री देवनारायण मिश्र से 50,000 रुपये का दान प्राप्त हुआ था ।

Complaints against Executive Engineer, Hydel Department U.P.

62. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of complaints lodged by farmers and other people with Government against the Executive Engineer of the Hydel Department of U. P. during the last two years;

(b) the number of those complaints on which departmental action was taken, the number of such complaints as were forwarded to Vigilance Commission for investigation and the number of remaining complaints on which no action has been taken; and

(c) the reasons for which no action has been taken on the said remaining complaints ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) 120.

(b) and (c) The U. P. State Electricity Board have reported that they have taken action on all the complaints. Enquiries have been completed in respect of 39 cases. The remainder are under enquiry. One case has been entrusted to the Vigilance Commission.

बम्बई में तस्करी से लाये गये सूती वस्त्र आदि का पकड़ा जाना

63. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31 अगस्त, 1968 को बम्बई में महाराष्ट्र राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी ब्योरों के अधिकारियों द्वारा तस्करी से लाया गया जापान में निर्मित सूती वस्त्र आदि का सामान पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो पकडे गए सामान का मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी भी की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो के अधिकारियों ने 31 अगस्त, 1968 को बम्बई में घाटकोपर के पास एक ट्रक रोका और उसमें से जापान में निर्मित, धातू के सूत और वस्त्र के लगभग 2.5 लाख रुपये मूल्य के 23 बन्डल पकड़े। 50000 रु० का मूल्य का ट्रक भी पकड लिया गया।

(ग) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच पड़ताल चल रही है।

दिल्ली प्रशासन के लिए नर्सिंग परिषद् की स्थापना

64. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री क० लकप्पा :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के लिये कोई नर्सिंग परिषद् स्थापित करने का कोई सुझाव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित परिषद परीक्षाएं लेने तथा पंजीकरण करने का काम करेंगी।

पूर्वी कोसी नहर क्षेत्र के बारे में कनाडा सरकार की सिफारिश

65. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कनाडा सरकार द्वारा जिसने पूर्वी कोसी नहर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है; क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) कैनेडियन टास्क फार्स ने, जिसने कोसी क्षेत्र का दौरा किया था, इस परियोजना के सम्बन्ध में सिफारिशें तो कोई नहीं की है, परन्तु यह कहा है कि इस प्रकार की बड़ी योजनाओं के लिये कोसी क्षेत्र विकास कमिश्नर जैसे कार्यालयों का खोला जाना बड़ी अच्छी बात है।

नाइलोन के पैराशूट का कपड़ा

66. **श्री मीठालाल मीना :**
श्री मु० कु० तापड़िया :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1965-66 में सरकार ने नाइलोन के पैराशूट के कपड़े की सप्लाई के लिए भारतीय निर्माताओं को आर्डर दिये थे,

(ख) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात मूल्यों के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था,

(ग) यदि हाँ, तो क्या वह विवाद अब तक निपटाया नहीं गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि देश में निर्मित पर्याप्त भण्डार है, सरकार अब भी इसका आयात कर रही है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। हल्के वजन के नाइलोन के वस्त्र (1.1 औंस) की सप्लाई के लिए 1965-66 में भारतीय निर्माताओं को पांच ठेके दिए गए थे।

(ख) और (ग) एक निर्माता द्वारा मूल्य बढ़ाने की मांग करने पर जो एक विवाद उत्पन्न हुआ था, वह निपटाया जा चुका है।

(घ) हल्के वजन के नाइलोन के वस्त्र के निर्माण के लिए जिस धागे की जरूरत होती है, वह देश में तैयार नहीं होता। इसलिए सरकार कुछ मात्रा में नाइलोन का वस्त्र विदेशों से आयात करने का यत्न कर रही है। आयातित धागे से भारत में ही निर्मित नाइलोन के वस्त्र को खरीदने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, बशर्ते मांगे जाने वाले निर्ख और वितरण की शर्तें आदि उचित हों।

यात्री चैकों में जालसाजी

67. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में डालर यात्री चैकों में संगठित रूप से जालसाजी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) जालसाजों के इस संगठन को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):(क) से (ग): प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़े गये मामलों से लगता है कि दिल्ली में कुछ जालसाज दल विभिन्न विदेशी मुद्राओं (और डालरों) के यात्री चेकों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय के अन्य प्रकार के लेन-देनों में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मामलों को पकड़ने के बाद, जालसाजी के चक्र से तोड़ने तथा उनमें ग्रस्त व्यक्तियों/एजेंसियों को जाहिर करने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गहरी जांच पड़ताल की जाती है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Hospitals, Schools and other Institutions run by Foreign Missionaries

68. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of grant and aid given annually by Government to the schools, hospitals and other institutions run by foreign missionaries;

(b) whether it is a fact that Government give more grant to them as compared to that given to other institutions; and

(c) if so; the amount of grants and aid given to institutes run by the foreign Christian missionaries during the last three years, State-wise and year-wise ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Grants to Voluntary Organisations

69. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government provide grants to those voluntary organisations which are engaged in providing facilities to Adivasis and Harijans living in border areas and propagate nationalism among them;

(b) if so, the names of each such organisations with the amount of grant provided during the last three years;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to provide grants to such organisations ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (SMT. Phulrenu Guha) : The Department of Social Welfare is giving grants to some voluntary organisations of an All-India character working for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(b) A statement showing grants given in the past three years to such organisations working in the border areas is as hereunder.

Statemente

S. No.	Name of the organisation	Grant-in-aid released in 1966-67,	1967-68,	1968-69
1.	Ramakrishna Mission, Cherrapunji.	2,52,000	2,88,402	2,87,000
2.	Ramakrishna Mission, Silchar.	17,050	19,200	21,120
3.	Ramakrishna Mission, Along.	–	–	94,288
4.	Bharatiya Adimjati, Sevak Sangh (for work-in NEFA)	35,600	41,200	21,500

(c) and (d) Does not arise.

आयल इंडिया लिमिटेड

70. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिफारिश के अनुसार सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का आयल इंडिया लिमिटेड में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर कब तक प्राप्त करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत की थी किन्तु उक्त कम्पनी ने सम साझेदारी की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन के लिए अनिच्छा प्रकट की है ।

(ख) परिवर्तन सामान्यतः पार्टियों में सहमति होने पर लाया जा सकता है । यह बताना कठिन है कि यह कब सम्भव हो सकेगा ।

विश्व बैंक द्वारा भारत को सहायता

71. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के नये अध्यक्ष द्वारा विकासशील देशों में हो रहे कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति नियुक्त किये जाने से विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता का मामला खटाई में पड़ गया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस प्रकार के पुनर्विलोकन देशों में किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

यह आयोग, कम विकसित देशों के विकास पर पिछले 20 वर्षों में पड़े, विदेशी सहायता के प्रभाव की समीक्षा करेगा और इसके अध्यक्ष कनाडा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री लेस्टर बी० पियर्सन हैं । यह आयोग इस बात पर भी विचार करेगा कि अगले 10 वर्षों में और अगली पीढ़ी में, बहुत से कम विकसित देशों को सहायता देने के लिए कौनसे तरीके अपनाये जाने चाहिएं और सहायता की मात्रा का क्या क्रम होना चाहिए ताकि ये देश लगातार विकास कर सकें और अन्त में आत्मनिर्भर हो सकें । इस समीक्षा और विचार के दौरान विश्व बैंक विकासशील देशों को सामान्य रूप से सहायता देता रहेगा । इसलिए जब आयोग यह काम करता रहेगा तब भारत या किसी दूसरे देश को सहायता देने का मामला खटाई में पड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, विकास के लिए आयोजना तैयार करते समय विदेशी सहायता के भारत के विकास पर पड़े प्रभाव का और भविष्य में उसके महत्व का अध्ययन समय समय पर किया जाता है ।

महानदी बेसिन में खोज कार्य

72. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिलका झील क्षेत्र और महानदी बेसिन में तेल के भण्डारों का पता लगाने के बारे में प्रारम्भिक खोज कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये खोज कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रयोगात्मक ड्रिलिंग कार्य कब आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) चिलका झील क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावनाएं नहीं हैं। महानदी बेसिन में कुछ प्रारम्भिक व्यधन कार्य किया गया है। कुछ काम अभी हो रहा है।

(ख) बारीपाड़ा क्षेत्र में शैल दृश्यांशन की भूगर्भीय जांच और महानदी डेल्टा क्षेत्र में फोटोजियोमारफोलोजिकल (Photogeomorphological) कार्य मुकम्मल हो गया है। कोस्ट लाइन और चिलका झील से आठगढ़, भद्रक, चांदवाली तथा राजनगर के साथ जाती लाइन के बीच के क्षेत्र में गुरुत्व एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गये हैं। बारीपाडा, बालेश्वर क्षेत्र में भी गुरुत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गये हैं। उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित इलाके में गुरुत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य हो रहा हैं।

(ग) ड्रिलिंग कार्य कब शुरु होगा यह इतना पहले बताना कठिन है। यह मुख्यतः भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा जो अभी करने हैं।

ओवरसियरों (सेक्शनल अफसरों) (सिविल) की पदोन्नति

73. **श्री सोम सुन्दरम** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जून तथा सितम्बर, 1954 में भरती किये गये ओवरसियरों (सिविल) को क्रमशः 1964 और 1966 में पदोन्नत किया गया था और अक्तूबर, 1954 में तथा उसके बाद भारती किये गये सिविल ओवरसियरों को अभी तक भी पदोन्नति नहीं दी गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीधी भरती से लिये गये लोगों के लिये रिक्त पद आरक्षित करने और उनके प्रशिक्षण की अवधि को घटा कर उनकी नियुक्ति करने के कारण योग्य तथा अनुभवी ओवरसियर पदोन्नति के अवसरों से वंचित रह जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन ओवरसियरों, की पदोन्नति करने के मामलों पर विचार करने का है जो 12 वर्षों से लेकर 14 वर्षों की अवधि से सेवा में हैं; और

(घ) क्या सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरने की प्रथा को समाप्त करने का भी सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) । (क) यह सच है कि अभी तक विभागीय पदोन्नति समिति ने, पदोन्नति के लिए, सितम्बर, 1954 तक ही भरती किए गए ओवरसियरों के मामलों पर विचार किया है।

(ख) सीधी भरती के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण, सरकारी आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में कमी तभी की जाती है जब सेवा के लिए ऐसा आवश्यक हो जाए। अतएव यह कहना सच नहीं है कि इन कारणों से अनुभवी ओवरसियर (सेक्शनल आफीसर) पदोन्नति के अवसरों से काफी हद तक वंचित रह जायेंगे।

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति जब पदोन्नति के लिए 'चयन सूची' (सिलेक्ट लिस्ट) बनाने के लिये बैठेगी, तब विचार परिधि में आने वाले सभी ओवरसियरों के मामलों पर विचार करेगी।

(घ) जी, नहीं।

होटलों के 'बिलों' का विदेशी मुद्रा में भुगतान

74. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जालसाजी के सौदों को रोकने के उद्देश्य से सरकार का विचार पर्यटकों के लिये होटल के बिलों का भुगतान अनिवार्य रूप से विदेशी मुद्रा में करने की व्यवस्था का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित किये जाने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) इस प्रकार के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलेक्टरेट, दिल्ली

75. **श्री लताफत अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 फरवरी, 1968 की रात्रि को केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क के कलेक्टर दिल्ली के कार्यालय में एक बक्से में रखे हुए चोरी जाने वाले कागजों के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलेक्टर, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में किसी कार्यालय/शाखा अनुभाग/एकक आदि से कोई और रिकार्ड भी गायब है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कागजों के गुम होने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई है; और

(घ) कागजों के गुम होने की जिम्मेदारी ठहराने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। 20 फरवरी 1968 की रात को हुई चोरी के बाद फाइलें खोने की कोई घटना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता दिल्ली, की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

(घ) जब कभी रिकार्ड खोने की घटना का पता चलता है तो रिकार्ड की हानि की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए पूछ-ताछ की जाती है और मामले के गुण दोषों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है । तदनुन्तर, अधिकारियों को अपनी सफाई देने का मौका देने के बाद प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है ।

Central Allocations to Uttar Pradesh

76. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Uttar Pradesh Government have spent the entire amount allocated to it for the year 1967-68;

(b) if so, the details of the expenditure incurred and the details regarding the items where the amount spent was less than the amount allocated; and

(c) the amount of financial assistance granted by the Centre to Uttar Pradesh in the form of loans and grants during 1966-67 and 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See. No. Lt. 2025/68]

Assistance to Goldsmiths in U. P.

77. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount sanctioned by the Central Government till October, 1968 for the purpose of giving assistance to the goldsmiths of Uttar Pradesh; and

(b) the number of goldsmiths who have been given assistance so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finence (Shri Morarji Desai) : (a) The total amount sanctioned by the Central Government to the Government of Uttar Pradesh upto 31.10.1968, as advances for loans, as grants for ex-gratia payments to goldsmiths in distress and as reimbursement of expenditure on educational/technical training assistance to goldsmiths and their dependents, is Rs. 1,48,36,572.00.

(b) 13,138 goldsmiths and their dependents have received assistance under various schemes for rehabilitation of goldsmiths in Uttar Pradesh.

काला धन

78. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967 से अब तक वस्तुओं और नकदी के रूप में कितने काले धन का पता लगाया गया है;

(ख) जनवरी, 1967 से अब तक कितने मुकदमें चलाये गये और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिलाया गया ; और

(ग) इसमें कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त पाये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क 1-1-1967 से 30-9-1968 तक की अवधि में ली गई तलाशियों के कारण वस्तुओं तथा नकदी दोनों रूप में पकड़े गये लेखा वाह्य धन की कुल रकम 1,22,65,511 रुपये है ।

(ख) उपर्युक्त अवधि में 18 मामलों में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत और 5 मामलों में भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत सजा देने योग्य अपराधों के लिए इस्तगासा की कार्यवाही की गयी है । उक्त अवधि में एक मामले में सजा दिलायी गयी ।

(ग) उपर्युक्त अवधि में 201 मामलों में तलाशियां ली गयी । जिन व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासा की कार्यवाही की गयी है उनकी संख्या 36 है ।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले

79. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच महीनों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के कुछ नये मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

बीमा सम्बन्धी दावे

80. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीमा की अवधि पूरी हो जाने और मृत्यु के मामलों में बीमे के दावों की राशि बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 और 31 मार्च, 1968 को यह राशि कितनी थीं;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विवादास्पद पालिसियों का निबटारा न्यूनतम समय में करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । चालू कारोबार में वृद्धि के साथ-साथ मृत्यु से उत्पन्न और परिपक्व पालिसियों के दावों के बढ़ने की आशा है । फिर भी, निगम की दावों सम्बन्धी वास्तविकता, किश्तों की दरों और क्रमानुसार, बीमाविज्ञों के मूल्यांकनों के आधार पर बनाई गई धारणा के अनुकूल ही है ।

(ख) 31 मार्च को बकाया दावे (रकम, करोड़ रुपयों में)

	1968	1967
मृत्यु से	13.33	11.75
परिपक्वता से	8.06	7.58

(ग) मृत्यु और परिपक्वता, दोनों के कारण देय बने दावों का निपटारा नहीं होने के मुख्य कारण साधारणतः ये हैं–

(1) दावे दारों से दावा–पत्र ठीक ठीक भरे हुए वापिस नहीं आए।

(2) उम्र का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ।

(3) हकदारी के बारे में विवाद।

(4) जल्दी से पेश दावों के मामलों में आवश्यक जांच पड़ताल।

(5) पालिसीधारियों का, अधिकांशतः चुकता पालिसियों से सम्बन्धित, पता नहीं मालूम होना।

(6) विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति बाकी रहना।

(7) पालिसी के दस्तावेजों का खो जाना, वयस्कों के दावे आदि।

(घ) जी, हां।

उड़ीसा में बड़ी और मध्यम परियोजनायें

82. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना अवधि में सरकार का विचार उड़ीसा में बड़ी और मध्यम योजनाओं को आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चतुर्थ योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के सम्बन्ध में जापानी विशेषज्ञों का दौरा

83. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री स० म० अगाड़ी :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खम्भात के तट दूर क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग के सम्बन्ध में जापानी विशेषज्ञों के एक दल ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने खम्भात की खाड़ी के गहरे पानी में व्यधन कार्य के लिये बिक्री पर दो वैकल्पिक उपकरण सप्लाई करने और प्रारम्भिक अवधि में व्यधन कार्य करने तथा यथासमय पूरी जिम्मेवारियों को संभाल लेने के लिये भारत के व्यक्तियों के प्रशिक्षण में सहायता के लिये प्रस्ताव दिये थे।

(ग) खम्भात की खाड़ी में व्यधन कार्य के लिये पहले से प्राप्त अन्य कई प्रस्तावों के साथ ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली के अस्पतालों का कार्य संचालन

84. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के लिये बनाई गई संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति ने दिल्ली के अस्पतालों के कार्य संचालन के सुधार के बारे में सर्वसम्मति से कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) अनौपचारिक सलाहकार समिति ने 29–4–1968 को यह सुझाव दिया था कि दिल्ली के सारे अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार अपने अधीन ले ले,। इसी दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली के बारे में अस्पताल जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई जिस पर विचार किया जा रहा है। अनौपचारिक सलाहकार समिति ने और कोई सिफारिश नहीं की है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

85. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मैट्रिक से बाद की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां उन्हें समय पर नहीं मिलती है, जिससे छात्रवृत्तियां देने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है;

(ख) वर्ष 1966-67 में कितने छात्रों को दो महीनों से अधिक अवधि के बाद छात्रवृत्तियां दी गई थी; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) विस्तृत सूचना राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है, तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Increase in Rates of Electricity for Agricultural Purposes

86. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers are facing hardships in the matter of irrigation as a result of increase of eight rupees per horse-power in the rate of electricity in U.P.

(b) whether it is also a fact that the said increase has also affected the industries adversely; and

(c) if so, whether Government propose to reconsider the said decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Representations were received against the introduction by U. P. State Electricity Board from 1.7.68, of a fixed charge of Rs. 8 per BHP per month for small and medium power loads inclusive of industrial and agricultural loads.

(c) As a special case, U.P. State Electricity Board have revised the agricultural tariff to a unit charge of 15 paise per unit only subject to an annual minimum guarantee of Rs. 100 per BHP for the first year, to be raised to Rs. 110 per B P for the next year and Rs. 120 per BHP thereafter. Power for agricultural processes like thrashing, cane crushing, chaff cutting etc., will also be supplied on the same concessional tariff.

Allotment of Land to Yogashram and Feroze Gandhi Memorial in New Delhi

87. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the progress so far made in regard to the allotment of land to Yogashram and Feroze Gandhi Memorial near Gole Post Office, New Delhi;

(b) whether it is a fact that the Indian Institute of Constitutional and parliamentary Studies has also asked for land from Government for the purpose of constructing their own building; and

(c) if so, the reasons for which Government have allotted land near Parliament House to other Institutions and not to his Institute ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a), (i) The earlier decision to allot the land under Chummery No. 1 near Gole

Post Office to the Yogashram has been revoked. The question of allotment of an alternative site nearby is under consideration. (ii) The Feroz Smarak Samiti has applied for the allotment of land for the construction of an office building comprising a meeting hall, a library, rooms for research officers, visiting journalists and Members of Parliament. It is proposed to allot to them a plot of land in the institutional area opposite the Chelmsford Club. The area is yet to be developed and the lay-out approved.

(b) The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies has applied for a plot of land near the Parliament House or in one of the following areas:

Gole Post Office, Rafi Marg, Lodi Road, Rouse Avenue, Diplomatic Enclave.

(c) No final decision has so far been taken about the plot to be allotted to the Institute. Their request for land near the Parliament House is being considered.

T. B. Cases in Delhi

88. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri A. Sreedharan :
Shri K. Lakkapa :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of T. B. patients is continuously increasing in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the present two T. B. hospitals are not able to cope with the increasing incidence of tuberculosis; and

(c) if so, whether Government have any other scheme under their consideration in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No survey has been undertaken since 1958 regarding the incidence of T.B. in Delhi. The number of patients diagnosed to be suffering from T.B. do not show any significant change from year to year in relation to the population.

(b) Stress is laid on the domiciliary treatment of the T.B. patients through a chain of 9 T.B. clinics in Delhi. The present tuberculosis beds (1506) which are available in various institutions in Delhi complement the domiciliary treatment scheme and are considered fairly adequate.

(c) The Delhi Municipal Corporation have a scheme to augment the number of T.B. beds in the IV Plan and to add a T.B. Clinic.

Floods

89. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of places where the problem of floods has been solved permanently through the measures adopted by Government in this regard during the last 20 years; and

(b) the names of the places where this problem is likely to be solved permanently during the Fourth Five Year Plan period in view of those measures ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b): To provide protection against floods at all times and at all places is neither technically nor economically feasible. Flood protection measures are therefore intended to reduce the damage due to floods to the extent economically justifiable taking into consideration the importance of the areas requiring protection. Since, 1954, when a National flood control programme was initiated, 60 lakhs hectares, representing 30% of the area liable to be affected by floods has been given reasonable protection from floods, The flood control works which have been undertaken include the construction of 7400 kms of new embankments, 8300 kms of drainage channels, 150 town protection works and raising of 4500 marooned villages above flood level, and the outlay has been Rs. 180 crores.

The Fourth Plan proposals of the States for flood control are yet to be finalised.

Increase in Rates of Electricity for Agricultural Purposes in U.P.

90. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri T. P. Shah : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh Electricity Board have increased the rates of electricity for agricultural purposes with effect from the 1st July, 1968;

(b) whether it runs counter to a directive of the Central Government that the rates of electricity for farmers should not exceed 12 paise per unit;

(c) whether Government have received any memorandum from some Members of Parliament in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government to reduce the rates of electricity for agricultural purposes in U.P. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) From 1st July, 1968, the U P. State Electricity Board introduced uniform tariff rates for supply of power for agricultural purposes. As compared with the previous rates ranging between 12 paise and 25 paise per unit, the uniform rates consisted of a fixed charges of Rs. 8 per BHP per month and an energy charge of 10 paise per unit.

(b) The State Governments were advised by the Central Government to consider subsidising rates in excess of 12 paise per unit for agricultural purposes, as it was felt that agricultural consumers throughout the country should not be made to pay more than 12 paise per unit. The Central Government has also agreed to meet a portion of the subsidy in accordance with the scheme indicated in the statement placed on the Table of the House in reply to Lok-Sabha Starred Question No. 386 on 30-11-1967.

(c) Yes, Sir.

(d) The U.P. State Government and State Electricity Board have, as a very special case, revised the agricultural tariff rates to unit charge only of 15 paise per unit subject to an annual minimum guarantee of Rs. 100 per BHP for the first year, to be raised to Rs. 110 per BHP for the next year and Rs. 120 per BHP thereafter. This revised tariff is effective from 1st July, 1968. Previous bills for the months of July, August and September, 1968, are being revised on the basis of 15 paise per unit.

Decentralisation of Life Insurance Corporation

91. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Sushila Nayar :
Shri R. K. Sinha :
Shri Himatsingka :
Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to decentralise the Life Insurance Corporation and convert the same into regional corporations;

(b) the details of the recommendations, if any, made by the Administrative Reforms Commission in this regard; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The recommendation of the Committee on Public Undertakings on the subject is still under consideration of Government.

(b) and (c): A Working Group on Life Insurance Administration set up by the Administrative Reforms Commission has recently submitted its report to the Commission. This report, inter alia, contains certain recommendations in regard to the future organisational set-up of the L.I.C. The recommendations made by the Working Group are for the Administrative Reforms Commission to consider. The Administrative Reforms Commission has yet to submit its recommendations on the subject to the Government. The question of any action being taken by the Government does not arise at this stage.

हिसार के एक वकील द्वारा स्थापित फर्जी फर्में

92. श्री रामकृष्ण :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री सूरजभान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिसार के वकील श्री गुलाब सिंह जैन ने अनेक फर्जी फर्में खोल रखी हैं जिसका उद्देश्य यह है कि आयकर दाता झूंठे घाटे दिखा कर कमाये गये मुनाफे की अपनी छिपी आय को खाते खोल कर तथा उपहारों के रूप में इन फर्मों में लगा सकें;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें कितनी धनराशि जमा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक इस प्रकार की 161 कम्पनियों का पता लगाया जा चुका है।

(ग) अनुमान है कि इसमें लगभग 3 करोड़ रुपया ग्रस्त है।

(घ) कुछ निर्धारितियों ने छिपाई गई आय स्वयं ही प्रकट कर दी है और समझौते-निर्धारण की दरख्वास्तें दी हैं। अन्य मामलों में ऐसी आय के कर-निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

वित्त मंत्री की ब्रिटेन और अमरीका की यात्रा

94. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० को० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री हेमराज :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दे० वि० सिंह
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा एड इण्डिया कन्सोर्शियम की बैठकों में भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा क्या निर्णय किये गये; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की बैठक में उनके भाग लेने से चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत को अधिक सहायता मिलने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के भारत के गवर्नर के रूप में, मैंने 30 सितम्बर, 1968 से 4 अक्टूबर, 1968 तक वाशिंगटन में हुई इन संस्थाओं के गवर्नरों के बोर्डों की 1968 की वार्षिक बैठक में भाग लिया था। मैंने भारत सहायता संघ की उस बैठक में भाग नहीं लिया था, जो वाशिंगटन में 23 मई और 24 मई, 1968 को हुई थी।

(ख) जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें विशेष निकासी अधिकार योजना को जल्दी चालू करने की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन, प्रारक्षित मुद्राओं का दीर्घ-कालीन ढांचा और उनका प्रयोजन आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस विचार-विमर्श में विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा भविष्य में दी जाने वाली विकास सम्बन्धी सहायता के क्षेत्र और उसकी रूप-रेखा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यों के लगातार चलते रहने की आवश्यकता, जिनमें धन की कमी के कारण कोई अड़चन पैदा न हो, मुख्य वस्तुओं के मूल्यों के स्थिरीकरण की समस्या आदि पर भी विचार किया गया लेकिन कोई निर्णय नहीं किया गया।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता क्योंकि इन बैठकों में भाग लेने का उद्देश्य सहायता प्राप्त करना नहीं होता। भारत, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के सबसे बड़े पांच शेयर-होल्डरों में से एक है और इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नीति और दृष्टिकोण में भारत को सामान्यतः वित्तीय और मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में और विशेष कर विकास-शील देशों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के सम्बन्ध में गहरी दिलचस्पी है। इन बैठकों में सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है और भारत का प्रतिनिधित्व सामान्यतः उसके गवर्नर के द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्री हैं।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

95. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में 18 अक्तूबर, 1968 को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ग) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) 16 और 17 अक्तूबर, 1968 को बम्बई में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 15 वीं बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया।

(ख) और (ग) बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनकी सूची संलग्न है। संकल्पों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

1. स्वास्थ्य योजना परिव्यय।
2. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 14 वीं मीटिंग में पारित संकल्पों पर की गई कार्यवाही का पुनरावलोकन।
3. चिकित्सा शिक्षा।
4. दन्त शिक्षा।
5. राज्यों में पोषण-सेल खोलना।
6. केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य अधिनियम।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
8. होम्योपैथी।

9. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

10. राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम।

11. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम।

12. राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम।

13. नर्सिंग सेवाएं।

14. स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े।

15. अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा मैडिकल प्रैक्टिस।

16. आयुर्वेद।

गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर पर सामाजिक निर्योग्यता निवारण

96. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1968 से आरम्भ होने वाले गांधी शताब्दी वर्ष के लिये समाज में सामाजिक निर्योग्यता निवारण हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आर्थिक उन्नति के लिये क्या प्रस्ताव हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1968 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पिछड़े वर्ग क्षेत्र में शुरू की गई सभी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अननुसूचित आदिम जातियों तथा खानाबदोश और अर्धखानाबदोश आदिम जातियों की सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करना तथा उनकी आर्थिक प्रगति करना है। गांधी शताब्दी वर्ष के लिए कोई विशेष प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

बिहार में गंगा के किनारे पर बरुआ बांध

97. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के पतोरी अंचल में गंगा के दायें किनारे पर स्थित बरुआ बांध को वर्ष 1969–70 में गंगा में बाढ़ आने से पहले मजबूत बनाया जायेगा और उसमें सुधार किया जायेगा;

(ख) क्या बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर सर्किल के जलमार्ग अधिकारियों का विचार अनधिकृत मछुओं से मिरजन नाले (बया नदी को मिलाने वाले) से मछली पकड़ने के उपकरण

हटाने के लिए कहने का है क्योंकि इससे बिहार राज्य में महनौर और पतोरी दोनों आंचलों के घमाऊं चौर आदि के बरसाती पानी की निकासी में बाधा पड़ती है और विलम्ब होता है; और

(ग) बिहार में भूटाची-ब्राटन नदी में बाढ़ से विनाश को रोकने के लिए क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

लाकवा तथा रुद्रसागर से अशोधित तेल की ढुलाई

98. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाकवा तथा रुद्रसागर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल की ढुलाई के प्रश्न पर आयल इन्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ख) लाकवा तथा रुद्रसागर से बरौनी तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि बरौनी को अशोधित तेल की सप्लाई आरम्भ हो जाने पर हल्दिया से बरौनी तक तथा दुलियाजम से बरौनी तक की पाइप लाइनें उप्रयुक्त अथवा अंशतः अप्रयुक्त रहेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके बाद इन लाइनों की अशोधित तेल ले जाने की पूरी क्षमता का किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया : (क) और (ख) बातचीत अभी तक हो रही है। तथापि, करार की शर्तों के अन्तिम रूप के लम्बित रहने तक, 19 अगस्त, 1968 से पाइप लाइन द्वारा कच्चे तेल की थोड़ी मात्राओं की ढुलाई लाकवा से शुरु हो गई है। रुद्रसागर से गोहाटी शोधन शाला तक कच्चे तेल का प्रेषण रेल टैंक वैगनों द्वारा 30 मार्च, 1966 से शुरु हो गया था। बरौनी शोधनशाला को रुद्रसागर के कच्चे तेल की सप्लाई रुद्रसागर क्षेत्र को लाकवा से पाइप लाइन द्वारा मिला देने के पश्चात् ही शुरु होगी।

(ग) जी नहीं। बरौनी शोधनशाला को आयल इण्डिया लिमिटेड की नाहरकटिया-बरौनी पाइप लाइन से सप्लाई की जाती है। हल्दिया–बरौनी पाइप लाइन अनिवार्य रूप से एक उत्पाद पाइप लाइन है और इसका इस्तेमाल उत्पादों को बरौनी से कलकत्ता तक भेजने के लिये किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे तेल को कलकत्ता से बरौनी तक ले जाने के लिये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसायनों के उत्पादन का लक्ष्य

99. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में उत्पादित किये जाने वाले विभिन्न रसायनों का, जिनमें पट्रो-रसायन भी शामिल है, लक्ष्य इस बीच निर्धारित कर लिया गया है और यदि हां, तो किस स्तर पर और वर्ष 1968–69 के अन्त तक इनमें से प्रत्येक रसायन का कितना-कितना उत्पादन होने की सभावना है;

(ख) वर्ष 1968–69 में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इनकी स्थापना हेतु प्रत्येक उत्पाद के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये है तथा जारी किये जायेंगे, और किन-किन फर्मों को तथा कितनी कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं और किन-किन पार्टियों के लाइसेंसों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक रसायन के लिये सरकारी क्षेत्र में कितनी-कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित की जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) 1968–69 में जारी किये गये लाइसेन्सों की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

तरल पैट्रोलियम गैस का वितरण

100. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री लोक सभा में 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तरल पैट्रोलियम गैस का वितरण कार्य किस फर्म को सौंपा गया है और यह किन शर्तों पर सौंपा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : 15 उपनगरों में, जहां इण्डेन गैस इस समय बेची जा रही है, अब तक कुल 27 वितरक नियुक्त किये गये हैं। परिशिष्ट I में इन वितरकों और उप-नगरों के नाम दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2026/68]** इसके अलावा, कई उप-नगरों में वितरक नियुक्त किये गये हैं, किन्तु इण्डेन गैस का अभी विक्रय शुरु होने हैं; ऐसे वितरकों और उप-नगरों के नाम परिशिष्ट II में दिये गये हैं। वितरण करारों की शर्तों को बताना भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा।

इंडियन ड्रग्ज एन्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड

101. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2399 टन कच्चा माल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका 1967–68 में आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) 1968–69 में कुल कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा तथा चालू वर्ष को पहली छमाही में कितने कच्चे माल का आयात किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख): जबकि 1967-68 के दौरान आयातित समस्त कच्चे माल को स्थानीय तौर पर तैयार करना सम्भव नहीं है, तो भी कम्पनी कुछ आयातित कच्चे मालों की जगह देशीय तुल्य माल को प्रयोग में लाने का यत्न कर रही है। आयातित कच्चे माल के स्थान पर देशीय माल को इस्तेमाल करने की दृष्टि से, देशीय उत्पादों की किस्म में सुधार लाने के लिए अनुसन्धान भी किया जा रहा है। सोयबीनज के उत्पादन को भी हाथ में लिया गया है ताकि प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक्स) के निर्माण के लिए आयात की यह आवश्यकता लम्बे अर्से तक न बनी रहे।

(ग) यह अनुमानित है कि 1968-69 में आयात की जाने वाली मात्रा 3500 मीटरी टन होगी। चालू वर्ष की पहली छमाही में आयात केवल 480 मीटरी टन रहा है। एक विस्तृत विवरण पत्र सभा–पटल पर रख दिया है।

विवरण

1968–69 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक आयात
संश्लिष्ट औषध प्लांट, हैदराबाद

(1–4-1968 से 30–9–1968 तक)

कच्चा माल	मात्रा	लाख रुपयों में मूल्य
सोडियम मैटल	42.50 मीटरी टन	0.79
बरोमाइन	80.00 ,, ,,	3.58
एक्टीवेटिड कार्बन	40.00 ,, ,,	2.25
मोनिसोडियम साल्ट आफ ग्लूटमिक अम्ल	1.75 ,, ,,	0.12
	164.25 मीटरी टन	6.73
	एण्टीबायोटिक्स प्लान्ट, ऋषि केश	
सोयबीन फ्लौर	300·00 मीटरी टन	3.06
	सर्जिकल इन्स्ट्रूमैंटस प्लान्ट, मद्रास	
टूल तथा एलाय स्टील	15.4 मीटरी टन	0 45
कुल	479.65 मीटरी टन	10.24

इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ द्वारा कानपुर उर्वरक कारखाने के लिये ली गई फीस

102. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इम्पीरियल कैमीकल इण्डस्ट्रीज ने कानपुर उर्वरक कारखाने के लिये नमूनों और इन्जीनियरिंग की अधिक फीस ली है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी फीस ली है ; और

(ग) क्या उस विभाग का योजना तथा विकास डिवीजन कानपुर स्थित इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ के कारखाने के लिये नमूने और इंजीनियरी की व्यवस्था नहीं कर सका ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) इम्पीरियल कैमीकल इण्डस्ट्रीज ने कानपुर उर्वरक कारखाने के रुपांकन, इन्जीनियरी, प्राप्ति, जानकारी और लाइसेन्स के लिए जो फीस ली है वह गैर सरकारी क्षेत्र की अन्य उर्वरक परियोजनाओं के लिए अनुमोदित फीस से मिलती जुलती है, जिसमें भी विदेशी सहयोग शामिल है।

(ख) लगभग 5.2 करोड़ रुपये।

(ग) मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्ज ने कानपुर संयन्त्र के रुपांकन और इंजीनियरी व्यवस्था के लिये भारतीय तेल निगम के योजना तथा विकास डिवीजन से बातचीत नहीं की थी।

डायर मेकिन मोहन उद्योग समूह द्वारा आयकर का अपवंचन

103. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री 22 अप्रेल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डायर मिकिन मोहन उद्योग समूह द्वारा आयकर की किसी राशि का अपवंचन किये जाने का इस बीच पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो करापवंचन की कुल राशि का ब्यौरा क्या है और यह अपवंचन किन-किन वर्षों में किया गया ;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ): ये प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के लिए 1968–69 की वार्षिक योजना

104. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लिए 1968–69 की वार्षिक योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य को कुल कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) क्या धन नियत करते समय हाल के सूखे से उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखा गया है ; और

(घ) खगरिया और बेगुसराय सब डिवीजनों के लिए कुल धन कितना दिया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य की 1968-69 की आयोजना के लिए 71.70 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है ।

(ग) वार्षिक आयोजना तैयार करते समय सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखा गया था ।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आयोजना के लिए रकमों का निर्धारण सब डिवीजनों के अनुसार नहीं किया जाता ।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

105. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा के गोलमाल के बारे में 'ब्लिट्ज' में कुछ समय पूर्व प्रकाशित फोटो-स्टैट प्रति की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्स डोडसाल (प्रा०) लि० के विरुद्ध जांच पड़ताल की कार्यवाही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अप्रेल, 1968 में शुरु की गई थी । 14 सितम्बर, 1968 के ब्लिट्ज में जिस दस्तावेज की फोटो-स्टेट नकल प्रकाशित की गई थी, उस दस्तावेज में उल्लिखित बातों की छानबीन भी जांच–पड़ताल में की जा रही है ।

Inter-State Electric Grid System

106. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Irrigation and power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the States have demanded that the Central Government should bear the expenses in regard to the Inter-State Electric Grid ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that the States have also made certain suggestions in regard to regional grid system ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The Central Electricity Consulative Council, at its meeting on 9th March, 1968, recommended that inter-State transmission lines should be financed by the Central Government by funds provided from outside the State Plans. The Committee of the National Development Council, at its meeting on 13th September, 1968, approved the financing of inter-State transmission lines as a Centrally Sponsored Scheme in the Fourth Plan.

(c) and (d) The above decision has been communicated to the State Governments. The suggestions and proposals made by State Government for construction of inter-State regional lines will be considered during the finalisation of the Fourth Five Year Plan.

Power Supply from Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar Dams

+107 .**Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that power is being supplied to other States from Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar Dams in Rajasthan ;

(b) if so, the time by which the lift irrigation system would be introduced ;

(c) the rates at which electricity would be supplied in Rajasthan ;

(d) whether it is also a fact that Government propose to reduce the rates for domestic power ;

(e) if so, the extent of proposed reduction in rates ;

(f) whether it is further a fact that Government propose to enhance electricity rates for small scale industries ; and

(g) if so, the extent to which these rates are going to be enhanced and the income likely to be earned thereby ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The full quantum of power generated at Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar Power Houses is being utilisd by the partner States of Madhya Pradesh and Rajasthan and no power is being supplied to other States.

(b) While Power has already been made available for lift irrigation in Madhya Pradesh, the question of introducing lift irrigation in Rajasthan is currently under examination by the State Government.

(c) A statement of average rates on the basis of the existing tariff in Rajasthan for the various classes of consumers is laid on the Table of the Honse. **[Placed in Library, See. No. LT. 2027/68]**

(d) and (e) The Rajasthan Government has reduced the rate for domestic lighting by 3 paise per unit.

(f) and (g) The matter is under examination of the Rajasthan Government at present.

बिहार की प्रति व्यक्ति आय

108. श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ; और

(ख) बिहार में औद्योगिक, कृषि तथा खनन क्षेत्रों में श्रमिकों की नकद मजूरी कितनी है और वास्तविक मजूरी कितनी है और वह प्रति व्यक्ति आय से कितनी कम अथवा अधिक है।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार राज्य के प्रतिव्यक्ति आय के अनुमान, 1960-61 से लेकर 1966-67 तक के वर्षों के लिए उपलब्ध हैं। चालू और स्थिर दोनों मूल्यों के हिसाब से तैयार किये गये प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों का एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

प्रति -व्यक्ति आय (वास्तविक देशी उत्पाद)

(रुपये)

वर्ष	चालू मूल्यों पर	स्थिर मूल्यों पर
		(1948-49)
1960-61	203	196
1961-62	209	199
1962-63	219	202
1963-64	241	209
1964-65	279	203
1965-66	319	200
1966-67	291	170

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

Barauni Refinery

109. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item appearing in the Indian Nation of the 31st August, 1968 to the effect that a policy of discrimination is being adopted towards the people of Bihar in the Barauni refinery in Bihar;

(b) whether it is a fact that about 1,000 people of Bihar have been retrenched in the aforesaid refinery causing resentment among the local people there ;

(c) whether it is also a fact that the local people are demanding the transfer of certain officers of the Refinery as a result of this discriminatory attitude ; and

(d) if the reply to parts (a) to (c) above be in the affirmative, the number of the people of Bihar among the total employees working in the aforesaid Refinery ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) Some pseudonymous and anonymous communications seeking the transfer of one officer have been received.

(d) 1345 from Bihar out of 1945 monthly rated employees. In addition, there are 1022 daily rated employees who are almost all Biharis.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

110. श्री म० ला० सोंधी : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उनके मन्त्रालय के कितने व्यक्ति बर्खास्त किये गये हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों की पिछली सेवा समाप्त की गई है ;

(ग) क्या हड़ताल के कारण जन हानि तथा सरकारी सम्पत्ति की कोई हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कोई नहीं, श्रीमान ।

(ख) कोई नहीं, श्रीमान

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

टाइप 2 के सरकारी क्वार्टर

111. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में दिल्ली में सरकारी क्वाटरों से सरकार द्वारा कितना किराया वसूल किया गया ;

(ख) इस अवधि में उनके रख-रखाव आदि पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार किराये से प्राप्त हुई अधिक राशि को नए क्वाटरों के, विशेष कर टाइप 2 के, निर्माण पर खर्च करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967-68 के दौरान दिल्ली/ नई दिल्ली में सरकारी निवास स्थानों के आवंटियों से 218.68

लाख रुपये की राशि का किराया निर्धारित किया गया था जिसकी एवज में 198.46 लाख रुपये वसूल किये गये थे।

(ख) 1967–68 के दौरान दिल्ली / नई दिल्ली में निवास स्थानों के अनुरक्षण पर 97,46,394.00 रुपये की राशि व्यय हुई थी।

(ग) और (घ) सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास स्थानों के निर्माण का कार्यक्रम किराया वसूली तथा अनुरक्षण व्यय के अन्तर के आधार पर नहीं बनाया जाता बल्कि वह विभिन्न प्रकार (टाईप) के निवास स्थानों की मांग तथा उपलब्धता तथा इसके लिए बजट के नियतन के आधार पर बनाया जाता है। सामान्यतः नीचे के टाईप के निवास स्थानों के निर्माण पर जोर दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

112. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की हड़ताल की अवधि में उनके मन्त्रालय के कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) क्या उसके कारण काम में कोई रुकावट हुई थी ;

(ग) कितने व्यक्ति बर्खास्त किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकारी सम्पत्ति को कोई हानि हुई थी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख),(ग) और (घ): इनका उत्तर 'नकारात्मक' है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

113. श्री म० ला० सोंधी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की हड़ताल की अवधि में उनके मन्त्रालय के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गए ;

(ख) कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गये ; और

(ग) इस हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) 18–9–1968 को एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया था।

(ख) कोई नहीं।

(ग) शून्य।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के दौरान हुई हानि

114. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल की हड़ताल में उनके मन्त्रालय की सम्पत्ति को कोई हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम तथा रिजर्व बैंक के ऋण

115. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारत के रिजर्व बैंक ने राज्यों को ऋण देने की शर्तों में हाल ही में कुछ परिवर्तन करके उनको नर्म किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण देने की शर्तों को कितना नर्म किया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) **भारत का जीवन बीमा निगम :** जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को ऋण दिये जाते हैं, जिससे वे अपनी आवास योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कर सकें। प्रारम्भ में, जिस योजना के लिए ऋण दिया जाता था उसके स्वरुप के अनुसार ऋण की अवधि कम अथवा ज्यादा होती थी और ऋणों की वसूली मूलधन तथा ब्याज की समान वार्षिक किस्तों में होती थी। 1964–65 से ऋणों की 25 बराबर किस्तों में वसूली की व्यवस्था रखी गयी है। वर्ष 1965-66 और 1966-67 में यह शर्त लागू की गयी कि ऋणों की वसूली पहले की तरह समान वार्षिक किस्तों में नहीं हो कर 25 वर्षों के अन्त में होगी, और राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक रखा कि वे केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में रुपया लगा कर एक शोधन-निधि स्थापित करें, जिससे निर्धारित अवधि के अन्त में ऋण को लौटाया जा सके। कई राज्य सरकारों ने इस शर्त को कठिन पाया। वर्ष 1967-68 में ऋण की वसूली की शर्त में संशोधन किया गया और ऋणों को वार्षिक किस्तों में वसूली की व्यवस्था की गयी। वर्ष 1968-69 के लिये शर्तें वही रहेंगी जो पिछले वर्ष के लिए थी।

भारत का रिजर्व बैंक : 2 मार्च 1968 से बैंकों की दर में कमी किये जाने के बाद अर्थोपाय अग्रिमों और अस्थायी तौर पर निर्धारित से अधिक निकाली गयी रकमों पर ब्याज की दर में कमी करने के अलावा रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों में हाल में कोई उदारता नहीं की गयी है।

कोयला आधारित उर्वरक कारखाने

116. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) महाराष्ट्र स्टेट इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर चन्दा क्षेत्र में, कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के प्रस्ताव की अभी जांच हो रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

117. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या स्वास्थ्य, **परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं के लिए सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता के नियतन सम्बन्धी प्रश्न के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है , और

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिये 1968-69 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू०-मूर्ति) : (क) और (ख) : गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 1968-69 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के नियतन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है ।

Shifting of Nehru Museum from Teen Murti Bhavan

118. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the Government building to which Government have decided to shift Nehru Museum from Teen Murti Bhavan ;

(b) the amount of expenditure earmarked for shifting ; and

(c) the time by which this shifting work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No decision has yet been taken.

(b) Does not arise.

(c) At this stage it is not possible to indicate the time by which shifting will be completed.

Renovation of Ministers' Bungalows

119. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the number of bungalows allotted to Central Ministers the renovation of which is under consideration of Government at present ; and

(b) the amount likely to be spent there on ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) There is no proposal to renovate any of the bungalows allotted to Central Ministers.

Recovery of Gold at Palam

120. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Yajna Dutt Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain persons from whose possession Indian as well as foreign gold had been recovered in large quantity, had been arrested at Palam Airport in the first week of September, 1968 ;

(b) if so, the quantity as well as well as the national and international values of the gold recovered from the persons arrested ;

(c) the names of foreign countries whose markings were found on the gold recovered ; and

(d) the action taken aganist the persons arrested in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 4th September, 1968, two persons from whose possession gold with foreign marking was seized and one/other person who had come to receive them, were arrested at Plam Airport.

(b) In all 130 bars weighing 1300 tolas or 15,158 grammes valued at Rs. 2,40,500/- at the prevailing market rate and at Rs. 1,27,933/-at the international rate were seized.

(c) The markings on the bars indicated origin in the United Kingdom and Switzerland.

(d) The three persons arrested in this connection were subsequently released on bail. The case is still under investigation.

Recovery of Rent from Ex-M.Ps. and Ex-Ministers

121. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri K. Suryanarayana :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the number and names of Ex-Ministers and Ex-M.Ps. at the Centre who were allotted Government accommodation when they were either Ministers or M. Ps. and who have not surrendered their accommedation even after they ceased to be Ministers or Members and the amount of rent which remain to be recovered in each case ;

(b) the action taken by Government in regard to making recovery of the rent so far and the action proposed to be taken in future,

(c) the official rate of rent of these buildings ; and

(d) whether the rent being charged from them is on the basic of rent at the time of allotment or the market rent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) There is no Ex-Minister in occupation of Government residence at present.

(b) There are 6 Ex-M.Ps. who have not yet vacated the accommodation allotted to them. Out of these, one Ex-M.P. is having a garage. Their names and the amount of outstanding arrears of rent against them as on 31st October, 1968 are shown in the Statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-2028/68**]

(b) The amounts due from the Ex-M.Ps. have been intimated to the respective Pay and Accounts Officers for recovery from their final bills. The Ex-M.Ps. have also been requested to pay the dues outstanding against them. In cases where recoveries are not possible in the manner stated above, action has to be taken for the recoveries of the dues in accordance with provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958.

(c) and (d) The normal rent and the market rent of the accommodation occupied by the 6 Ex-M. Ps. is shown in the statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-2028/68**] For the period of unauthorised occupation of the occommodation, market rate of rent is being charged.

Strike by Central Government Employees

+122. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry and Departments who took part in one-day token strike on the 19th September, 1968 as called upon by the Confederation of Central Government Employees;

(b) the number of employees suspended and the number of those whose previous service was dispensed with on this account ; and

(c) the number of employees arrested and the number of those removed from service by Government since then ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a)	Regular	–	130
	Work-charged	–	[illegible]
	Daily rated	–	122

(b) One employee was suspended. In the case of others, their unauthorised absence on 19th September, 1968 has constituted as break in service.

(c) One employee was arrested and he has been placed under suspesnsion. None of the employees has so far been removed from service.

अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां

123. श्री कार्तिक उरांव : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में कुछ व्यक्तियों को आदिम जातीय छात्रवृतियां देने के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:—

(1) श्रीमती सरोजिनी सिंह, बी० एड० पत्नी श्री जॉन आई० पी० सिंह को शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, छोटा नागपुर के जरिए छात्रवृत्ति दी थी । इसलिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आदिम जातीय है अथवा नहीं ।

(2) कुमारी मंजूसिंह पुत्री श्री जानसिंह को बिहार महालेखाकार के कार्यालय के सहकारी लेखा अधिकारी द्वारा दिये गए जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति दी गई थी । इस प्रमाण-पत्र की सत्यता के बारे में राज्य सरकार और जांच कर रही है ।

(3) कुमारी लूसी पिल्लाई ।

(4) कुमारी बानो पिल्लाई ।
ये वी० एन० पिल्लाई की लड़कियां हैं । श्री वी० एन० ई० पिल्लाई आदिम जातीय नहीं है । परन्तु उनकी मां ओराओन आदिम जाति की है । बताया गया है कि उनके पति भी आदिमजातीय हैं । राज्य सरकार ने उन्हे उनकी मां की जाति को देखते हुए उन्हें आदिमजातीय ठहराया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना

124. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा सिद्धान्त है कि आय की तुलना में व्यय का इतने प्रतिशत भाग उस विशेष क्षेत्र का विकास करने के लिए अवश्य ही प्रयोग में लाया जाना चाहिये ।

(ख) बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना की कुल आय कितनी है ; और

(ग) उन जिलों के विकास के लिए कुल कितना व्यय किया जाता है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) छोटा नागपुर और संथाल परगनों की 1967-68 की कुल राजस्व प्राप्तियां 35.66 करोड़ रुपये थी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

Tube Wells in U. P.

+125. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than half of the tube-wells in Uttar Pradesh are lying idle ;

(b) whether it is also a fact that these wells remain idle for hours together due to failure of electricity ;

(c) whether it is further a fact that there is a gang in Uttar Pradesh which steals transmitters and other similar equipments necessary for the working of the tube-wells ;

(d) whether any such gang has been unearthed ;

(e) if so, whether some of the articles stolen by that gang have been recovered ; and

(f) if not, the efforts being made by Government to check recurrences of such thefts ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b): It is not a fact that more than half of the tubewells in Uttar Pradesh are lying idle. A few tubewells remained idle during the rainy season due to theft of transformers. All these transformers have been replaced in September 1968. For limited durations tubewells do not run during times of breakdowns and shutdowns. These are promptly attended to and efforts made to keep down the duration to the minimum possible.

(c) and (d) Thefts of transformer parts and equipment have taken place. The existence of a gang have not been established. The culprits have occasionally been caught.

(e) Material has been recovered in a few cases.

(f) The staff has been alerted to intensify vigilance. Reports of thefts are lodged with the police for investigations. The Board has announced cash rewards to those who might give useful information regarding thefts of transformers. Preventive measures have also been taken. A design of welding of transformers to base plates has been devised for adoption progressively in order to make thefts more difficult.

ईरान के सहयोग से तरल अमोनिया का निर्माण

126. श्री रा० की० अमीन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान समान शर्तों पर भारत के साथ मिल कर ईरान में तरल अमोनिया बनाने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे भारत में अमोनिया का आयात किस हद तक कम होगा ?

पैट्रोलियम श्रौर रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) इस मामले पर अभी बातचीत हो रही है और कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता मिलने की सम्भावनायें

127. श्री एस० श्रार० दामानी :
श्री हिम्मत सिंह का :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सहायता सार्थ संघ से चालू वर्ष में भारत को मिलने वाली सहायता में सम्भावित कमी के बारे में इस बीच संकेत दिया है ।

(ख) क्या 1616.40 लाख डालर की अपेक्षित सहायता का वचन अब निश्चित रूप से मिल गया है ;

(ग) उपलब्ध सहायता में से वर्ष के आरम्भ में पाइप लाइन के लिये कितनी धनराशि ली जा चुकी है ;

(घ) क्या इस धनराशि में से कुछ धन राशि शेष बची है और परियोजना से भिन्न सहायता से, जिसका करार अप्रैल 1968 से 3973.30 लाख डालर है, इस वर्ष की हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ; और

(ङ) यदि नहीं, इसके फलस्वरूप जो कठिन स्थिति पैदा होगी, उसका सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1616.4 लाख डालर में से 325.2 लाख डालर के करार किये जा चुके हैं ।

(ग) 31 मार्च, 1968 को उपलब्ध गैर-प्रायोजना सहायता में से 30 सितम्बर, 1968 तक 2151.5 लाख डालर की रकम ली जा चुकी थी ।

(घ) और (ङ) यदि विदेशी साधनों का बहुत सावधानी से मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया जाय, निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की जाय और कृषि उत्पादन का स्तर सन्तोषजनक हो, तो वर्ष के शेष भाग में किये जाने वाले आयत की सामान्य आवश्यकताएं पूरी करना सम्भव हो सकेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

128. श्री एस० श्रार० दामनी : क्या वित्त मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सूची बद्ध उद्योगों ने चालू वर्ष में इस बीच कोई प्रगति दिखाई है और यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग में गत वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस वर्ष की पहली छमाही में राष्ट्रीय आय गत वर्ष की उस अवधि से अधिक हो गयी है जैसा कि प्राय: उद्योगों की अधिक प्रगति से पता चला है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इससे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में अनुपयुक्त क्षमता कितनी कम हुई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 14 उद्योगों में से 8 उद्योगों के काम में सुधार हुआ है । एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2029/68**]

(ख) राष्ट्रीय आय के अनुमान, वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते हैं। इसलिये छमाही सूचना उपलब्ध नहीं है । सब से हाल के उपलब्ध अनुमान 1967-68 के हैं ।

(ग) जनवरी से जून, 1968 तक की अवधि में, 1967 की इसी अवधि के मुकाबले, औद्योगिक उत्पादन में कुल मिलाकर 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सरकारी क्षेत्र के बहुत से प्रतिष्ठानों में उत्पादन बढ़ा और इसका क्षमता के उपयोग पर अच्छा असर पड़ा ।

आयल इंडिया लिमिटेड

129. श्री एस० आर० दामनी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड क्रमश: 1954, 1961 और 1963 में जारी किये गये खनन पट्टों के मन्जूरी-पत्र तथा खोज-लाइसेन्सों के अन्तर्गत ही (एक) नहरकटिया, (दो) नहरकटिया एक्सटेंशन/हुंगरीजन / ओरन, और (तीन) डम डम और निगरन क्षेत्रों में अब भी काम कर रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वर्षों में कोई औपचारिक खनन पट्टा करार अथवा पैट्रोलियम खोज लाइसेन्स कार्याविन्त नहीं किये गये हैं ;

(ग) इन करारों को कार्यान्वित करने में देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन पट्टों और लाइसेन्सों को बिना और देरी के अन्तिम रूप देने और कार्याविन्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) लाइसेन्सों और पट्टों की कार्यान्विति राज्य सरकार और पट्टेदारों के बीच होनी है । कच्चे तेल पर रायल्टी और समय समय पर रायल्टी दरों में कमी बेशी के लिए पट्टों में लिखित-रूप में सही तौर पर व्यवस्था से सम्बन्धित समस्या को ध्यान में रखते हुए आसाम सरकार ने कुछ पट्टों की कार्यान्वित में देर कर दी है या उसे आस्थगित कर दिया है ।

(घ) समय समय पर रायल्टी की दरों के घट बढ़ जाने की हालत में पट्टों के अनिवार्य संशोधन को लागू करने की समर्थकारी शक्तियां प्राप्त करने का भारत सरकार विचार कर रही है। इससे उन कठिनाइयों में से एक कठिनाई दूर हो जायेगी जो मौजूदा मामलों में देर का कारण है।

नये उर्वरक कारखाने

130. श्री एस० आर० दामनी :
श्री गार्डिलिगन गौड़ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर नये उर्वरक कारखानों के बारे में इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) ये कारखाने कब तक स्थापित किये जायेंगे और उनमें उत्पादन कब तक आरंभ हो जायेगा ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) मैसर्स आक्सीडेन्टल पेट्रोलियम कारपोरेशन और मैसर्स कलिन्गा ट्यूबज लिमिटेड द्वारा भेजे गये प्रस्ताव अनुमोदित हो गये हैं और आशय-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(ख) 1971-72 तक

(ग) शेष परियोजनाओं की स्थापना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि उनके आर्थिक ढांचे और अन्य तथ्यों का अभी अध्ययन हो रहा है।

नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् में एक ईसाई धर्म प्रचार स्कूल को भूमि का नियतन

131. श्री बलराज मधोक : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् के सैक्टर 12 में रहने वाले लोगों के उस प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है जिसमें वहां पर ईसाई पब्लिक स्कूल खोलने का विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह निर्णय किया जा चुका है कि पहले किये हुए आवंटन को बनाये रखा जाये।

विकलांग लड़के और लड़कियों को रोजगार

132. **श्री बलराज मधोक :** क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विकलांग लड़के और लड़कियां सफलता पूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी उनको इसलिये रोजगार नहीं दिया जाता है कि वे विकलांग हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे लड़के और लड़कियों के लिये बनाये गये रोजगार नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सभी विकलांग व्यक्ति रोजगार नहीं पा सके हैं।

(ग) सुझाव का अनुगमन होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती सफाई विभाग का दिल्ली विकास प्राधिकार को हस्तांतरण

133. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्ती सफाई विभाग को दिल्ली नगर निगम की वजाय दिल्ली विकास प्राधिकार के नियन्त्रण में कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस विभाग के कर्मचारियों को भी दिल्ली विकास प्राधिकार में हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने उन कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों में अभी तक समेकित नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के इर्द-गिर्द के गाँवों के लिये नागरिक सुविधायें

134. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र के लगभग एक सौ गांव गत कुछ वर्षों में दिल्ली की उपनगरीय सीमा में आ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन गांवों का विकास करना दिल्ली विकास प्राधिकार का उत्तरदायित्व है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने ऐसे अधिकांश गांवों में पेय जल, शौचालय जैसे न्यूनतम नागरिक सुविधाओं की भी अब तक व्यवस्था नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सम्बन्धित गांवों मे इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी ।

शैक्षिक साधन केन्द्र (एजूकेशनल रिसोंसिज सेंटर) नई दिल्ली द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

135. **श्री ए० श्री धरन** : **श्री क० लकप्पा** :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : **श्री नि० रं० लास्कर**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : **श्री रा० बरुआ** :
श्री भारतसिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अमरीका द्वारा संचालित शिक्षा संसाधन केन्द्र विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करके बेची जाने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का भारत से निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरराजी देसाई) : (क) तथा (ख) : उल्लिखत केन्द्र ने मई, 1968 में विदेश डाकघर, नई दिल्ली की मार्फत कुछ पार्सलें निर्यात करनी चाही थीं । इन पार्सलों में लगभग 372 पुस्तकें थीं । इन पुस्तकों पर कीमत नहीं पड़ी हुई थी ।

इन पार्सलों को रोक लिया गया, पुस्तकों का मूल्य 372 डालर आंका गया तथा निर्यातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए कहा गया। निर्यातकर्ताओं से उत्तर मिलने पर मामले का फैसला किया जाएगा।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध जांच

136. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेट के प्रबन्धक निदेशक द्वारा किये गये गोलमाल का पता लगाने के लिये जांच कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की गई है।

(ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव ने उक्त मंत्रालय के उप सचिव की सहायता से आरोपों का अध्ययन किया।

(ग) और (घ) : सचिव ने सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ; जिसमें दी गई बातों का सारांश निम्न प्रकार है :

(1) कारखाने के उत्पादन में कमियां हुई हैं लेकिन इन कमियों का अंशतः उत्तरदायित्व बिजली समस्याओं से सम्बन्धित हैं। कार्य-स्थल और अनुरक्षण विभाग में भी कुछ त्रुटियां पाई गई थीं, जिन पर ध्यान दिया गया है और उत्पादन ये वृद्धि शुरु हुई है।

(2) व्यय पर अधिक नियन्त्रण और ज्यादा खर्चे की प्रवृति से बचना उपेक्षित है। कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति में, प्रत्येक मद्रास और दिल्ली के किरायों पर 5 लाख से 6 लाख रुपये खर्च करना न्याय संगत नहीं था। यथार्थ बजट से यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता था। कम्पनी के अतिथि गृहों/विश्राम गृहों की देखरेख में मितव्ययता लाने की गुंजायश है।

(3) समय समय पर व्यय पर अधिकतम मात्रा में नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए, बजट को तैयार करने, प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन करने की पद्धति का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

(4) कम्पनी के नौजवान अफसरों का भविष्य और आवश्यकत की अस्थायी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सेवा निवृत अफसरों की पुर्ननियुक्ति और वर्णित अफसरों की प्रतिनियुक्ति ठीक ढंग से की गई है।

(5) अन्य लगाये गये आरोप सारहीन प्रतीत होते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली के औषधालयों में अत्यावश्यक औषधियों का न दिया जाना

137. **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से ऐसी शिकायतें की गई हैं कि दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले औषधालयों में अत्यावश्यक औषधियां नहीं दी जाती हैं ;

(ख) क्या ये शिकायतें उन आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में हैं जहां इस योजना के अन्तर्गत कई महिनों तक साधारण औषधियां भी उपलब्ध नहीं होती हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के आयुर्वेदिक औषधालय के भारसाधक को यह प्राधिकार दिया था कि वे ऐसी औषधियां जो औषधालयों में उपलब्ध न हो और जो मरीजों को देना चाहें, स्थानीय बाजार से ले सकते हैं ?

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय–विकास संत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) : जी हां।

(ख) कुछ शिकायतें आयुर्वेदीय औषधालयों के बारे में भी है।

(ग) से (ङ) : आयुर्वेदीय औषधालय के मेडिकल अफसर इन्चार्ज को नियमित सप्लाई उपलब्ध होने तक अनिवार्य औषधियों को स्थानीय खरीद करने का अधिकार दिया हुआ है।

छात्रों को छात्रवृत्तियां

138 श्री निहाल सिंह : **श्री तुकाराम गेविट :**
श्री शिवपूजन शास्त्री : **श्री दे० वि० सिंह :**

क्या समाज कल्याण मन्त्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दिल्ली की पोलिटेक्निक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के 813 छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के मामले में अधिकतम तथा न्यूनतम आय सीमा क्या रखी गई है ;

(ख) क्या आय के सत्यापन के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो छात्रवृतियां प्राप्त करने के लिये कितने मामलों में आय के झूठे प्रमाणपत्र पेश किये गये थे ; और

(घ) यदि आय का सत्यापन नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण थे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) (क), (ख), (ग) तथा (घ) : संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासक से विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीयों के विदेशों में बैंकों में खाते

139. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से विशेषतः केन्द्र और राज्यों के मन्त्रियों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा और उच्च सरकारी पदों पर अब आसीन अथवा पहले काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशों में खोले गये खातों के बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में कुल कितनी राशि जमा है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि विदेशी बैंकों में जमा ऐसी राशि बिना हिसाब–किताब बताये वापस नहीं ली जा सकती है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों से ऐसी जमा राशियों से सम्बन्धित कितनी लेखा-बाह्य राशि का पता लगा है और इस समय ऐसी कितनी लेखा-बाह्य राशि जमा होने का सरकार का अनुमान है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देशाई) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक की विधिवत स्वीकृति से और उसके नियन्त्रण में भारतीय राष्ट्रिकों (फर्मों सहित) द्वारा विदेशों में रखे गये खातों में जमा रकम का मूल्य सितम्बर, 1967 तक की अवधि के लिए 8.12 करोड़ रुपया था । व्यवसाय के आधार पर, खास तौर से प्रश्न में किये गये अनुसार, कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता ।

(ग) और (घ) : रिजर्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति के बिना विदेश में खाता रखना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों पर नजर रखना प्रवर्तन निदेशालय का कर्तव्य है। और जिन लोगों के बारे में यह पता चलता है कि उन्होंने विदेश में अपने अनधिकृत खाते खोल रखे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। पिछले तीन वर्षों में कुछ व्यक्तियों पर जुर्माने किये गये हैं, पर विदेश में रखे गये इस प्रकार के धन के बारे में कोई अनुमान लगाना कठिन है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वाटरों का नियतन

140. श्री निहाल सिंह : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लगभग 20 वर्षों से दिल्ली में सरकारी क्वाटर नहीं दिये गये हैं जबकि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को जिनकी प्राथमिकता तारीख 1965 थी उनको अपनी श्रेणी के क्वाटर दे दिये गये हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए क्वाटरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार को कितना समय लगेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : सभी सरकारी अधिकारियों को उनकी प्राथमिकता की तारीख के अनुसार वास का आवंटन किया जाता है। 700 रुपये से कम पाने वाले अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख, उनकी सरकारी नौकरी में कार्य-ग्रहण करने की तारीख से मानी जाती है और उनकी आपसी वरिष्ठता का निश्चय तदनुसार किया जाता है। इनमें टाइप I, II, III तथा IV के मामले आ जाते हैं।

700 रुपये, तथा उससे अधिक लेने वाले अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से मानी जाती है, जिस दिन से उस टाईप के वास के लिए हकदार बनने के लिए न्यूनतम परिलब्धियां प्राप्त करना आरम्भ करते हैं। टाईप V के लिए प्राथमिकता की तारीख तब से मानी जाती है जब अधिकारी 700 रुपये लेना आरम्भ करता है तथा टाईप VI के लिए, 1300 रुपये लेने की तारीख से, टाईप VII के विषय में अधिकारी को 2250 रुपये मिलने की तारीख से, तथा टाईप VIII के लिए उस तारीख से प्राथमिकता मानी जाती है जिस तारीख से वह अपर सचिव/सचिव अथवा उसके बराबर के पद को ग्रहण करता है।

टाईप VIII के मामले में, 1965 की प्राथमिकता की तारीख वाले अधिकारियों को वास का आवंटन कर दिया गया है। इससे यह संकेत नहीं मिलता कि इन अधिकारियों की अब तक कुल सेवा अवधि क्या थी ?

(ख) जैसे कि ऊपर (क) में बताया गया है, वास के आवंटन के लिए प्राथमिकता की तारीख का निर्णय विभिन्न प्रकारों से किया जाता है और यही उसके कारण हैं।

(ग) वर्तमान कुल परितुष्टि लगभग 40 प्रतिशत है। और जब तक सरकार का शत प्रतिशत आधार पर वास का निर्माण नहीं कर पाती तब तक सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

और अधिक सरकारी वासों का निर्माण योजना परियोजनाओं (प्लान प्रोजेक्ट्स) के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों पर निर्भर है।

समवायों का विज्ञापनों और अतिथि गृहों पर व्यय

141. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार गृहों, औद्योगिक तथा व्यापारिक समवायों और निगमों द्वारा अतिथि-गृहों की व्यवस्था तथा विज्ञापनों पर होने वाले खर्च और कम करने के प्रश्न पर सरकार ने हाल में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

142. श्री अदिचन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निर्माण-कार्य में अनुमानतः कितनी आयातित सामग्री तथा उपकरणों की आवश्यकता है ;

(ख) भारत में ऐसी कौन-कौन सी एजेंसियां तथा निर्माता हैं जिनके द्वारा इस सामग्री तथा उपकरणों के सप्लाई किये जाने की सम्भावना है तथा प्रत्येक मामले में किस हद तक ; और

(ग) दोनों विदेशी सहयोगियों में से प्रत्येक से कितनी विदेशी जानकारी तथा इन्जीनियरी और तकनीकी दक्षता आयात की जायेगी तथा इन सेवाओं के लिये कितना धन (एक) विदेशी मुद्रा में और (दो) अन्यथा होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ब्यौरे दिसम्बर, 1968 / जनवरी 1969 के पश्चात उपलब्ध होंगे, जब विदेशी सहयोगियों और इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा एकमुश्त भाव प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ख) यह सूचना आयातित तथा देशीय उपकरण और माल की खंड सूचियों को अन्तिम रूप देने के पश्चात प्राप्त होगी।

(ग) मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए, फ्रांस के मैसर्ज टैकनिप / एनसा रूपांकन, इंजीनियरी, निर्माण सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाएं देने में सहायता करेंगे।

रूमानिया के मैसर्ज इंडस्ट्रीयल एक्सपोर्ट लूब आयल्ज, इंधन तेल तथा बिटुमैन के निर्माण के लिए इसी प्रकार की सहायता मुहैया करेंगे ।

वित्तीय देयता, जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश आदि शामिल है, का पूर्वानुमान, एकमुश्त दरों के अन्तिम रूप तक नहीं लगाया जा सकता जिसका फैसला शीघ्र होने की आशा है ।

रेडक्रास संस्था को मैसूर में टुमकुर स्वास्थ्य संस्था को चलाने के लिए सहायता

143. श्री क० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेड क्रास संस्था को मैसूर राज्य में टुमकुर में स्वास्थ्य संस्था के लिए कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस रूप में सहायता दी गई है ;

(ग) क्या स्थानीय समिति ने यह प्रार्थना की है कि सहायता के रूप में शल्य चिकित्सा जैसे डाक्टरी उपकरणों तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में अनिर्णित पड़ा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय-विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, बैंगलोर

144. श्री क० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंगलौर स्थित आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ में कुप्रशासन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में पक्षपात पूर्ण रवैये के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ;

(ग) इस लामले में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में जांच करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर-विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इन शिकायतों में निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :

(1) संस्थान के कर्मचारियों को भरती करने में पक्षपात, और

(2) स्टाफ के कुछ कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार ।

(ग) भरती सम्बन्धी आरोपों की छानबीन की गई और ये निराधार पाये गए। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त कार्यवाही पहले से ही की जाने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

Inadequate Power Supply to Industries in Bombay and Kotah

+145. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that power generation has gone down due to inadequate rains at some places like Bombay and Kotah ;

(b) whether it is also a fact that power supply to industries, there has been curtailed ;

(c) whether Government, in view of the importance of industries, would see that power generation is not made dependent on rains alone ; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Due to deficient rainfall in the catchment of the Tata and Koyna hydel stations, the power generation from these stations which feed Western Maharashtra including the Bombay area has been adversely affected.

The water levels in the Chambal reservoirs have been quite satisfactory during the current year. Power supply to Kotah, therefore is not likely to be adversely affected.

(b) The Government of Maharashtra has imposed 16% cut in the consumption of electrical energy by industries in Bombay with effect from 1. 11. 68.

No power cut in Rajasthan is anticipated at present.

In Rajasthan, restriction in the power supply is in force, at present, on consumers having maximum demand exceeding 5000 KVA. However, in view of the improved power supply position, the State Government is considering removal of this restriction.

(c) and (d) : The Tarapore nuclear power station (Maharashtra's share 190 MW) which is scheduled to be commissioned by the middle of 1969, and the thermal power stations at Nasik (280 MW) and Koradi (480 MW) which are expected to be commissioned during the Fourth Plan period would substantially increase the thermal/nuclear capacity in Maharashtra.

In Rajasthan, the commissioning of the Ranapratapsagar nuclear power station during the Fourth Plan would safeguard against power shortages during dry years in that State.

In addition to increase in the installed thermal/nuclear generating capacity, the inter-State transmission lines which are in various stages of progress are expected to alleviate the effects of power shortages arising from deficient monsoons.

Family Planning Programme among Religious Communities

146. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some religious communities are opposing the Family Planning programme and the members of those communitties are consequently ignoring this programme ;

(b) if so, whether Government have considered any measures whereby this scheme becomes equally acceptable to people of all the communities of India ; and.

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No. There is no appreciable opposition to the Family Planning programme which is accepted by all communities generally in the same proportion as their population bears to the total population of the area concerned.

(b) The Family planning movement in India is already equally applicable and available to all the communities. It has been founded on rational scientific and voluntary basis. The programme is essentially related to the socioeconomic development of the people of all the communities.

(c) Does not arise.

Establishment of M/s. Gurusum Factory and Jhunjhunwala Jarvis Ltd.

Shri Onkar Singh :
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5874 on the 26th August, 1968, and state,

(a) whether the information regarding the establishment of M/s Gurusum Factory, Visabh and M/s Jhunjhunwala Jarvis Limited, the nature of business being done by these companies and the amount of income-tax paid by these companies to Government during the last five years has since been collected by the Government :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and when it would be laid on the table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is given in the annexure laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. Lt-2030/68]**

(c) Does not arise.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4273 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation has since been collected ?

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the date by which the information would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) : Yes, Sir.

(b) Master Vijay Kumar is not a partner in any firm. He holds shares in the following companies other then M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd :-

1. Structural Engg. Works Ltd., Bombay.
2. The New Shorrock Spg. & Mfg. Co. Ltd., Bombay,
3. The Bombay Burmah Trading Corp. Ltd., Bombay.
4. Ashok Leyland Ltd., Madras
5. Dawn Mills Co. Ltd. Bombay.
6. The Belapur Sugar Co. Ltd., Bombay.
7. Mckenzies Ltd., Bombay.
8. Oudh Sugar Mills Ltd., Bombay.
9. Central India Mills Ltd., Nagpur.
10. Moon Corporation Ltd., Hargaon.
11. Good Year India, Ltd., Calcutta.
12. Associated Bearing Co. Ltd., Bombay.

Master Vijay Kumar and members of his family do not hold controlling interest in any of the above companies,

(c) Does not arise.

Establishment of M/s Gandu Ram and Sons and M/s Jhunjhunwala Family Trust

Shri Onkar Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5873 on the 26th August, 1968 and state :

(a) Whether information regarding the information as well as the directors of the firms named M/s Gandu Ram and Sons and M/s Jhunjhunwala Family Trust has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and when it would be laid on the Table?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finace, (Shri Morarji Desai) : (a)and(b) : There is no firm by the name of M/s Ganduram & Sons. M/s Jhunjhunwala Family Trust was established on 2-4-1963 and Rs. 1,000/- was settle on this Trust initially. There has been no change in the amount settled. The names of the Trustees of this Trust are :—

Shri Banwarilal Ramniranjan Jhunjhunwala.
Shri Champalal Ramniranjan Jhunjhunwala.
Shri Bhagwatiprasad Ramniranjan Jhunjhunwala.

Assessments in the case of this Trust have not so far been completed. No tax has therefore, been assessed or paid so far.

(c) : Does not arise.

M/s Rayon Pulp Manufacturing Company

150. **Shri Onkar Singh :** **Shri Sharda Nand :**
Shri J. B. Singh : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5875 on the 26th August, 1968 and state :

(a) Whether information in respect of M/s Rayon Pulp Manufacturing Company has since been collected :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the information is likely to be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a), (b) and (c) : In reply to certain parts of Lok Sabha Unstarred Question No. 5875 dated the 26th August, 1968, the following items of information relating to M/s Rayon Pulp Manufacturing Co. Ltd., were to be collected and laid on the Table of the Sabha :

(i) names of the products, if any, manufactured by the company ;

(ii) the expenditure incurred on the establishment of the Company and the present capital of the Company ;

(iii) the annual production capacity of the Company ; and

(iv) the number and names of the Directors of the Company and the amount of income-tax assessed on them during the last five years and the amount realised as also the amount of imcome-tax yet to be realised from them.

The available information on the above points is as follows :

(i) The Original plan of the Company was to manufacture Bleached grade Rayon Pulp but from the Director's reports it is seen that the Company could not go ahead with its original plan. From the documents filed by the Company before the Registrar of Companies, it is not possible to give a precise and exhaustive list of products manufactured by the Company.

(ii) From the Company's Balance sheet, as on 31. 5. 1967, it is seen that the following expenditure was incurred till that date :

(i) Preliminary expenses ...... Rs. 3278.50

(ii) Development expenditure ... Rs. 53326.32

The paid up capital of the Company, as on 31. 5. 1967, was Rs. 70/-.

(iv) The following are the three Directors of the Company since its incorporation :-

1. Shri R. R. Jhunjhunwala
2. Shri P. R. Jhunjhunwala
3. Shri B. R. Jhunjhunwala

Information in respect of (iii) and the remaining portion of (iv) above is still being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

कलकत्ता नगर

151. **श्री समर गुह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता नगर की स्थिति के बारे में अनेक राष्ट्रीय तथा विदेशी समाचारपत्र संवाददाताओं द्वारा की गई विभिन्न आलोचनाओं की ओर दिलाया गया है, जिनमें हमारे देश के इस सबसे बड़े नगर को 'मरणासन्न नगर' बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के इस बड़े नगर की निरन्तर बिगड़ती और गिरती हुई स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नगर की बिगड़ती हुई वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं और इसको बिगड़ती हुई स्थिति से उबारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाएं

152. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि गंदी बस्तियों को हटाने तथा उनमें सुधार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये, जिसमें भंगियों के लिये आवास योजना शामिल है, धन की व्यवस्था करने हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे आदेश किन-किन तारीखों को जारी किये गये थे जिनमें विभिन्न राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया था, तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है कि मंजूरी देरी से जारी की गई थी जिसके कारण इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले स्थानीय निकायों को देर से भुगतान किया गया । जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भारी राशि व्यपगत होती रही ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रति वर्ष कुल कितनी राशि का नियतन किया गया और कितनी राशि वापस की गई ; और

(ग) इनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(क) ऐसा अभ्यावेदन एक राज्य से प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना

153. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की गन्दी बस्तियां हटाने तथा उनमें सुधार करने की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश ने भंगियों तथा मेहतरों के आवास के लिए 328 मकान बनाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति मकान कितनी लागत मन्जूर की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र

154. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरप्रदेश के फैजाबाद जिले में अस्पतालों और प्रसूति तथा बाल-कल्याण केन्द्रों की संख्या नितान्त अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू योजना की अवधि में इस जिले में और अधिक प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके कहां-कहां खोले जाने की संभावना है ।

स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नगरीय-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले को सामाजिक संस्थाएं

155. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद जिले में कितनी सामाजिक संस्थाओं को समाज-कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है ;

(ख) उन्हें अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) क्या उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) दो संस्थायें. जिनके नाम हैं :

(1) भारतीय ग्रामीण सेवा संघ ; तथा

(2) जिला नेत्र राहत संस्था; को

फैजाबाद जिले में समाज कल्याण गतिविधियों के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से वित्तीय सहायता मिल रही है।

(ख) 1,78,013 रुपये।

(ग) उत्तर प्रदेश से संलग्न निरीक्षकों तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कल्याण अधिकारियों द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। उस जिले के राज्य बोर्ड का कार्य-भारी सदस्य भी संस्थाओं का दौरा करता है। संतोषजनक काम की रिपोर्ट मिलने पर ही अनुदानें मन्जूर की जाती तथा दी जाती तथा उनका नवीकरण किया जाता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति

156. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञ नियुक्त करने पर कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग में कब तक सभी भारतीय कर्मचारी हो जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) आयोग के भारतीय विशेषज्ञों के अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक अनुभव और प्रवीणता प्राप्त कर लेने के साथ साथ ही आयोग में नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है। तो भी, पूर्ण भारतीयता के लिये कोई पक्की तिथि निश्चित नहीं की गई है।

Annapurna Restaurant, Janpath, New Delhi

157. Shri Valmiki Choudhary :
Shri Sitaram Kesri :

Will the **Minister of Works, Housing and Supply** be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that Annapoorna Restaurant running at Janpath, New Delhi has been closed ;

(b) if so, the reasons therefor and whether it is a fact that the rent of the place where the restaurant was running had been increased by Government from time to time which has been a contributory factor to its closure;

(c) if so, the amount of the rent increased from 1951 to 1968 in respect of the barrack where Annapoorna Restaurant was located; and

(d) the reasons for not permitting this institution, which particularly aimed at checking the rise in prices and promote and popularise the use of non-cereal edibles, to

use this place for running the restaurant at reduced rates of rent or not providing for an alternative cheap accommodation ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and supply (Shri Iqbal-Singh) (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The reasons for the closure of the Restaurant, are not known. The amount of rent excluding service charges being charged from the Restaurant from 1951-1968 in respect of the Government accommodation allotted to the All India Women's Food Council for use of the restaurant is as under :–

1-4-1951 to 31-3-1953		Nil
1-4-1953 to 31-3-1954	...	Rs. 100/- p.a.
1-4-1954 to 12-10-1954	..	Rs. 197.37 p m.
13-10-1954 to 31-3-1957	...	Rs. 218.88* p.m.

*(Due to increase in area of accommodation allotted).

1-4-1957 to 31-12-1961	Rs.243.20 p m.
1-1-1962 to 31-3-1965	Rs.597.30(Rent-under FR.45-B) p.m.
1-4-1965 to 30-11-1965	Rs.418.30 (Rent-under FR.45-B) p.m.
1-12-1965 to -date	Rs.1216.00 (Market-rate of rent) p.m.

(d) In view of the recommendations of the Public Accounts Committee Government decided to recover rent at market rate from all non-eligible organisations, including the All India Women's Food Council, for acommodation placed at their disposal.

मध्य प्रदेश में नगर आयोजन योजनाओं के अन्तर्गत वृहत योजनाएं

158. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भिन्न-भिन्न नगरों के लिये तैयार की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित "टाउन प्लानिंग" योजना के अन्तर्गत 'वृहत् योजनाओं' का मोटा ब्यौरा क्या है और उन पर कितना खर्च आयेगा;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) इन वृहत् योजनाओं के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में क्या प्रस्ताव है; और

(घ) ये योजनाएं कब पूरी हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) भारत सरकार भोपाल, जबलपुर और भिलाई नगर क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार करने के लिये दक्ष प्रशिक्षित सहायता दे रहे हैं। इस राज्य सरकार को

इन प्रायोजनाओं के लिये दी गई सहायता की कुल राशि क्रमशः 5.45 लाख रुपये, 4.052 लाख रुपये तथा 3.928 लाख रुपये है।

भोपाल की विस्तृत विकास योजना शीघ्र ही प्रकाशित की जाने वाली है। इस योजना में आगामी बीस वर्षों में भोपाल में आवास, भौतिक सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं, मनोरंजन, औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्य क्षेत्रों, सरकारी भवनों, संस्थानिक भवनों आदि क्षेत्रों में विकास करने की व्यवस्था की गई है।

जबलपुर की अन्तरिम विकास योजना भी शीघ्र ही तैयार होने वाली है। इस योजना में उद्योगों तथा नये आवासी क्षेत्रों के भावी विकास के संबंध में आम निर्देश अंकित किये जायेंगे।

भिलाई नगर क्षेत्र योजना में भिलाई स्टील टाउन, वर्ग तथा समीपस्थ ग्रामों के समन्वित विकास की व्यवस्था की गई है।

(ख) ये योजनाएं अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) भोपाल और भिलाई नगर क्षेत्र की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। जब कि जबलपुर की अन्तरिम विकास योजना के शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है।

सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी

159. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त असैनिक कर्मचारियों को एक वर्ष के भीतर यह निर्णय करना होगा कि क्या वे अपनी मूल सेवा में नियुक्त रहना चाहते हैं या वे उपक्रम में स्थायी रूप से रहने के लिये अपनी मूल सेवा से मुक्त होना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सरकारी उद्यमों के पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों पर कम निर्भर रहने और इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें।

इस सम्बन्ध में, सिद्धान्त रूप में यह फैसला किया गया है कि प्रतिनियुक्त किये गये सरकारी अधिकारियों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वे सरकारी उद्यमों में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं या अपने मूल संवर्ग में वापस जाना चाहते हैं और उन्हें इस विकल्प के बारे में अपने पदों की किस्म के अनुसार एक वर्ष या 3 वर्ष की अवधि में बताना होगा।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

160, श्री नरेंद्र कुमार साल्वे :
श्री एम० नारायण रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा भारत में पूंजी लगाई जाने पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1967 में जिस नीति की घोषणा की गयी थी उसके अनुसार, अनिवासी (विदेशों में रहने वाले) भारतीयों को भारत में केवल औद्योगिक काम-धन्धे करने की इजाजत दी गयी थी, बशर्ते कि वे भारतीय संयुक्त पूंजी कम्पनियां, विशेष रूप से पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां स्थापित करें। पूंजी लगाने वाले इस प्रकार के भारतीय को स्वेच्छा से ऐसा वचन देना चाहिए कि न तो लगायी गयी पूंजी और न उस पर प्राप्त हुआ लाभ विदेश में वापस भेजा जायेगा। यदि आरम्भ में सम्भव न हो तो उचित अवधि में जैसे कि पाचं वर्षों में उसे कम्पनी की सामान्य पूंजी में क्रमशः कम से कम 49 प्रतिशत तक की पूंजी, निवासी भारतीयों से प्राप्त करनी चाहिए। जब तक अनिवासी निवेशक भारतीय नागरिकता न ग्रहण कर ले तब तक उसको देय सभी रकमें भारत में उसके अनिवासी निरुद्ध खाते में जमा की जानी चाहिए।

सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि प्रयोग के आधार पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए, अनिवासी भारतीय व्यक्ति पूर्ण-स्वामित्व वाले और साझेदारी वाले प्रतिष्ठानों में भी पूंजी लगा सकते हैं। वे किसी भी प्रकार के प्रबन्ध के अधीन व्यापार और कारबार भी कर सकते हैं। लेकिन इस उदार नीति की कुछ शर्तें होंगी। यदि कोई अनिवासी निवेशक लिमिटेड कम्पनी स्थापित करके व्यापार या कारबार करे तो उस पर वही शर्तें लागू होंगी जो औद्योगिक धन्धे में लगी कम्पनीयों में लगायी गयी पूंजी के सम्बन्ध में अब तक लागू होती रही हैं। किसी भी धन्धे में लगा कोई अनिवासी निवेशक यदि पूर्ण-स्वामित्व वाले या साझेदारी वाले प्रतिष्ठानों में पूंजी लगाये, तो उसे ऐसा वचन देना चाहिए कि न तो उसके द्वारा लगायी गयी पूंजी और न लाभ की रकम विदेश वापस भेजी जायेगी। जब तक वह भारतीय नागरिकता ग्रहण न कर ले तब तक उसको देय सभी रकमें भारत में उसके अनिवासी निरुद्ध खाते में जमा कर दी जायेंगी। पूर्ण स्वामित्व वाले या साझेदारी वाले प्रतिष्ठानों के लेखे की परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे योग्यता प्राप्त चार्टर्ड लेखाकारों से करायी जानी चाहिए जो लिमिटेड कम्पनियों के लेखों की परीक्षा करने के लिए सक्षम हो। इन प्रतिष्ठानों के लेखा-परीक्षकों के अधिकार और कर्तव्य वही होंगे जो लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में, समवाय अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं।

इस उदार नीति की घोषणा करने वाला एक प्रेस नोट शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

बाढ नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय नदी ग्रिड व्यवस्था

161 : श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बाढ़ों से होने वाले विनाश को रोकने के लिये देश में क्षेत्रीय नदी ग्रिड व्यवस्था करने के लिये कोई योजनाएं बनाई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में, फालतू बाढ़ के पानी का व्यपवर्तन करने के लिए, विभिन्न नदी-प्रणालियों को आपस में मिलाना केवल तभी व्यवहार्य है जबकि जल प्राप्त करने वाली प्रणाली अपने तटवर्ती क्षेत्र में कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न किए बिना ऐसे व्यपवर्तित बाढ़ निस्सार को लेने की क्षमता रखती हो । यद्यपि ऐसे व्यपवर्तन की गुन्जाइश तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बहुत सीमित रहती है तथापि जहां कहीं भी व्यवहार्य हो वहां यह व्यपवर्तन किया जाता है । उड़ीसा में महानदी के ऊपरी भागों में कुछ बाढ़-निस्सार का व्यपवर्तन विरुपा वीयर के मार्ग से ब्राह्मनी नदी में कर देने से. डेल्टा के काफी निचले भागों को राहत मिली । आन्ध्र प्रदेश में बुडामेरू से एक व्यपवर्तन का निर्माण किया गया है, जिससे बूडामेरू में बाढ़ों के दौरान, उसके निस्सार का कुछ अंश जो लगभग 7,000 से 8,000 क्यूसेक्स होता है सीधे कृष्णा नदी में ले जाया जाता है, जिससे विजयवाडा नगर में से होकर गुजरने वाला बाढ़-निस्सार कम हो जाता है ।

राजस्थान नहर के पोंग बांध के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

162. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर पर पोंग बांध के निर्माण के कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अपने घरबार से विस्थापित होने वाले अनेक परिवारों को फिर से बसाने के लिये क्या कार्यवाही कीगई है ; और

(ख) उनके पुनर्वास पर कुल कितना परिव्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रशाद) : (क) राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों के पुनर्वास के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) उनके पुनर्वास के लिये राजस्थान नहर परियोजना के अधिकार-क्षेत्र में 3.25 लाख एकड़ का एक क्षेत्र अलग नियत किया जा रहा है ।

(2) यह निर्णय किया गया है कि विस्थापितों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके पशु-धन के लिये, जो पोंग बांध क्षेत्र से राजस्थान नहर क्षेत्र को स्थानांतरित किए गए हैं, परिवहन-शुल्क दिया जाए ।

(3) जो व्यक्ति राजस्थान जायेंगे उनको 425 रुपये का और जिन्होंने राजस्थान न जाने का निर्णय किया, है उनको 250 रुपये का प्रति परिवार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत किया गया है ; और

(4) उनकी बसापत के नए स्थान पर इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे, रहने की झोंपड़ियां या अस्थायी आवास, गृह-निर्माण के लिये ऋण, पीने के पानी के लिये पक्की डिग्गियां, औषधालय, स्कूल, सड़कें, तकावी ऋण, इत्यादि ।

विस्थापितों के पुनर्वास के नीति-संबंधी मामलों को निपटाने के लिये, संबंधत मुख्य मंत्रियों की एक समिति स्थापित की गई है । पुनर्वास से सम्बद्ध दिन-प्रति-दिन की समस्याओं को सुलझाने के लिये सम्बन्धित सचिवों की भी एक समिति स्थापित की गई है ।

(ख) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये, पोंग पर ब्यास बांध के पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन में 120.13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों को दिये जाने वाली सुविधाओं की लागत सम्मिलित नहीं है ।

Realisation of Taxes

163. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the kinds of taxes realized by the Central Government and the Slabs of income on which the taxes are realized;

(b) the kinds of taxes realized by each State Government at present under President's rule and the Slabs of income on which taxes are realized;

(c) the kinds of taxes such as Municipal Corporation Tax, Municipality Tax, Town Area Tax, Gram-Sabha Tax and District Board Tax realized in various States;

(d) the names of Languages in which accounts of income and expenditure of Tax-payers are maintained and the names of Languages adopted by Government for this purpose and whethet the officers entrusted with the work of realizing taxes are fully or partially conversant with the Languages in which such accounts are maintained; and

(e) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance. (Shri Morarji Desai) : (a) The main categories of taxes levied and collected by the Union Government are duties of Customs and Central Excise, Income-tax, Corporation-tax, Estate Duty, Wealth-tax and Gift-tax. Of these, the tax relatable to slabs of income is the income-tax levied under the Income-tax Act, 1961. The slab-wise rates of income-tax for the assessment year 1968-69 in the case of all categories of tax-payers are specified in Part I of the First Scheduled to the Finance Act, 1968 [No. 19 of 1968].

(b) The main taxes levied by the State Governments, including those at present under President's rule, are Sales tax, State excise duties, Land revenue and agricultural income--tax, Stamps and registration, motor vehicles tax, entertainment tax and electricity duty, Except agricultural income-tax, none of these taxes is related to the Slabs of income. Information relating to current rates of agricultural income-tax in different States was laid on the Table of this House in reply to the Unstarred Question No. 4227 on 19th August, 1968.

(c) In addition to these taxes, other main taxes levied by Local Bodies include octroi, terminal taxes, property tax and taxes on professions and trades.

(d) Accounts of income and expenditure are maintained by tax-payers in English and practically in all Indian languages. Government has not prescribed any language for

maintaining accounts. The officers entrusted with realising the taxes are, by and large, conversant with the local languages in the areas in which they are serving.

(e) Does not arise.

Rehabilitation of Residents of Gorakhpur Villages

+164. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3642 on the 12th August, 1968 and state :

(a) the names of those 30 villages where residential areas and land has gone to other villages and the names of those 50 villages where some cultivable land has gone to other villages; and

(b) the particulars of those persons who have occupied the residential areas, cultivable land and other land of the villages which have gone to other villages as a result of change in the original course of Rapti, Ghagra and Rohin rivers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b): The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

Employees Working in Department of Social Welfare

165. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 5742 on the 26th August, 1968 and state :

(a) the number of employees other than Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes employees under in his Ministry, State-wise and category-wise on the 1st January, 1968;

(b) whether his Ministry has received Home Ministry's Office Memorandum No, 9/45/60- Establishment (D), dated the 20th **April,** 1961; and

(c) if so, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes employees benefited by it so far ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smti) Phulrenu Guha): (a) Information is giving in the annexure laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2031/68].**

(b) Yes, Sir.

(c) The Department of Social Welfare (Social Security) came into existence only after June, 1964. The benifit of seniority of the Scheduled Castes/Scheduled Tribe and backward classes employees who were in service prior to 1st July, 1964 and are now working in this Department have presumably been gtven their due benifits as per Ministry of Home Affairs O. M. No. 9/45/60-Estt. (D), dated 20-4-1961 by their respective Ministries/Offices where they were working prior to their transfer to this Department.

Allocation for Rural Housing Schemes.

166. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the funds allocated, State-wise, by Government for Housing Schemes in rural areas in 1967-68;

(b) the funds likely to be allocated, State-wise, for the said purpose in 1968 69; and

(c) the specific housing Schemes State-wise likely to be included in the Fourth Five Year Plan and the amount likely to be allocated therefor, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) On the basis of expenditure reported by the State Government, the Central assistance provisionally released to them for the Scheme during 1967-68 is indicated in the Statement. laid on the Table of the House. [**Placed in Library**. See No. **LT 2032/68**].

(b) Out of total Central assistance allocated to various States for Centrally-aided housing Schemes, the amounts tentatively proposed by the State Governments to be utilised for the above scheme are indicated in the Statement. laid on the Table of the House. [**Placed in Library**. See No. **LT 2032/68**].

(c) All the social housing schemes including the village Housing Projects Scheme are likely to be included in the Fourth Plan. Allocations to the various States for the various schemes for the Fourth Plan have not yet been finalised.

Workers' Demand on the Management of Fertilizer Factory Gorakhpur,

167. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 4239 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding demands referred to the Region 1 Settlement Officer of the State's Labour Department has since been collected;

(b) if so, the details, thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c) A copy of the Agreement arrived at between the management and the workers represented by the National Fertilizer Factory Workers, Union, Gorakhpur (Registered Union), which was referred to the State Regional Conciliation Officer for Registration, is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-2033-68**]. This Agreement covered some of the Demands raised by the Fertilizer Karkhana Mazdoor Union also.

Central Assistance for Bihar

168. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of Bihar has demanded some special help from the Centre in view of the critical economic condition of the State;

(b) if so, the total amount of help asked for as also the items for which asked for; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b): The Governor of Bihar has not made any formal request for special assistance from the Centre, However, a request has been received from the State Government for ways and means assistance of Rs. 14 crores during the current year,

(c) The matter is under consideration.

Development of South Patna

169. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum has recently been presented by the Patna South Citizens Council to the Governor of Bihar for the development of South Patna;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) (a) to (c) ; The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बरौनी उर्वरक कारखाना, बिहार के लिये भूमि का अर्जन

170. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बरौनी उर्वरक कारखाने के निर्माण के लिये भूमि के अर्जन के सिलसिले में पिछले चार महीनों में कुछ कृषक गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 29 सितम्बर, 1968 को इन किसानों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में इस कारखाने के अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया था;

(घ) यदि हां, तो प्रदर्शन करने के क्या कारण थे; और

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ङ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

दिल्ली में संक्रामक रोगों का अस्पताल

172. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में संक्रामक रोगों के अस्पताल के कुप्रबन्ध तथा उसकी दयनीय दशा के बारे में 6 अक्तूबर, 1968 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए एक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में संक्रामक रोगों को चिकित्सा की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम इस अस्पताल का रख-रखाव करता है । इस लेख में उठाई गई बातों की ओर निगम का ध्यान दिलाया जा रहा है ।

चाय पर उत्पादन शुल्क तथा निर्यात शुल्क

173. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चाय पर लगे विशेष उत्पादन शुल्क को समाप्त करने और निर्यात शुल्क को कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से राजस्व की कितनी हानि होगी; और

(ग) इस हानि को किन साधनों से पूरा करने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । यह निर्णय 1 अक्तूबर, 1968 से लागू भी किया जा चुका है ।

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित निर्णय को लागू करने से, 1 अक्तूबर, 1968 से 28 फरवरी, 1969 तक की अवधि में 3 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) इस हानि की पूर्ति करने के लिए फिलहाल किसी विशिष्ट जरिये के बारे में नहीं सोचा जा रहा है ।

बाढ़ के कारण बरौनी तेल-शोधक कारखाने को क्षति

174. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री डी० बसुमतारी :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
डा० सुशीला नैय्यर :
श्री हेम बरुआ :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 के प्रथम सप्ताह में बरौनी तेल शोधक कारखाने और कच्चे तेल वाली पाइप लाइनों की बाढ़ के कारण क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां तो उससे क्या तथा कुल कितनी क्षति हुई ;

(ग) इस स्थिति का सामना करने और पाइप लाइन की मरम्मत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उस पर कितना खर्च आया; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में पाइप लाइनों को इस प्रकार की क्षति न होने पाये क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख): जी हां। कच्चे तेल की पाइप लाइन को क्षति हुई थी और उत्तर बंगाल में तेस्ता पुल के पास उसमें दरार आ गई थी। कच्चे तेल के थ्रूपुट (Throughput) में क्षति के परिणाम स्वरूप बरौनी शोधन शाला पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। दरार के परिणाम स्वरुप प्रत्यक्ष रूप में लगभग 2400 किलो लिटर कुल कच्चा तेल जाया गया था; जिसका मूल्य अन्दाज तौर पर 2.4 लाख रुपये है। क्रूड थ्रूपुट के रूप में बरौनी शोधन शाला के उत्पादन में 1,00,000 मीटरी टन की कमी हुई। पाइप लाइन के दरार वाले खण्ड को बदलने में हुई हानि का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बारे में सूचना सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) आयल इण्डिया ने, जो अपनी तथा भारतीय तेल निगम की पाइपलाइनों की देखभाल के लिए उत्तरदायी है, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में तीव्र गति से कार्य शुरु किया। अस्थायी पाइपलाइन लिंकअप्स (Linkups) मुहिया किये गये जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल के पम्पिंग 28 अक्तूबर से और उत्पादों का पम्पिंग 31 अक्तूबर से आरम्भ हो गया। दरार वाले खण्डों पर अस्थाई लिंक-अप्स के स्थान पर अधिक स्थायी व्यवस्था की जायेगी। जब रेलवे की तेस्ता पुल से सम्बन्धित दीर्घ-कालीन पहुंच व्यवस्था पूरी हो जायेगी। भारतीय तेल निगम के चैयरमैन ने आयल इण्डिया लि० और मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही की योजना का प्रतिदिन पुनरीक्षण किया और बहाली कार्य में तेजी लाने के अलावा उत्पाद सप्लाई स्थिति पर भी ध्यान रखा गया। इस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बारे में सूचना यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(घ) मुमकिन ऐतियाती सारे उपायों को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय रुप में स्वीकृत मानकों के अनुसार पाइपलाइन बिछाई जाती है। बेमिसाल बाढ़ के कारण वर्तमान की क्षति हुई जिसका परिमाण औचित्य रूप से पहले नहीं लगाया जा सकता था।

विलिंगडन अस्पताल (नई दिल्ली) में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी आपरेशनों की व्यवस्था

175. श्री शिव चन्द्र झा: क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली में ट्यूबेक्टोमी और वेसक्टोमी आपरेशनों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो किसी व्यक्ति को ट्यूवेक्टोमी और वेक्सटोमी आपरेशनों के लिये अस्पताल में क्रमशः कितने-कितने दिनों तक ठहरना पड़ता है; और

(घ) अब तक उस अस्पताल में अलग-अलग कितने व्यक्तियों के इस प्रकार के आपरेशन हुए हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महिलाओं को नसबन्दी आपरेशन के बाद अस्पताल में लगभग 5 से 8 दिन तक रखा जाता है । यह भी स्त्री–रोग विशेषज्ञों की सलाह पर और इस बात पर निर्भर करता है कि यह आपरेशन उदर सम्बन्धी है या योनि सम्बन्धी । जहां तक पुरुषों की नसबन्दी का सम्बन्ध है, उन्हें आपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि कोई उलझन न हो ।

1 अप्रैल, 1966 से 31 अक्तूबर, 1968 तक नसबन्दी कराने वाली महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्रमश: 58 और 692 है ।

मद्य निषेध

176. **श्री लोबो प्रभु** :क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने गत वर्ष मद्य-निषेध त्याग दिया था उनके आय-व्ययकों में स्पिरिटों की बिक्री से उत्पादन शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत कितनी आय दिखाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य में मद्यनिषेध लागू करने से शराब पीना बढ़ गया है ; और

(ग) मद्यनिषेध लागू करने के कारण जिन राज्यों के राजस्व में हानि हुई है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति करने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जिन राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष मद्यनिषेध में ढीलों की घोषणा की थी, उनके द्वारा दिये गए अतिरिक्त राजस्व के प्राक्कलन नीचे दिये गए विवरण में दर्शाए गए हैं ।

विवरण

मद्य–निषेध में ढील दिये जाने से अतिरिक्त राजस्व

राज्य	1968–69 में अनुमानित अतिरिक्त राजस्व(रुपये करोड़ों में)
1. हरियाणा	1.68
2. केरल	3.40
3. मध्य प्रदेश	2.30
4, मैसूर	4.97

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जून, 1968 से आगे पांच वर्ष तक की कालावधि में मद्य निषेध लागू करने अथवा उसकी अवधि बढ़ाए जाने के कारण किसी राज्य को उत्पादन शुल्क राजस्व में जो घाटा

होगा उसका पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने पूरा करना स्वीकार किया है। यह रियायत उन राज्य सरकारों को नहीं दी जाएगी जो अब से मद्य निषेध को समाप्त करके उसे फिर से लागू करना चाहेंगे।

सरकारी ऋण

177. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क): सरकारी ऋणों ब्याज की दर में मार्च, 1967 में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता किया है कि इस वृद्धि के कारण पूंजी विनियोजन उद्योग और बीमा से हट कर अन्य क्षेत्रों में चला गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में जांच का आदेश देने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने कम ब्याज दर पर दिये गये अपने ऋणों के बाजार भाव में हुई कमी का पता लगाया है ;

(ङ) क्या उनके द्वारा हुई मुद्रास्फिति की लहर के बारे में उपरोक्त केवृद्धि केफलस्वरूप बैंकों के ऋणों तथा अन्य ऋणों की ब्याज दर में वृद्धि का विचार किया गया है ; और

(च) क्या इस प्रकार की वृद्धि करने से पूर्व सरकार का विचार राष्ट्रीय ऋण-परिषद से परामर्श करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च 1967 से जारी किये गये बाजार-ऋणों के ब्याज की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार के ऋणों को जारी करने के समय की परिशोधन प्राप्तियां 1966 के मुकाबले 1967 और 1968 दोनों वर्षों में कम थी। इस प्रकार 1967 में जारी किये गये (पाँच वर्ष की परिपक्वता-अवधि वाले) 1972 के ऋणों पर 4.5 प्रतिशत की दर से होने वाली प्राप्ति 1966 में जारी किये गये पंचवर्षीय ऋण पर होने वाली प्राप्ति (4.67 प्रतिशत) से कम थी। 1967 और 1968 में जारी किये गये, लम्बी अवधि के (20 वर्ष या उससे अधिक परिपक्वता-अवधि वाले) ऋणों से होने वाली प्राप्ति 5.5% बैठती है और वह 1966 में जारी किये गये इसी प्रकार के ऋणों से होने वाली 5.57 प्रतिशत की प्राप्ति से कम थी। 1968 में जारी किये गये (7 वर्ष की परिपक्वता-अवधि वाले) 1975 के ऋण से होने वाली प्राप्ति 4.25 प्रतिशत अर्थात 1963 में जारी किये गये ऋण से होने वाली प्राप्ति के बराबर थी। सभा-पटल पर रखे गये विवरण से प्रकट होता है कि भारत सरकार के विभिन्न ऋणों से होने वाली प्राप्तियों में मार्च, 1967 से आम तौर से कमी होती जा रही है और यह कमी 1968 से अर्थात् बैंक दर घटा दिये जाने के बाद से और भी अधिक हो गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 2034/68**]

(ख) सरकारी ऋणों के ब्याज में कमी हो जाने के कारण, उद्योगों और बीमे को छोड़ अन्य क्षेत्रों में रुपया लगाये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) हाल के महीनों में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। दूसरी ओर, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मूल्य सूचक अंक में (1961-62 = 100), जो मार्च, 1967 में 94.5 था और फिर क्रमशः बढ़ते हुए फरवरी, 1968 में 96.4 हो गया था, बाद में काफी वृद्धि हुई जो मार्च, 1968 में बैंक दर में ईहु कमी के साथ बाजार का तालमेल बैठ जाने की द्योतक है। यह सूचक अंक मध्य-अक्टूबर, 1968 में 98.7 था जो मार्च, 1967 के स्तर के मुकाबले 4.2 अधिक था

(ङ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों में वस्तुतः कमी हुई है। मार्च, 1968 में बैंक दर 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह आदेश दिया कि वे उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज की अधिकतम दर 10 प्रतिशत से घटाकर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दें और उनके द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों तथा अग्रिमों के 80 प्रतिशत भाग पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी कर दें। रिजर्व बैंक ने निर्यात सम्बन्धी पेकिंग ऋण और लदान के बाद दिये जाने वाले ऋण (पोस्ट शिप-मैंट क्रेडिट) पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के लिए भी 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। जमा करायी जाने वाली रकमों पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज में भी उपर्युक्त कमी की गयी है।

(च) ऋण-नीति निर्धारित करने में प्राधिकारी राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा बताये गये सिद्धान्तों का ध्यान रखते है।

विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन

178. श्री लोबो प्रभु : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं और मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के लिये कितनी-कितनी मांग है और पिछले वित्तीय वर्ष में इन विभिन्न योजनाओं के लिये कितना-कितना नियतन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित बैंकों सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने का है, जिससे कि वे मकानों की जमानत लेकर ऋण दे सकें, जिसे अन्य देशों में सर्वोत्तम जमानत माना जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक गृह-निर्माण योजना और अनुसूचित जाति गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत बहुत से मकान खाली पड़े हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में, और विशेषकर सम्बन्धित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये ऋण योजना बनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सरकारी निधियों की स्थिति इस प्रकार है :–

क्रमसंख्या	योजना	1967-68 में राज्यों / संघीय-क्षेत्रों द्वारा उनके वार्षिक प्लान में उपलब्ध की गई रकम	1967-68 में केन्द्रीय बजट में नियत की गई रकम
		(करोड़ रुपयों में)	
(i)	निम्न आय वर्ग आवास	9.06	4.30
(ii)	ग्रामीण आवास परियोजनाएं	1.92	1.40
(iii)	मध्यम आय वर्ग आवास	1.00	0.68
		11.98	**6.38**

जहां तक जीवन बीमा निगम की निधियों का सम्बन्ध है, विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिये (जिनमें ऊपर तीन योजनाएं सम्मिलित हैं) मांगी गई कुल 32.09 करोड़ रुपये के रकम में से निगम ने केवल 12 करोड़ रुपये की उपलब्धि कराई, और इस रकम को राज्यों आदि को नियत कर दिया गया था ।

(ख) आवास कार्य-क्रमों को वित्तीय सहायता के लिये लम्बी अवधि के ऋण व्यापारिक बैंकों के अनुकूल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास निधियां छोटी अवधि के लिये होती हैं । अतएव व्यापारिक बैंकों को आवास निर्माण के उद्देश्य के लिए ऋण देने के लिये कहना उचित नहीं जान पड़ता । इस बारे में 19 अगस्त, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4333 के विषय में उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

(ग) तथा (घ) : जहां तक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का सम्बन्ध है, इसका उत्तर ' नहीं ' में है । अनुसूचित जातियों के लिये विशेषकर बनाये गये मकानों, जिनका अभी दखल नहीं हुआ है, के बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

इस मन्त्रालय द्वारा बनाई गई सात सामाजिक आवास योजनाएं पहले ही राज्यों में परिचालित हैं । ऐसा समझा जाता है कि इन योजनाओं के लिए नियत की गई निधियां अपर्याप्त है ।

सिंचाई की क्षमता

179. श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपयोग में लाये जाने योग्य जल में से कितने प्रतिशत जल का उपयोग इस समय किया जाता है ;

(ख) सिंचाई की उत्पन्न क्षमता की तुलना में इस समय कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की जाती है ; और

(ग) क्या जल वितरण साधनों के अभाव के कारण ही जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने आवश्यकता होने पर अधिक जल शुल्क लेकर इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय उपयोग में लाये जाने योग्य प्रवाह जल का लगभग 40 प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है ।

(ख) 1966-67 में वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से उत्पन्न सिंचाई-क्षमता का, 1967-68 में 95 प्रतिशत भाग प्रयोग में लाया गया ।

(ग) कुछ मामलों में यह जल-वितरण नालियों की कमी के कारण हैं । राज्य सरकार ने जल-मार्गों और क्षेत्रीय नालियों के निर्माण के लिए तथा लागत को लाभानुभोगियों से वसूल करने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं ।

फाइलैरिया

180. श्री लोबो प्रभु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश तथा दक्षिण कनारा जिले के सम्बन्ध में किये गये अत्र नमूना सर्वेक्षण से फाइलेरिया के कितने प्रतिशत संक्रमण का पता चला है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में दक्षिण कनारा जिले में वर्ष वार फाइलेरिया रोग के लिये कितनी औषधियों का वितरण हुआ है ; और

(ग) दक्षिण कनारा जिले में फाइलेरिया के सम्बन्ध में किस प्रकार का प्रचार हुआ है और अस्पतालों में तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में इश्तेहार न लगाने या पर्चे न बांटने के क्या कारण है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय-विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के विभिन्न स्थानिकमारी क्षेत्रों में माइक्रोफाइलेरिया संक्रमण का प्रतिशत अलग-अलग है, जो 0.1 से 30.0 प्रतिशत तक है । दक्षिण कनारा जिले में इसका प्रतिशत 0.7 से 15.0 तक है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भाखड़ा बिजली घर में दोषपूर्ण 'टरबाइन रनर'

181. श्री बाबूराव पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस द्वारा सप्लाई किये गये भाखड़ा बिजली घर को दायें किनारे के दो यूनिटों के 'टरबाइन रनर' दोषपूर्ण पाये गये हैं ;

(ख) क्या इस बात की ओर भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा टैक्नो प्रोमेक्सपोर्ट (रूस की सरकारी एजेंसी) का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) हमारे इन्जीनियरों ने खराब 'टरबाइन रनरों' को उनकी सप्लाई के समय ही क्यों नहीं अस्वीकार नहीं किया जिनमें ढले इस्पात का प्रयोग नहीं किया गया था ;

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दाएं तट के भांखड़ा बिजली घर के दो 'टरबाइन रनरों' को कुछ महीनों तक चलाने के पश्चात् उनमें काफी गंभीर कोटरें देखी गई। कुछ ब्लेडों में दरारें भी देखी गई।

(ख) जी, हां। दी टेकनो-प्रोमेक्स-पोर्ट ने अब यह मान लिया है कि वे मरम्मत कार्य के लिये विशेषज्ञों और आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध अपने खर्च से करेंगे। वे एक फालतू 'टरबाइन रनर' मुफ्त देने पर भी सहमत हो गये है।

(ग) ये दोनों 'टरबाइन रनर' ढलवां इस्पात के बने थे। कुछ समय तक उनको वास्तविक रूप से चलाए बिना, इनको सप्लाई करते समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं था कि वे रनर संतोषजनक रूप से काम कर सकेंगे अथवा नहीं।

इस्पात के आयात के लिये विदेशी-मुद्रा

182. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांग तथा पूर्ति के मध्य एकरूपता लाने के लिये कम से कम 20 करोड़ रुपये की लागत के दुर्लभ श्रेणी के इस्पात का आयात करने हेतु अनेक किस्म के बिले इस्पात के निर्यात द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के काफी सारे भाग के आबंटन करने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): दूसरी वस्तुओं की तरह, बिले (रोल्ड) इस्पात से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय भी हमारे सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा साधनों का एक भाग है। निर्यात से होने वाली आय के जरिए उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल ऋण की वापसी जसी अनिवार्य अदायगियों के लिए और अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आयात-सम्बन्धी ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाता है, जिन्हें प्राप्त सहायता की बजाय निर्यात से होने वाली हमारी अपनी आय से पूरा करना पड़ता है। इन साधनों का इस्तेमाल पहले दुलर्भ किस्म का इस्पात मंगाने के लिये नहीं किया जा सकता क्योंकि वह देश की आयात-सम्बन्धी पड़ी आवश्यकता का केवल एक भाग है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

183. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ से अब तक भारत में परिवार नियोजन सम्बन्धी योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) निम्नांकित मामलों के बारे में कहां तक प्रगति हुई है :—

(1) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक अलग-अलग कितने मर्दों तथा औरतों का अलग वंध्यकरण किया गया;

(2) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कितने लूप लगाये गये;

(3) अलग-अलग पिछले तीन वर्षों में प्रायः कितने जन्म रोके गये;

(4) परिवार नियोजन के बारे में सचेत जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है;

(5) देश में जन्म-दर में कुल कितनी कमी हुई है; और

(6) इनके नाम क्या हैं, जिनमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अधिकतम उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से 1967–68 के अन्त तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किया गया अनुमानित खर्च 6706 69 लाख रुपये है।

(ख) अब तक हुई सफलता इस प्रकार है :—

(1) 8 नवम्बर, 1968 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम के आरम्भ से नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नसबन्दी किए गये लोगों की कुल संख्या 49,93,274 है, जिनमें से 41.7 लाख पुरुष हैं और 8.2 लाख महिलायें हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में की गई नसबन्दी से सम्बन्धित सूचना केवल 1966–67 और 1967–68 के समय की उपलब्ध है। इन दो वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में 11.40 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 15.87 लाख नसबन्दी की गई।

(2) 8 नवम्बर, 1968 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1965–66 में इस कार्यक्रम के आरम्भ से 26,02,540 लूप लगाये जा चुके हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहनाये गये लूप से सम्बन्धित सूचना इस समय केवल 1966–67 और 1967–68 की उपलब्ध है। इन दो वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में 6.46 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.33 लाख महिलाओं ने लूप पहने।

(3) विभिन्न जन-विद्याकारों द्वारा किए गये अनुमानुसार गत तीन वर्षों के दौरान रोके गये जन्मों की संख्या निम्नलिखित होगी :—

1965–66	1.8 लाख से 2.3 लाख के बीच
1966–67	5.0 लाख से 5.5 लाख के बीच
1967–68	9.0 लाख से 12.7 लाख के बीच

(4) अनेक किये गये अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत शहरी दम्पत्ति और 50–70 प्रतिशत ग्रामीण दम्पत्ति परिवार नियोजन के प्रति सचेत हैं।

(5) और (6) अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण न होने के कारण देश में जन्म-दर की कुल कमी की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के बीसवीं पारी के आधार पर प्रति हजार जन्म-दर लगभग 37 हैं।

कुछ किये गये विशेष अध्ययनों में जन्म-दर में उल्लेखनीय कमी नोट की गई है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1) **गांधीग्राम परियोजना**

1962 में जन्म-दर 40 थी। 1965 में घट कर 36.3 रह गई थी।

2) **बम्बई परियोजना**

कार्यवाही किए गये क्षेत्रों में 1964–66 में लगभग 12 प्रतिशत तक उत्पादकता में कमी हुई।

3) **कलकत्ता आई० एस० आई० परियोजना**

1963 में जन्म दर 26 और 1964 में 22 रह गई थी।

4) **सिंगूर परियोजना**

1958 में जन्म दर लगभग 42 थी, 1966 में कम होकर 34.2 रह गई थी।

5) **चेतला परियोजना**

1961 में जन्म दर 29 थी, 1966 में 24 रह गई थी।

6) **भारतीय चाय संघ की असम शाखा**

1961 में जन्म दर 43.4 थी, 1965 में घट कर 35.8 और 1966 में 31.2 रह गई थी।

डूम डूमा क्षेत्र में 1960 में जन्म दर 41 थी, 1965 में 31.9 और 1966 में 27.7 रह गई थी।

7) पश्चिम बंगाल में दूआर बागानों में जन्म-दर जो 1963 में 35.1 थी, 1965 में घट कर 27.8 रह गई।

नेपाल से भारत को किसी तीसरे देश के माल की तस्करी

184. श्री स० अ० अगड़ी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में सितम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में नेपाल से भारत में किसी तीसरे देश के माल की तस्करी को रोकने के बारे में नेपाल से किन्हीं तीसरे

देशों में भारतीय माल के पुनर्निर्यात तथा अन्य देशों के कच्चे माल से नेपाल में निर्मित माल के भारत में आयात के बारे में विचार विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां तो निम्नांकित के बारे में अनुमानित धन राशियों के बारे में हुये विचार-विमर्श के क्या परिणाम थे :—

(i) वर्ष 1967–68 के दौरान नेपाल से भारत में किसी तीसरे देश के माल की तस्करी;

(ii) वर्ष 1967–68 के दौरान नेपाल से किन्हीं तीसरे देशों को भारतीय माल का पुनर्निर्यात; और

(iii) वर्ष 1967–68 के दौरान अन्य देशों के कच्चे माल से नेपाल में बने माल का भारत में आयात ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों ने एक दूसरे के विचारों को समझा और इस बात पर सहमत हुए कि तीसरे देश के माल का नेपाल से भारत में चोरी छिपे आना तथा उससे व्यापार में अव्यवस्था रोकने के उपाय होते रहने चाहिए। आयात किये गये कच्चे माल से नेपाल में बने माल के आयात के बारे में यह स्वीकार किया गया कि इस मामले पर दोनों सरकारों द्वारा शीघ्र ही आगे बातचीत की जायगी।

नेपाल से भारत में चोरी-छिपे आने वाले माल का अथवा भारत में बने माल का, नेपाल द्वारा आगे तीसरे देशों को निर्यात कर दिये जाने वाले माल की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। 1967 तथा 1968 में (सितम्बर तक) अन्य देशों से आयात किये गये कच्चे माल से नेपाल में बने माल का भारत में आयात निम्न प्रकार है :—

1967	2.2 करोड़ रुपये
1968 (सितम्बर तक)	2.73 करोड़ रुपये

राज्यों को सहायता

185. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वित्त मंत्री दिनांक 22 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक प्रदेश में केन्द्र द्वारा दी गई अतिरिक्त सहायता को किन योजनाओं के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण

राज्य	प्रयोजना	रकम (करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर	5.50
2. बिहार	गंडक	6.00
	सोना उच्चस्तरीय नहर	0.70

3.	हरियाणा	व्यास एकक II (पोंग बांध)	0.51
4.	उड़ीसा	महानदी डेल्टा	2.00
5.	पंजाब	व्यास एकक II (पोंग बांध)	0.77
6.	राजस्थान	राजस्थान नहर	3.50
		व्यास एकक II (पोंग बांध)	2.72
7.	उत्तर प्रदेश	गंडक	2.00
8.	पश्चिम बंगाल	कांक्षावती	1.30
		जोड़ :	25.00

समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन

186. **श्री सिद्द्या :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1968 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में हुए समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया; और

(ख) क्या-क्या निर्णय किये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):(क) सम्मेलन की कार्य-सूची दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2035/68**]

(ख) सम्मेलन समन्वेषी प्रकार का था तथा मतों का विनिमय करने के लिए उसे बुलाया गया था । इसलिए, ऐसे कोई निर्णय नहीं किए गए थे ।

पंचनदी परियोजना

187. **डा० म० ग० सोनार :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचनदी परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि पंचनदी परियोजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के सभी चरणों को पूर्ण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (ग): महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पेंच बहुद्देश्यीय परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

ऐसा प्रस्ताव है कि परियोजना का पन-बिजली खंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों का संयुक्त उपक्रम होगा और इसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र सरकार करेगी। महाराष्ट्र सरकार को परियोजना के आयोजन और अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर मध्य प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) ज्ञात हुआ है कि दोनों राज्यों के बीच तकनीकी स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

कामतीखेरी वीयर (बिना कपाटों के) और छोटी नहर को पहले से ही निकालने का प्रस्ताव है, क्योंकि उनसे ताप-बिजली-घर को शीतलजल प्राप्त होगा जो कि इस परियोजना के एक अंग के रूप में निर्माणाधीन है। जिस कार्य को आरम्भ में हाथ में लेने का प्रस्ताव है, उसमें कोई अन्तर्राज्यीय पहलुओं की अड़चन नहीं है।

एक डच महिला द्वारा भारत में कोढ़-निरोध कार्य के लिये दान

188. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लालफीताशाही के कारण दो वर्ष पूर्व एक डच महिला द्वारा भारत में कोढ़-निरोध कार्य हेतु पेश की गई 5.5 लाख रुपये की धनराशि की पेशकश का लाभ नहीं उठाया गया;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अधीन यह सब कुछ हुआ और इस डच महिला द्वारा यह राशि संयुक्त राष्ट्र संघ को दान में दी जाने से पूर्व इस धनराशि को अपेक्षित उद्देश्य के लिये उपयोग में लाना सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये; और

(ग) भविष्य में समाज कल्याण के लिये प्राप्त होने वाली ऐसी पेशकश का लाभ उठाने में विलम्ब न होने पाये, इस उद्देश्य के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) : एक डच महिला ने भारत वासियों के हित के लिए 1,70,000 गिल्डर दान देने के सम्बन्ध में हेग स्थित भारतीय दूतावास को लिखा था। उस महिला ने दूतावास से यह सलाह मांगी थी कि यह धनराशि किस संगठन को दी जाय। उन्हें इसके लिए अनेक संगठनों के नाम सुझाये गये और अन्ततः केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का चयन किया गया। इस महिला की ओर से यह पूछा गया कि इस सहायता को नकद अथवा उपस्करण दोनों में से किस रूप में लेने को तरजीह दी जायेगी। केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान के निदेशक के परामर्श से उन्हें यह सुझाव दिया गया कि हालैण्ड से एक इलक्ट्रन-माइक्रोसकोप की खरीद कर ली जाय। इस उपस्करण की खरीद तथा

चुंगी-निकासी की व्यवस्था भी कर दी गई। किन्तु महिला के एजेण्टों ने प्रस्तावित इलक्ट्रन माइक्रोसकोप की खरीद करने के बारे में सहमति नहीं दी। अतः उक्त उपस्करण के बदले में दूसरे उपस्करण खरीदने सम्बन्धी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये। महिला की ओर से इन्हें भी नहीं माना गया। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से कुष्ठ सम्बन्धी सर्वेक्षण, उपचार तथा शिक्षा के बारे में एक योजना तैयार की गई और उसे डच महिला के एजेण्टों को भेजा गया। इस बीच पता चला कि दान देने का यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। बातचीत के दौरान विभिन्न अवसरों पर यथा समय इस विषय पर उचित कार्यवाही की गई।

राज्यों में बिजली की दरें

189. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक और कृषि कार्यों में उपयोग के लिये दी जाने वाली बिजली की दरें क्या-क्या हैं;

(ख) इन दरों में अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2036/68**]

(ख) विभिन्न राज्यों में दरों में अन्तर उत्पादन संयन्त्रों की पूंजीगत लागत, पारेषण पथों की लागत और उनके विस्तार, मजदूरी, परिवहन सुविधाओं की लागत, स्थानीय करों तथा विद्युत विकास और ग्रिड के समाकलित परिचालन में भिन्नताओं के कारण हैं।

(ग) समान दरों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तारांकित प्रश्न संख्या 986 के उत्तर में 1 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के समस्त सम्भरण-क्षेत्र में समान दरों को लागू करके इस दिशा में और प्रगति की गई है; इसमें इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें शामिल नहीं हैं। सरकार का यह उद्देश्य है कि वे आरम्भ में ही इस बात को सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक सी दरें हों और अन्त में एक अखिल-भारतीय ग्रिड हो और जहां तक सम्भव हो, समस्त देश में समान दरें हों।

कुछ वस्तुओं को उत्पादन-शुल्क से छूट

190. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ वस्तुओं को उत्पादन-शुल्क से छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौनसी हैं; और

(ग) यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ वर्गों के माल को उत्पादन-शुल्क से छूट देने का कोई सामान्य प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) : ये सवाल नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में अफीम का अवैध व्यापार

191. **श्री गार्डिलिगन गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में अफीम का अवैध व्यापार करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) कितनी अफीम पकड़ी गई तथा न्यायालयों ने कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये अपनी कार्यवाही को तेज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : सूचना नीचे दी जा रही है :—

	वर्ष		
	1965	**1966**	**1967**
(i) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या।	1205	1036	952
(ii) पकड़ी गई अफीम की मात्रा।	254 (किलोग्राम)	323 (किलोग्राम)	206 (किलोग्राम)
(iii) दण्डित व्यक्तियों की संख्या।	1260	1155	864

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार के आवकारी तथा पुलिस विभाग, सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स आयुक्त के कर्मचारी वर्ग जैसी सभी प्रवर्तन एजेन्सियां, देश के भीतरी क्षेत्रों में तथा निर्यात करने योग्य नाकों पर सतर्क रहती हैं और अफीम की तस्करी रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करती हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) दृढ़तर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से पोस्त की खेती को साथ लगे हुए क्षेत्रों तक सीमित रखना;

(ii) लाइसेन्स देने के सिद्धान्तों की व्यवस्था चला कर अनुत्पादक क्षेत्रों में तथा अवांछित काश्तकारों द्वारा खेती नहीं होने देना;

(iii) लाइसेन्स सिद्धान्तों के अन्तर्गत काश्तकार को लाइसेन्स मिलने की हकदारी का फैसला करने के लिए उसके द्वारा दी जाने वाली अफीम की औसत पैदावार की सीमा को साल-ब-साल क्रमशः बढ़ाते जाना;

(iv) सुगमता से पार करने योग्य सभी स्थलों पर उपयुक्त निरोधात्मक उपाय करना;

(v) जहां आवश्यक हो वहां सड़क, रेल तथा हवाई यातायात पर निगरानी रखना;

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन तथा दूसरे देशों की ऐसी ही अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ नारकोटिक्स आयुक्त के कर्मचारियों द्वारा सम्पर्क रखा जाना।

गैर-सरकारी तथा सहकारी उद्योगों के लिये ऋण

192. श्री को० सूर्यनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1968 को पूरे होने वाले पिछले पांच वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी तथा सहकारी उद्योगों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

उत्पादन शुल्क से राजस्व वसूली में कमी

193. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की जांच के लिये हाल ही में आरम्भ की गई लेखा-परीक्षा प्रणाली इस शुल्क की वसूली में कमी होने के लिये उत्तरदायी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नई प्रणाली को समाप्त कर पुरानी प्रणाली पुनः अपनाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। इस नई प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई वस्तुओं से जून, जुलाई तथा अगस्त, 1968 में 142.27 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि में 139.15 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इससे पता चलता है कि 3.12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को विमान-तेल की सप्लाई

194. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम, जिसने वर्ष 1967 से असम और त्रिपुरा में विमानों का तेल सप्लाई करने का कार्यभार ले रखा है, इण्डियन एयर लाइन्स

कारपोरेशन के विमानों के लिये पर्याप्त मात्रा में तेल सप्लाई करने में असफल है, जिसके परिणामस्वरूप विमानों को डमडम से भारी मात्रा में ईंधन लेकर चलना पड़ता है, जिसके कारण आय में कमी होती है, क्योंकि ऐसी उड़ानों के लिये यात्रियों की संख्या और माल भार के बारे में प्रतिबन्ध लगाने पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा और असम के हवाई अड्डों पर विमान तेल की सामान्य तथा समुचित मात्रा में उपलब्धि कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। पिछले 18 महीनों में, जब से भारतीय तेल निगम ने तेल सप्लाई करने का कार्यभार संभाला है, केवल तीन अवसरों पर उत्पाद की सप्लाई प्रतिबंधित मात्रा में की थी; एक बार बरौनी शोधनशाला में कठिनाइयों से कारण और अन्य दो अवसरों पर बाढ़ के कारण रेल की संचार व्यवस्था में देर और / या बाधा आदि पड़ जाने के कारण।

(ख) उस क्षेत्र की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसाम स्थित शोधनशालाओं में से किसी एक में विमानन तेल उत्पादित करने का प्रस्ताव है। इससे वैकल्पिक साधनों से संचलन पर निर्भर रहने की कठिनाई दूर हो जायेगी।

नूनमती तेल-शोधक कारखाने में मिट्टी का तेल साफ करने का संयंत्र

195. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल-शोधक कारखाने का मिट्टी का तेल साफ करने का संयंत्र सितम्बर, 1968 के अन्त से बन्द पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह संयंत्र पुन: कब से चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में नूनमती तेल साफ करने के कारखाने का मिट्टी का तेल साफ करने का संयंत्र कितनी बार बन्द किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) संपीड़क (Compressor) कठिनाई के कारण संयंत्र बन्द किया गया था। आगामी दो सप्ताह में यूनिट के चालू होने की सम्भावना है।

(ग) 1966–67 में 13 बार और 1967–68 में 12 बार।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

196. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने में प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन अशोधित तेल का उत्पादन होता है;

(ख) बरौनी तेल शोधक कारखाने में अशोधित तेल की भंडार क्षमता क्या है;

(ग) उत्तर बंगाल में हाल की बाढ़ों के कारण अशोधित तेल पाइप लाइन कब टूट गई थी और बरौनी तेल शोधक कारखाने में उस समय अशोधित तेल का कितना भंडार था; और

• (घ) अशोधित तेल पाइप लाइन के अस्त-व्यस्त हो जाने के परिणामस्वरूप अशोधित तेल की कमी के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने को जिस दिन बन्द किया गया उस दिन तिथि कौनसी थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) । (क) अप्रैल, 1968 से लेकर सितम्बर, 1968 के दौरान कच्चे तेल का थ्रूपुट (throughput) प्रति कार्य दिवस 5540 मीटरी टन की औसत पर था ।

(ख) इस समय लगभग 30,000 मीटरी टन ।

(ग) जी हां, 5–10–1968 को उत्तर बंगाल में तेस्ता पुल के निकट कच्चे तेल की पाइप लाइन टूट गई थी । शोधनशाला के टैंक में कुल पम्पेबल स्टाक (pumpable stock) 16,900 मीटरी टन था ।

(घ) शोधनशाला का वायुमण्डलीय वैक्युम यूनिट 16–10–1968 को (सवेरे) बन्द कर दिया गया था ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाएं

197. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय यह विनिर्णय दे चुका है कि आरक्षणों के कारण किसी वर्ष उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों को परवर्ती वर्षों में नहीं जोड़ा जा सकता;और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विनिर्णय केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं में श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों को भरने के सम्बन्ध में भी लागू होता है ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विनिर्णय (रूलिंग) दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को बगैर प्रतिबन्ध के आगे ले जाना असंवैधानिक होगा ।

(ख) जी, हां ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती

198. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एस० गोविन्द रेड्डी की अध्यक्षता में बनाये गये अध्ययन दल ने सीधे भर्ती किये जाने वाले श्रेणी एक के अधिकारियों के लिये, पदोन्नति के लिये कुछ वर्षों का अनुभव होना आवश्यक निर्धारित किया था और तत्कालीन मंत्री ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लोक-सभा में इसकी पुष्टि की थी और उन्हें कार्यान्वित करने की बात कही थी;

(ख) यदि हां, तो अमल करने या व्यवहार में ऐसा किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने पहली जनवरी, 1967 से गोविन्द रेड्डी स्टडी टीम की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में पदोन्नति द्वारा कार्यपालक इन्जीनियर बनने के लिए 5 वर्ष की पात्रता अवधि को अपनाने का निश्चय किया है। तथापि, निम्न कारणों से इसमें कुछ छूट भी दी गई है :—

(i) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि 4 सहायक कार्यपालक इन्जीनियरों (सिविल) तथा दो सहायक कार्यपालक इन्जीनियरों (इलेक्ट्रिकल) को पांच वर्ष की सेवा की अवधि पूरी होने से पूर्व औचित्य (ईक्विटी) के आधार पर पदोन्नत कर दिया जाय, क्योंकि उनके साथ आए अन्य लोगों को भी उसी प्रकार 1 जनवरी, 1967 से पूर्व पदोन्नत कर दिया गया था।

(ii) कार्यपालक इन्जीनियर के ग्रेड में प्रथम श्रेणी की पदोन्नति के सीधी भरती की निर्धारित संख्या (कोटा) तथा दूसरी श्रेणी से पदोन्नत किए गए लोगों में विद्यमान असंतुलन को दूर करने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से यह मानने के लिए अनुरोध किया गया है कि दो वर्ष के लिए पांच वर्ष की अवधि में एक से 1½ वर्ष की छूट दे दी जाए। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्वीकृति आने तक यह छूट तदर्थ आधार पर पदोन्नति से कार्यपालक इन्जीनियर बनने के लिए 1963 में आए 6 सहायक कार्यपालक इन्जीनियर (सिविल) तथा 2 सहायक कार्यपालक इन्जीनियर (इलेक्ट्रिकल) के मामलों में दे दी गई है।

मलकानी रिपोर्ट को क्रियान्वित करना

199. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों द्वारा सिर पर गन्दगी उठाई जाने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में मलकानी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के काम में यदि कोई प्रगति हुई है, तो क्या; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गांधी शताब्दी वर्ष पूरा होने से पहले ही यह प्रथा समाप्त हो जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):(क) सिर पर गन्दगी ढोने की प्रथा के उन्मूलन की योजना में कुछ प्रगति हुई है। केरल तथा विशेषतया महाराष्ट्र में यह प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। अलबत्ता कुछ स्थानों में मेहतरों में सफाई के काम सम्बन्धी जागीरदारी व्यवस्था (रूढ़िगत अधिकार) होने तथा रुढ़िवादी मेहतरों द्वारा काम के नए ढंग अपनाए जाने में आनाकानी किए जाने के कारण इन सिफारिशों को क्रियान्वित करना कुछ कठिन हो गया है।

(ख) मनुष्यों द्वारा विष्ठा ढोए जाने को तभी समाप्त किया जा सकता है, जब सूखे शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तथा सभी सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जाए। नगरपालिका विषयक तथा अन्य कानूनों का संशोधन किए जाने के अतिरिक्त इस पर बहुत खर्च भी होगा। इसलिए, इस समय इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट समय सीमा का संकेत करना सम्भव नहीं है।

Adulteration in Diesel Oil

200. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Governments' attention has been drawn to the news item "Loss of crores of rupees suffered by the State Transport as a result of adulteration in Diesel Oil' which was published in an issue of Aryavratla of the 18th October, 1968; and

(b) if so, the names of the oil companies whose Petrol Pumps contained adulterated diesel; and

(c) the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a), (b)and(c) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कृषि पुनर्वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 30 जून, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2005/68]**

भारतीय रेल्वे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

रेलवे मंत्री (श्री चे. मु. पुनाचा) : मैं भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2006/68]**

अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अध्यादेश, भारतीय रेल्वे (संशोधन) अध्यादेश और पांडिचेरी नगर डिग्री (संशोधन) अध्यादेश

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा. रामसुभग सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2007/68**]

(एक) अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 9) जो राष्ट्रपति द्वारा 13 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 10) जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) पांडिचेरी नगर डिग्री (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 11) जो राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री सत्यनारायणसिंह) मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष 1967–68 के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2008/68**]

उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) (संशोधन) नियम, 1968 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रेल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उप धारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 649–एस/XVIII–सी-1600–68 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2009/68**]

(2) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० टी०–7037 X–953 ( )–54 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या एस० टी०–6438/X–1012–62 में एक संशोधन किया गया।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2009/68]**

(3) दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अगस्त, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (120)/68–फिन० (जनरल) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2009/68]**

(4) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1802 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी०एस०आर० 1803 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री नियम, 1957 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(5) कर प्रत्यय-पत्र (एन्क्वायरी शेयर) योजना, 1965 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1549 की एक प्रति जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आय-कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2883 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय कर (छठा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3494 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(7) आय कर (सातवां संशोधन) नियम, 1968 के प्रारूप की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3495 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(8) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड० ई० की उप धारा (4) के अन्तर्गत कर प्रत्यय-पत्र (ईक्विटी शेयर) (संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1550 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(9) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 239 के अन्तर्गत, संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये संशोधन के अनुसार, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3283 की एक प्रति जो दिनांक 11 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2010/68]**

(10) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1954 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (14 वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 19 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1546 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (15 वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1628 में प्रकाशित हुए थे।

त्पादन शुल्क (16 वां संशोधन) नियम, 1968 जो 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

(तीन) केन्द्रीय

दिनांक 28 सितम्ब

संख्या जी० एस० आर० 1775 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2012/68**]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2013/68**]

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 98वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनाक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1529 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 99वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1629 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 100 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1675 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 101 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1676 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 102वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1677 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 103 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1678 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 104 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 21

सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1738 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 105 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1739 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 106 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1740 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 107 वां संशोधन, नियम, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1741 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 108 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1742 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 109 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1778 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 110वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1779 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 111वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1836 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, वापसी (सामान्य) 112वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 12

अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1837 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 113वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1668 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1838 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्तरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 114वां संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 12 अक्टूबर, 1968 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1839 में प्रकाशित हुये थे।

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2014/68]

(एक) जी० एस० आर० 1527 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1530 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1531 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1591 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1603 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 1630 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 1679 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1680 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 1743 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० एस० आर० 1744 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1745 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० एस० आर० 1746 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० एस० आर० 1780 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी० एस० आर० 1781 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1782 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1810 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 1840 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अठारह) जी० एस० आर० 1841 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1842 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० एस० आर० 1843 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 1844 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के राजपत्र के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 जून, 1968 की जी० एस० आर० 1084 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(बाईस) जी० एस० आर० 1876 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० एस० आर० 1877 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

31वां और 34वां प्रतिवेदन

श्री मी०रु० मसानी (राजकोट) : मैं लोक-लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूँ :-

(1) वर्ष 1966-67 के लिए विनियोग लेखे (सिविल), (डाक तथा तार), (रेलवे) तथा (प्रतिरक्षा सेवाएं) में प्रकट किये गये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों के अतिरिक्त किये गये व्यय के विषय में 31वां प्रतिवेदन ।

(2) "सरकारी प्रकाशनों पर निष्फल व्यय" के विषय में 34वां प्रतिवेदन

बीमा (संशोधन) विधेयक
INSURANCE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री द्वा०ना० तिवारी (गोपालगंज) : साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्त्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने के लिये तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिए विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

साक्ष्य

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने के लिए तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिए विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ ।

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION OF NO- CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम 198 के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद में 15 अविश्वास के प्रस्तावों के नोटिस मिले हैं । प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार है :—

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।"

श्री कंवर लाल का प्रस्ताव सर्व प्रथम है। जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं। चूंकि 50 से अधिक सदस्य खड़े हो गये हैं इसलिये अनुमति दी जाती है। अब प्रश्न यह है कि इसपर चर्चा कब होगी।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : यदि वे चाहते हैं तो अभी ही।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि दोनों पक्ष राजी हैं तो अब ही आरम्भ की जाय। परन्तु इससे पहले कुछ औपचारिक कार्यवाही की जानी है।

समिति का चुनाव
ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय उपचर्या परिषद्

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय उपचर्या परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1957 की धारा द्वारा संशोधित रूप में भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय उपचर्या परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय उपचर्या परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1957 की धारा द्वारा संशोधित रूप में भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय उपचर्या परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों को पेश करने के लिये समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORTS OF JOINT COMMITTEE

संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्य) विधेयक

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संघ-राज्य क्षेत्रों में न्यायक तथा कार्यपालिका कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

दण्ड तथा चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक
CRIMINEL AND ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने और कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई तथा उसके प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को 2 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने और कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई तथा उसके प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को 2 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोकापाल और लोकायुक्त विधेयक
LOKPAL AND LOKAYUKTA BILL

श्री एम०बी० राणा (भड़ौच) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कारवाई के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा

कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय को बजट सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन तक अग्रतर बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कारवाई के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय को बजट सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन तक अग्रतर बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव – जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS–Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा आरम्भ करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) ; Sir there are some Calling Attention Notices.

अध्यक्ष महोदय : मैं कल विरोधी दलों के नेताओं तथा कुछ कांग्रेस सदस्यों और डा० राम सुभग सिंह को मिला था, उन्हें मैंने यह सुझाव दिया था कि बाढ़ तथा अकाल की स्थिति के बारे में बाद में चर्चा आरम्भ की जानी चाहिये। उससे पहले मंत्री विवरण रख देंगे क्योंकि यह बहुत आवश्यक हैं। अतः इन दोनों बातों को इस प्रस्ताव के बाहर रखा जाना चाहिये। कार्य-मंत्रणा समिति की आज 4 बजे बैठक होगी तथा वह इस बात का निर्णय करेगी कि कितना समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : Sir, with your permission I would like to put before the House a motion of No-confidence in the Government.

We should have welcomed the Prime Minister on her return from the Latin American countries but it is a matter of great regret that whatever has happened in our country in the past two or two and a half month has lowered the prestige of our country.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

Jalpaiguri remained under eight to ten feet of water for two days and this information was not passed on to Calcutta. But to-day I would take only the very serious things that took place in the past two and a half months. First of all I would refer to the Central Government employees' strike which took place on 19th September, 1968. In that

strike dozens cf persons were shot dead, thousands received injuries and about eight thousands persons were arrested. About 65 thousands employees have been suspended in this connection. Why all these things took place ? What was their fault. They had put forth only three demands namely that rise in cost of living should be fully neutralised, that dearness allowance should be merged in the basic pay and need based wages should be given to them. They had said that these demands should be sent for arbitration. When it was not done they were compelled to go on strike and thus Government is responsible for this and not the Government employees.

I understand that Government may find difficulties in fulfilling their demands. I know that Government may not have that much money in the treasury. But I think that even then this matter should be referred for arbitration because there is a provision in the joint consultative machinery that if Government finds difficulties even after arbitration they can put these difficulties in both the Houses and the decision of the parliament will be considerd final. If this is not done the responsibility falls on the Government and not on the Government employees. Whenever the question of giving some money comes, our Prime Minister adopts a peculiar attitude. She says that the country does not have resources with it. She also says that there are crores of persons in the country whose minimum basic needs are not fulfilled, then why should Government employees get privilage. But I would like to put a counter-question to her. When even the basic needs of crores of persons of our country are not fulfilled then who is responsible for it ? My submission is that if a single party has ruled ovre a country for twenty years continously it is in India and if for a span of twenty years after spending thirty two thousands crores of rupees this Government could not provide even the basic needs then they have no rights to rule over the country and sit over Governmental chairs. Hence they should resign.

Secondly, Government has said that Central Government employees' money will be spent on their welfare. I would like to know what is the guarantee for that. I would like to know from Government that if Government servants do not go on strike for two years, shall they be provided for the minimum basic needs ? I say that there is no guarantee for that. The money thus saved is always wasted.

Thirdly, I would like to say something about the distribution of national wealth. May I know whether any plan has been chalked out for this purpose. In the monopoly commission Report it has been laid down that 45 percent investment made in the Private sector is of the families of 75 business houses. Then how should we take that Government has taken into consideration the plight of the poor, Harijans, tribals and Government employees. If today we are compelling the Government that the Government employees should be given the need-based wages tomorrow we shall fights for the landless, Harijans and tribals. Hence my submission is that the policy of the Government is the policy to escape. Their policy is not based to do improvement work for the people.

As far as the question of prices of commodities is concerned we have seen that there has always been a rise in the prices. May I know what plan Government has made to check rise in prices ?

These were the demands of the employees for which strike had taken place but the way the strike was handled it was not good. It could have been averted by proper handling. I remember that in 1950 when strike had taken place for the first time then the late Prime Minister Shri Nehru had done his best to avert the strike. He had called the leaders of the employees to do amicable settlement. But this time no such thing was done and thus our Government has miserably failed in the performance of its duty. Hence there is no alternative left for them but to resign from their seats.

Now I would like to say something about what happened during the strike day. The scene in Delhi was no worse than what happened in Jallianwala Bagh. Whatever happened in Delhi, Pathankot, Bikaner and many other places is not a good thing. In Indiraprastha estate I have myself seen along with Shri M. L. Sondhi that the ladies working there were insulted, the officers there, who were against the strike even, were beaten, their watches were removed, press people there were beaten, the cameras of the photographers were broken. All these things took place in a place where there is a seat of the Home Minister. This was a scene imprecented in the history of Delhi. I would like to say that a special ordinance was got issued for one day's token strike. Now Shri Chavan says that the strike was not successful. Apart from the ordinance the employees were asked that the absence will be considered a break in service, etc. But inspite of all this thousands of persons remained away from their offices. Then Government should realise what is the feeling of these persons. Now those days have passed away when people were suppressed with terror. If Government wants to remain in power then they will have to understand the feelings of the persons and go accordingly. They will have to remove the difficulties of the people. The Government is running because of Government employees. Ill-clad and ill-fed Government employees cannot be efficient. For the sake of efficiency their difficulties should be removed.

The Prime Minister had written a note to the Cabinet Secretary that most of the difficulties of the employees were genuine. Had proper case been given to their the strike could have been averted. I want that the some note should be laid on the Table of the House.

We had demanded that a judicial enquiry should be instituted regarding Indiraprsatha case, but it was not done. The enquiry was instituted by the fact finding committee of the Deputy Commissioner. The real thing could not come to light by them. The enquiry was incomplete. People are not satisfied with the enquiry. They want that a judicial enquiry should be made only then the whole thing will come to light. There was no sense in getting the enquiry instituted by the Deputy Commissioner when he was responsible for all this. Government wants to hide the facts because if the real picture comes to light then a very serious situation is likely to be created.

Similarly, the enquiry made in Pathankot was not proper. Real facts could come to light had judicial enquiry been made there. But that was not done.

Even now about ten thousands employees are under suspension and employees are again being arrested. Government is making another law under which strikes will be banned. I think that democracy will be assassinated by this law.

The second point is regarding the atrocities being committed by U. P. police. The duty of the police is to safeguard the belongings of the people. While we see that the U. P. Government is being invo ved in the cases of crime being committed there and Government is not taking any action against them. Even according to Governmental figures everyone man after four hundred in U. P. is adversely effected. This condition has become since Congress Government has come in power there. By looking at the happenings of Shahjahanpur and Broach we can say that there is no law and order there.

In the end I would like to sum up the present condition of the country. The Government employees have now lost faith in Government. The economic structure of the country has become worse. People are starving. In U. P., Bengal and Delhi the police has became criminal. The law makers are breaking the laws. This Government has injurid the feelings of 60 lakh Government employees. Taking these things in view I feel that Government should tender resignation. With these words I close.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Chandra Jit Yadav (Azamgarh) : Mr. deputy speaker, Sir, we would have welcomed a resolution to consider the grievances of a large section of Government employees. But the no-confidence motion tabled by the opposition parties is only a political stunt.

I must complement the 91 percent Government employees who did not take part in the strike considering its serious implications. Our Government is seized of the various difficulties being faced by the Central Government employees. The increase in prices causes hardship not only to Central Government employees but also to State Government employees and millions of labourers working in private establishments and factories. Government is paying its serious attention to overcome the economic crisis being faced by the country. Certain political parties instigated and misled the innocent Government employees to take part in the strike so as to serve their political motives as was done on the eve of last stike, Immediately on return of the Prime Minister from her tour abroad this issue was discussed by the Cabinet and it was decided to deal sympathetically all cases of innocent employees who were misled or instigated to take part in the token strike and it has already been implemented. It is correct that proceedings against 8 to 9 thousand employees, who are alleged to have indulged in violence are pending in courts of law. Some such employees have been suspended and in some cases their services have been terminated also but Government has stated that such cases will also be considered with sympathy after the disposal of cases by the courts.

Government has expressed her regret over the entry of police into the Indraprastha Bhavan and beating of loyal Government servants and an enquiry was immediately ordered. The S P. concerned was immediately suspended and the A. D. M. was also transferred.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सरकारी कर्मचारियों को दिखावटी आंसू नहीं चाहिए । उन्हें सच्ची सहानुभूति चाहिए । वहां पर मरने वाले चपरासी की विधवा को अभी तक पुलिस की रिपोर्ट और अपने पति की शव परीक्षा की रिपोर्ट नहीं दी गई है । वहां पर लोगों की हत्या की गई है । यह दूसरा जलियांवाला बाग काण्ड हुआ है । मूल प्रश्न यह है कि क्या मृत चपरासी की विधवा को पुलिस और शव-परीक्षा की रिपोर्ट दी जायेंगी ।

Shri Crandra Jit Yadav : While moving the motion, Shri Kanwar Lal Gupta referred to flood heavoc in Jalpaiguri severe drought in Rajasthan, floods as well as drought in Bihar and serious drought conditions in Eastern Districts of U. P. The strike of Government employees only aggravated the miseries of the people of these areas as the relief measures were hampered. In fact the dreams of wresting power of the political parties in the opposition were belived by the results of the last general elections which motivated these parties, Jan Sangh. P. S. P., S. S. P. and Communist Party etc. to create chastic conditions in the country.

The Congress Government has been accused of coming with a heavy hand on the Government. But the facts are quite contrary to this change. No State Govenment employee of U. P. was put behind the bars or suspended during their strike when the Congress Government led by Shrimati Sucheta Kripalani was in power in the State. But when the U. P. State employees resorted to strike during the rule of Coalition Government of Jan Sangh, Communist party, P. S. P., S. S. P. and Swatantra Pary etc., they were dismissed on a large scale and they continue to suffer even now. I want know from

Shri Vajpayee the reasons for not bringing forward a no-confidence motion against the Jan Sangh Government in M. P., which crushed the agitation by the State Government employees.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या वे उनके साथ होड़ कर रहे हैं ? क्या इसके कारण लोगों को कष्ट भुगतने चाहिये ?

Shri Chandra Jit Yadav : The non-Congress Governments of Punjab, Bihar and Uttar Pradesh have enacted legislation banning strike by Government employees. We fully realised that Government have a basic right to get their genuine grievances redressed through peaceful means. But when 90 percent loyal and faithful employees are willing to work and the political parties exploit the Government employees to meet their political ends and try to create chaos in the country, the situation has got to be handled family.

The Home minister has been accused that he did not call the Government employees for discussions. The Home Minister has very clearly spelled out the Government's attitude on various demands of Government employees in this House on many occasions. The Home Minister had issued a statement before the strike expressing Governments willingness to discuss the issue of merger of dearness allowance with pay.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म.प.पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Shri Chandra Jit Yadav : Mr. Deputy Speaker, Sir, as regards the demand for need-based minimum wages, Government had clarified the position that since this issue is already under consideration by the National Labour Commission, whose report is expected by March, 1969, no action can be taken by Government. Government has always taken a sympathetic attitude towards the demands of Government employees. But their demands are to be viewed in the context of the economic and financial position of the country and the various other problems. We have to imbile a sense of sacrifice during the development stage and to provide for the most essential requirements first. In such a situation, mere political slogans are not going to help us.

Mr. Kanwar Lal Gupta termed the ordinance issued by the Union Government as a black law since it provides for an imprisonment for six months. May I know from Shri Gupta and Shri S. M. Joshi whether the ordinance passed by M. P. Government did not provide for three years, imprisonment for a striking Government employees ? As regards the demand for a judicial enquiry, its purpose has already been served by the Departmental enquiry. If after its completion it is considered necessary to hold a judicial enquiry it shall certainly be ordered. The demand for judicial enquiry into the police lathi charges and firings on Government employees in M. P. was turned down. This double-faced politics will not lost for long.

Very serious charges were lavelled against the Congress during the last one year but the people have renewed their faith in the Congress in mid-term. Assembly poll in

Haryana and municipal elections in Kerala and Madras and by-elections to Lok-Sabha in Rajasthan and Bengal and lack of confidence in the various opposition parties and their policies. This drama of no confidence motions will not go on for long. We should all sit together and consider means to solve the difficulties of Government employees. Government employees are very much part of our society and our national flamily. But we should not forget that there are other problems also before the country and our resources are limited. We seek help from foreign countries for providing resources for our Five Year Plans and also seek the cooperation of our people. On one hand the Opposition suggests additional taxation and on the other they oppose it for political reasons.

It has been said that there has been large scale victimi‑ation of Government employees. Government has taken back in service many people and I would appeal to Government to review the cases of rest about 10,000 employees also sympathetically. Government should invite the representatives of Government employees to discuss various issues. The present no-confidence is only a political game. The heast and soul of the opposition are divided. Shri Balraj Madhok condemns the strike while Shri Vajpayee hands support to it. I fully oppose this motion.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : On a point of order, Sir, we are discussing a no-confidence motion against the council of ministers but neither the Prime Minister nor the Home Minister is present in the House. It has all along been the convention here. This House should not be treated so shabily. The Prime Minister should be called here and then only the further proceedings should go on.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : यह आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद-कार्य मंत्री सभा की भावनायें प्रधान मंत्री को बता देंगे।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटे) : प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : हमें विचारणीय विषय पर निष्पक्ष और उद्देश्य पूर्ण दृष्टि से विचार करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि कर्मचारी का कार्य करने का तथा हड़ताल करने का अधिकार उसकी आधार भूत स्वतंत्रता है जिसे केवल फासिस्ट अथवा साम्यवादी ही अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात है सामाजिक ढांचे को बनाये रखना। इसे हमें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाना है परन्तु आज की परिस्थिति में दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी हो गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप ही यहां विवाद खड़ा हुवा है।

आज प्रातः हमने अविश्वास प्रस्ताव रखने वालों का साथ नहीं दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत अधिक अविश्वास प्रस्तावों के कारण, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। उन प्रस्तावों के पीछे जो भावना निहित है वह भी कुछ खोखली प्रतीत होने लगती है। सरकार भी रुपये की भांति इसका 'अवमूल्यन' कर देती है। प्रधान मंत्री तथा अन्य भी इसके आदी होते जा रहे हैं। पहला तो यही कारण था। और दूसरा कारण यह था कि यद्यपि यह प्रस्ताव बिना कोई कारण दिये ही रखा गया था परन्तु इसके आधार में 8 बातें थी जो कि बड़ी विवादास्पद थी तथा हमारे लिये अमान्य थी। हमने सोचा कि जिस प्रकार सरकार ने 19 दिसम्बर को, कानून और व्यवस्था को सम्भाला उसके विरुद्ध प्रस्ताव के हम समर्थक नहीं हो सकते।

हमारा अब भी यही मत है कि 19 सितम्बर की हड़ताल अवैध है तथा इसके पीछे कोई राजनैतिक तत्व अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ।

देश का कानून चाहे जो हो, हम उसका हिंसात्मक उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं हैं । यदि कानून में कोई दोष है तो उसे संसद में आकर बदला जाये, न कि उसका उल्लंघन किया जाये । दूसरे, हम यह अनुभव करते हैं कि इस अशक्त सरकार ने, जो कि सदा दबाव के आगे झुकती आई, पहली बार कोई ठीक कार्य किया है ।

सरकार ने एक बड़ा ही माननीय प्रस्ताव रखा था । देश के कर्मचारी-संघों के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति श्री बी० बी० कार्तिक, जिन्होंने राजनैतिक क्षेत्र से दूर रहकर सदा कर्मचारी वर्ग की सेवा की है, कहा है हड़ताल का सर्व प्रथम कारण तो यह था कि "सरकार ने कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया था । शेष सत्ताईस मांगों के बारे में सरकार बातचीत करने को तैयार थी । केवल न्यूनतम वेतन वाली ही मांग पर समझौता नहीं हुआ था । कोई भी न्यायसंगत और जिम्मेवार नेतृत्व इस प्रस्ताव को एक अच्छा समझौता समझता तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये बातचीत करता"

यही कारण है कि हम हड़ताल को न्याय संगत नहीं मानते । इसके पीछे राजनैतिक स्वार्थ था तथा सरकार ने इसको उचित तरीके से सम्भाला ।

अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम् वेतन की मांग को मध्यस्थ निर्णय के लिए क्यों नहीं सोंपा गया । स्पष्ट है कि हम लोग आज अपनी जरूरतें पूरी करने में सर्वथा असमर्थ हैं । हम सब लोग अपनी दीवालिया सरकार की आर्थिक नीतियों से उत्पन्न दीवालिया अर्थव्यवस्था के शिकार हैं । यदि आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन दिया जाये तो फिर और अधिक घाटे का बजट तैयार होगा, सैकड़ों करोड़ रुपये का घाटा दिखाना होगा और इस प्रकार एक हाथ से देना तथा दूसरे हाथ से वापस लेना होगा । इससे मुद्रा स्फिति होगी और हमारी अर्थ-व्यवस्था और अधिक नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी ।

यह ठीक है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हालत बहुत शोचनीय हैं, परन्तु देश में करोड़ों और भी ऐसे लोग जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, छोटे छोटे खेतीहर आदि भी हैं जिनकी निस्सन्देह अधिक खराब है । अत: भारी संख्या में त्रस्त लोगों की तुलना में एक थोड़े से सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दे सकते, जबकि यह सत्य है कि सरकारी कर्मचारी बहुत ही गरीब नहीं हैं ।

यही कारण था कि कार्मिक संघों को दी गई मान्यता को वापस लेने का हमने स्वागत किया था । वास्तव में ये ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो कि उन साम्यवादियों तथा अन्य राजनीतिज्ञों के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जिन्होंने सामान्य सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का अधिकार छीनकर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था । हम प्रसन्न है कि अब वह एकाधिकार समाप्त हो गया है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यदि आप लोक सभा में सामान्य स्थिति चाहते हैं तो पहले यहां से बाहर सामान्य स्थिति उत्पन्न कीजिये। यह बात हमसे चाहे लिखकर ले लीजिये। हम इसके लिये तैयार हैं।

आप यहां पर ही इन्द्रप्रस्थ जैसी स्थिति लाना चाहते हैं तो लाइये। हम उसका सामना करेंगे। हम इसके लिये भी तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार कृपया कुछ समय के लिये चुप रहें।

श्री मी० रु० मसानी : सरकार के इस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं कि सरकार केवल उन्हीं कार्मिक संघों को मान्यता देगी जिनका प्रतिनिधित्व स्वयं कर्मचारी करेंगे न कि कोई राजनीतिक नेता। हम में से बहुत से लोग पिछले 10 या बीस वर्षों से इसके लिये चिल्लाते रहे हैं।

अब मैं स्थिति के दूसरे पहलू को भी स्पष्ट करता हूं। पहला प्रश्न यह आता है कि थोड़ी तनखा वाले इन सरकारी कर्मचारियों की पूरी सेना तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। सरकार इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। यदि इनकी संख्या थोड़ी होती तो इन्हें पूरा वेतन भी मिलता तथा ऐसी स्थिति भी कभी उत्पन्न न होती। इसी प्रकार सरकार का कर्मचारियों को यथेष्ट वेतन न दे सकना भी सरकार की ही कमजोरी है, जो कि उसकी गलत आर्थिक नीतियों का द्योतक है। जिसमें देश की अर्थ व्यवस्था को धाराशायी कर दिया है। उसका दीवाला निकाल दिया है। सरकार ही इसके लिये उत्तरदायी है।

हड़ताल करना सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। केवल साम्यवादी और स्वतन्त्रता के शत्रु ही इस अधिकार को अस्वीकार कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि किन परिस्थितियों में इस अधिकार को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके लिये सरकारी कर्मचारियों तथा सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के मध्य कुछ भेद रखना होगा। और इस अधिकार को बिना कोई दूसरी रियायत दिये नहीं छीना जाना चाहिये। और दूसरा रास्ता यह कानून के नियम का अर्थात् मध्यस्थ निर्णय अथवा न्याय निर्णय का, जहां कि सब अपनी बात कह सकें तथा जिसका निर्णय मान्य हो, चाहे वह सरकार के विपक्ष में ही क्यों न हो। मेरे मित्र कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प नहीं दिया गया। आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम् वेतन की मांग को छोड़ यह विकल्प सभी मांगों के बारे में दिया गया।

और न्यूनतम वेतन वाला मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि देश के सामने आये आर्थिक तथा राजनैतिक मामलों को आप मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंप सकते। इन मामलों में देश की संसद निर्णय करती है। तथा वह भी प्रजातांत्रिक ढंग से। मध्यस्थ निर्णय के लिये केवल विशिष्ट औद्योगिक झगड़े ही सौंपे जा सकते हैं। 8 अगस्त, 1960 को जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध विधेयक प्रस्तुत किया तब भी हमने उसका विरोध किया था और हमने कहा था कि न्याय-निर्णय अथवा मध्यस्थ–निर्णय का विकल्प दिये बिना हड़ताल करने का अधिकार नहीं

छीना जा सकता । इन शोर मचाने वाले लोगों ने ही तब उस विधेयक के विरुद्ध मेरे संशोधन का समर्थन किया था ।

इन्द्रप्रस्थ में जो कुछ हुआ वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है । उप-आयुक्त तथा गैर-सरकारी जांच मे निस्सन्देह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस ने अधिकारों का बड़ा बुरा दुरुपयोग किया तथा उस विशिष्ट घटना में अत्याधिक हिंसा से कार्य लिया । उप-आयुक्त की रिपोर्ट में साफ साफ यह कहा गया है कि "बाई" बिल्डिंग के बाहर श्री मोहिन्दर सिंह स्थिति को नहीं सम्भाल सके, पुलिस का बिल्डिंग मे जाना कतई जरूरी नहीं था, परन्तु केवल उन्होंने ही पुलिस को भवन के अन्दर भेजा जिसके लिये उन्होंने श्री एम० के० काव से भी परामर्श नहीं लिया । इस सम्बन्ध में सारे निर्णय उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध लिये गये तथा पुलिस कर्मचारियों से भी उनकी कार्यवाही के बारे में सही उद्देश्य नहीं बताया गया । सारी जिम्मेवारी श्री मोहिन्दर सिंह की है । पुलिस ने अकारण ही भोले-भाले तथा वफादार कर्मचारियों को पीटा व मारा । गैर सरकारी जांच समिति ने भी ठीक वैसी ही रिपोर्ट दी है, अन्तर केवल इतना है कि इसमें यह नहीं माना गया है कि केवल कनिष्ठ अधिकारी ही दोषी हैं, बल्कि यह कहा गया है कि श्री टन्डन तथा श्री काव भी वहां मौजूद थे तथा वे भी उतने ही दोषी हैं । यहां तक कि श्री एम० के० काव को भी निर्दोष लोगों को पीटते देखा गया । दोन जांच समितियां इससे सहमत हैं कि जो कुछ हुआ वह वास्तव में बड़ा भयप्रद है तथा दोनों ने न्यायिक जांच की मांग की है । मेरा विचार न्यायिक जांच भी अविश्वास प्रस्ताव की भांति इतनी सामान्य वस्तु नहीं बना देनी चाहिये । परन्तु जहां जनता में विश्वास उत्पन्न करना हो, दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाना हो, वहां यह आवश्यक हो जाती है । और जहां पर भारी संख्या में निर्दोष, वफादार कर्मचारियों, जो कि इन तत्वों की बात मानकर सुगमता से हड़ताल में शामिल हो सकते थे, पर ऐसा अत्याचार हुआ हो वहां न्यायिक जांच की जानी चाहिए । सरकार ने इस मांग को ठुकरा कर बड़ी गलती की है । प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से अब भी मेरी प्रार्थना है कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें ।

उपर्युक्त कारणों के आधार पर ही हम इस प्रस्ताव पर मतदान करने से दूर रहे थे जब कि यह प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया था ।

श्री शिवाजी राव देशमुख (परभणी) : श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं परन्तु साथ ही मैं इसे भी बड़े दुर्भाग्य की बात समझता हूं कि इस हड़ताल के नायक श्री जोशी को जिन्होंने कि अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल करने की ठानी, को समझाने के लिये आपने जो कुछ अपने हार्दिक प्रयत्न किये उनको श्री जोशी ने गलत अर्थों में लिया तथा सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल के लिये उकसाया । मुझे आपसे, उपाध्यक्ष महोदय पूरी पूरी सहानुभूति है । आपने तो इस सभा के एक माननीय सदस्य की जान बचाने का प्रयत्न किया परन्तु आपके इस प्रयत्न के बड़े ही गलत अर्थ लगाये गये और इसका हड़ताल पर भी बड़ा एक तरफा प्रभाव पड़ा ।

श्री मसानी ने ठीक कहा है कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव एक साधारण सी बात बन रही है । माना कि अविश्वास प्रस्ताव रखना हर माननीय सदस्य का अधिकार है परन्तु मुझे

दुःख है कि श्री कंवर लाल गुप्त यह प्रस्ताव उस समय लाये हैं जब कि सरकार हड़ताल की स्थिति पर काबू पाने में प्रायः सफल हो चुकी है। और इस स्थिति के पीछे राज नीतिक तत्वों का हाथ था।

श्री कंवर लाल गुप्त सरकार को परेशान करना चाहते हैं और सोचते हैं कि साम्यवादी दल तथा संयुक्त सोशिलिस्ट दल-जो कि हड़ताल को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं, के नेतृत्व में देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा इससे क्रांति के लिये आधार मजबूत हो जायेगा। वह समझते हैं कि इस ढंग से क्रान्ति आ जायेगी। मुझे हर्ष है कि सरकार अपने कार्य में बड़ी सफल रही है। प्रस्तावक ने समझा था कि कार्मिक संघों में उनके दल की धाक जम जायेगी। उनका यह भी खयाल था कि इससे वह स्वयं भी देश में कार्मिक संघों के आन्दोलन के नेता बन जायेंगे। पर मुझे केवल खेद है कि उनकी ये आशायें फलीभूत न हुई और असंवैधानिक हड़ताल करने के परिणामस्वरूप उन कार्मिक संघों की मान्यता और वैधता रद्द कर दी गई।

ये लोग केवल अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अधिकार का ही दुरुपयोग नहीं कर रहे बल्कि उन गैर कानूनी हड़तालों यहां तक कि संवैधानिक हड़ताल का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने राजनैतिक स्वार्थ निहित हैं। व्हाइटले परिषदों के आधार पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के गठन से यह आशा बंधी कि देश को हड़तालों से मुक्ति मिल जायेगी तथा देश के कार्मिकों के कल्याण में भी सहायता मिलेगी। परन्तु इस व्यवस्था का भी दुरुपयोग किया गया। जब इस व्यवस्था की बैठक बुलाई गयी तो उसमें भी देश की मूलभूत आर्थिक नीतियों को भी मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजने की मांग की गई। एक व्यक्ति, चाहे कितना भी उच्च बुद्धिमान तथा निष्पक्ष क्यों न हो, उसे देश भर की आर्थिक नीतियों तथा उनकी भावनाओं को बदल देने के अधिकार नहीं दिये जा सकते। आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन की मांग को मध्यस्थ निर्णय के सुपुर्द न करने का यही कारण था, और फिर आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन का सम्बन्ध केवल एक श्रेणी के लोगों के लिये प्रत्युत देश के सभी प्रकार के लोगों के लिये है और उसका भार उठाने की स्थिति में इस समय हम कदापि नहीं हैं। अतः हमें सरकारी कर्मचारियों की मांगों से सहानुभूति है। मतभेद तो केवल इस बात पर है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस व्यवस्था को क्या करना चाहिये ? मतभेद तो यह है कि वही सुविधायें देश के भारी संख्या में अविकसित खेतीहर मजदूरों, परिवारों तथा देश की 80% जनता भी कैसे दें। हड़ताल के पीछे कोई राजनैतिक स्वार्थ होने का यह प्रमाण भी काफी है कि इस हड़ताल को देश के किसी सामान्य जन की सहानुभूति प्राप्त नहीं थी।

यह हड़ताल सबसे अधिक असफल हड़ताल रही है। इसका केवल शोर मचा है, और केवल 9% सरकारी कर्मचारी ही हड़ताल पर रहे थे तथा इनमें से 50 प्रतिशत डाक व तार विभाग के कर्मचारी थे जिनको तथा कथित नेशनल फेड्रेशन ऑफ पी एण्ड टी एम्प्लाईज ने उकसाया था। यह सांकेतिक हड़ताल एक परीक्षण था तथा सरकार अपनी इस परीक्षा में सफल रही है तथा बधाई की पात्र है।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर): व्यवस्था के प्रश्न पर सभा में यह परम्परा रही है कि सभा में अनुपस्थित किसी व्यक्ति का हवाला न दिया जाये और मैं कहना चाहूंगा कि डाक व तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेड्रेशन ने अनिश्चित काल तक की हड़ताल के बारे में कभी नहीं कहा, माननीय सदस्य ने सभा में एक गैर जिम्मेवाराना वक्तव्य दिया है। मैं चुनौती देता हूँ कि राष्ट्रीय फेड्रेशन ने अनिश्चित काल तक की हड़ताल के लिए कभी नहीं कहा। वह इस सबसे बड़ी फेड्रेशन को बदनाम करना चाहते हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इस संदर्भ में मैं डाक व तार कर्मचारियों की एक पत्रिका **'दी पी एण्ड टी लेबर'** की ओर ध्यान दिलाता हूं। इसके मई अंक में "हड़ताली कार्यवाही" शीर्षक से एक सम्पादकीय छपा था जिसमें अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों की फेड्रेशन द्वारा 11 सितम्बर, 1968 को 48 घंटे की सांकेतिक हड़ताल तथा 31 सितम्बर, 1968 से अनिश्चित काल तक की हड़ताल का हवाला दिया गया था। इस लेख ने यह कह कर उत्तेजित किया कि मोरारजी देसाई के सिद्धान्तों पर चलने वाली इस सरकार ने पुनः राष्ट्र व्यापी औद्योगिक कार्यवाही करने को बाध्य किया है। डाक व तार कर्मचारियों ने रेल कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मनवाने हेतु राष्ट्र-व्यापी हड़तालो कार्यवाहियों में सदा आगे बढ़कर भाग लिया है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डाक व तार कर्मचारी अपनी मांगों तथा अपनी कठिनाइयों के लिये नहीं बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने की गरज से अनिश्चित काल तक की हड़ताल पर जाना चाहते थे। वफादार कर्मचारियों को गुमराह करने का इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता।

अतः इस हड़ताल के पीछे निहित राजनीतिक आशायें भूमिसात हुई क्योंकि वे मांगें न्याय-संगत नहीं थी न कि केवल इसलिए कि हमने उसका कड़ा सामाना किया। स्वार्थी लोगों ने श्रम संघों को गुमराह किया तथा राजनैतिक साधन बनाना चाहा था। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार झुकी नहीं। हमने दिखा दिया कि 90 प्रतिशत कर्मचारी सरकार के प्रति वफादार हैं।

जो लोग दावा करते हैं कि हड़ताल सफल रही है, उनसे मैं कहूँगा कि कुछ 10 प्रतिशत हड़ताली कर्मचारियों में से 5 प्रतिशत केवल डाक व तार विभाग के थे तथा शेष रेलवे और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के थे। प्रतिरक्षा विभागों के समस्त कर्मचारी आई० एन० टी० यू० सी० के नेतृत्व में सरकार के प्रति पूरे वफादार रहे जिनकी हमारी सुरक्षा सेवाओं को बहुत आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आई. एन. टी. यू. सी. ने एक राष्ट्रीय भावना-पूर्ण कार्य किया।

आयुध विभाग के कारखानों में भी 2,40 000 कर्मचारियों में से केवल 20,000 लोग ही प्रभावित हुए। उनमें से केवल 10,000 से भी कम लोगों पर मामला चल रहा है। क्योंकि सरकार को कानून और व्यवस्था की रक्षा तो करनी ही है।

अतएव इन तथाकथित कर्मचारियों की बड़ी संख्या में से केवल 3,000 ही प्रभावित हुए हैं और यह सब विरोधी दलों के सदस्यों के कारण ही हुआ है। सरकार ने हड़ताल का सामना करने के लिए जो कुछ किया है वह सब मानवता के दृष्टिकोण से किया है। सरकार अपने वफादार कर्मचारियों के लिए, जो कुल कर्मचारियों का 91 प्रतिशत है इससे और अधिक और क्या कर सकती थी ? अगर सरकार उन कर्मचारियों को बिना दोष लगाये वापिस सेवा में ले लेती तो यह वफादार कर्मचारियों के प्रति विश्वासघात होता। इन्द्रस्थ भवन में जो कुछ हुआ तो उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है ...... (व्यवधान)

श्री म०ला० सोंधी (नई दिल्ली): मैं इसका स्वागत करता हूं बशर्ते कि उनकी मजाकिया तबीयत हो परन्तु ऐसा नहीं है, यह भाषा का दुरुपयोग है। अगर उनके कहने में कोई मजाक आदि का पुट हो तो मैं उसको समझ सकता हूं। मुझे आशा है कि यह सभा ऐसा नहीं चलने देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को किसी दूसरे सदस्य के वक्तव्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, हमें केवल यह देखना है कि यह बात न्याय संगत हैं या नहीं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : हमारी यह प्रार्थना है कि माननीय सदस्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये जिन्होंने इन्द्रप्रस्थ भवन में विस्फोटक स्थिति पैदा की और उनमें इतना साहस नहीं था कि वे वहां खड़े रहते।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटे) : हमें इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या कार्यवाही करेंगे। जब लोग आपकी गोलियों का सामना करते हुए मरे हैं तो हमें आपकी कार्यवाही का कोई डर नहीं हैं। आप अपनी केन्द्रिय रिजर्व पुलिस को बुला लाइये। आप हमें धमकी दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह पक्ष दूसरे पक्ष की वक्तव्यों के बारे में विचार प्रकट करता है तो दूसरे पक्ष को भी ऐसा करने का अधिकार है।

श्री उमानाथ : वे आपसे हमारे विरुद्ध इसलिये कार्यवाही करने को कह रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार हमने विस्फोटक स्थिति पैदा की। यह न केवल पशु-स्तर की बात है बल्कि मैं यह कहूँगा कि यह सूअर के स्तर की बात है।

डा० सुशीला नंयर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इस सभा के किसी माननीय सदस्य को सूअर कहना निश्चय ही असंसदीय कार्य है, और इसको वापिस ले लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह असंसदीय है तो मैं इस पर विचार करूंगा। परन्तु जो कुछ उन्होने कहा वह केवल वक्तव्य के बारे में था। वह जो कुछ कह रहे है वह एक सीमा के अन्दर ही है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जो कुछ इन्द्रप्रस्थ भवन में पुलिस ने किया वह केवल कर्तव्य मात्र था। परन्तु जो पुलिस वाले इस घटना के लिए जिम्मेवार थे उनको निलम्बित कर दिया गया। उप-आयुक्त ने इस मामले की जांच की है कि कौनसे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। बहुत शीघ्र ही इसका प्रतिवेदन आ जायेगा। सरकार उन लोगों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करेगी जो इसके लिए उत्तरदायी पाये जायेंगे।

सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था वह मजदूर संगठनों को भड़काने के लिए नहीं था। यह उन लोगों को रोकने के लिये था जो इस देश के राष्ट्रीय जीवन को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। यह अध्यादेश लाना जरूरी था क्योंकि लोगों को तभी विश्वास होता कि सरकार कुछ कर रही है। (व्यवधान) सरकार उन सब हड़तालों को अवैध घोषित करना चाहती है जिनका मजदूरों की भलाई से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रजातंत्रीय देशों की सरकारों को यह अधिकार है कि वे किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो इसके लिए कम्युनिस्ट या फासिस्ट कह कर हमें दोष दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब वक्तव्य समाप्त कीजिए (व्यवधान)।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : कनाड़ा लंका, जापान, नार्वे, फिलिपाइन, स्विजरलैंड आदि देशों में ऐसी प्रथा है। उन्होंने अपने देश की सरकारों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे राजनीतिक उद्देश्य वाली किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित कर सकते हैं। मैं इसके लिए सरकार तथा माननीय गृह मंत्री को इस स्थिति का सामना करने के लिए बधाई देता हूं............

श्री नम्बियार : आपने कर्मचारियों पर गोली चलाई, उन पर लाठी बरसाई और उन्हें बरखास्त किया और अब बेकार की बातें कर रहें है, हमारी नाराजगी उचित है।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण) : वाद विवाद के दौरान बहुत से प्रश्न उठाये गये थे और कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। सरकार की ओर से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है क्योंकि वे इस समस्या को नहीं जानते।

सितम्बर का एक दिन हमारे प्रजातन्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत सरकार भी यह स्वीकार करती है कि उसकी पुलिस नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इन्द्रप्रस्थ भवन की घटना प्रजातन्त्र के लिए एक स्थायी काला धब्बा है। इसके आलावा उन्होंने जो कार्यवाही की वह एक साधारण चपरासी की मृत्यु पर नहीं बल्कि यह इसलिए की गयी क्योंकि वहां उच्च अधिकारियों की पीटाई की गई थी। अतः शीघ्र जांच के लिये आदेश दिये गये और क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कहा गया। परन्तु पठानकोट में जहां कि एक औरत को गोली लगी थी और छः आदमी मारे गये थे वहां न कोई ठीक जांच कराई गई और न उचित क्षतिपूर्ति दी गई। मैं पठानकोट गया था और वहां मैंने देखा कि जांच करने वाला एक छोटा अधिकारी था और गोली चलाने का आदेश देने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी, तो फिर ऐसे में जांच आदि ठीक प्रकार से कैसे हो सकती है ?

कहा गया है कि यह एक राजनैतिक हड़ताल थी। क्या कर्मचारियों ने बातचीत की या नहीं ? क्या मान्यता प्राप्त संघों ने मांग के बारे में महीनों सरकार से वार्तालाप नहीं किया ? अगर यह हड़ताल राजनीतिक उद्देश्य वाली होती तो हम लोग पहले ही दिन बीच में आ जाते, परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। मैं 1957 और 1968 के हड़तालों में भिन्नता के बारे में कहूंगा। 1957 के हड़ताल में हम पण्डित जवाहरलाल नेहरू से अन्तिम समय तक हड़ताल को रोकने के बारे में बातें करते रहे, इसका परिणाम यह हुआ हड़ताल होने के चार घण्टे

पूर्व समझौता हुआ और वेतन आयोग बिठाया गया। परन्तु इस बार कुछ नहीं किया गया। हड़ताल होने के एक दिन पहले जब मैंने कोई समाधान ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया तो मुझसे कहा गया कि बातचीत नहीं हो सकती। और इस पर सरकार ने फैसला कर दिया है। आप जानते हैं कि गत वर्ष मंहगाई भत्ते पर बातचीत की गई थी और 11 सितम्बर को हड़ताल करना निश्चित हो गया था। परन्तु इतने में उप प्रधान मंत्री विदेश चले गये और इस पर आसानी से समझौता हो गया। पहले यह कहा गया था कि मंहगाई भत्ता बढ़ाने से बजट में फर्क आयेगा परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

आप यह कैसे हैं कि यह राजनीतिक उद्देश्य वाली हड़ताल थी जब कि मान्यता प्राप्त संघों ने अपनी मांगें रखी थी? इसके लिए एक परम्परा बना दी जाये कि जब भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा कोई मांग पेश की जाती है तो कोई भी राजनीतिक दल न कोई वक्तव्य देगा और न कुछ कहेगा, और तब इन मांगों को पूरा कर लिया जायेगा। आप समझते हैं कि 24 घण्टों के लिये अगर रेल गाड़ियों का चलना बन्द हो जाता है तो सरकार का तख्ता पलट जायेगा। जब कि वस्तुस्थिति यह है कि रेलगाडियां 36 घण्टे देरी से आती है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार कभी कोई सरकार का तख्ता पलटा जा सकता है। इस सांकेतिक हड़ताल को राजनीतिक रूप सरकार द्वारा दिया गया है न कि कार्मिक संघों द्वारा, उन्होंने तो आखिरी समय तक बातचीत से समस्या हल करने का प्रयास किया।

यह स्पष्ट था कि भारत सरकार ने हड़ताल और मजदूरी के सम्बन्ध में अपना पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण बनाया हुआ है। वह यह कि प्रत्येक मजदूरी की मांग को दृढ़तापूर्वक दबा दिया जायेगा और कोई रियायतें नहीं दी जायेंगी। ऐसी हालतों में इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता कि राजनीतिक दलों और मजदूर संघों के नेताओं को आगे आकर उनकी मांगों का समर्थन करें और उन्हें संघर्ष चलाये रखने के लिये कहें। अतएव यह कोई राजनीतिक उद्देश्य वाली हड़ताल नहीं थी।

सरकार का कहना है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने से आर्थिक तंत्र में गड़बड़ी आ जायेगी और आर्थिक क्षेत्र में दिवालियापन आजायेगा। दूसरा वे कहते हैं कि ऐसा वेतन देना उनकी सामर्थ्य के बाहर है। सरकार ने इस समस्या के अध्ययन के लिए क्या किया है? कभी-कभी श्री चव्हाण जैसे व्यक्ति भी ऐसे बन जाते हैं कि मानों उन्हें कुछ भी मालुम नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम नहीं है तो श्री चव्हाण ने कहा कि नहीं, यह प्रश्न उनके सामने है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का कोई हवाला नहीं है, केवल ऐसा ही कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी और दर पर चर्चा करते समय आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के बारे में भी कहा जा सकता है। जब वस्तुस्थिति ऐसी है तब आप जनता को रेड़ियो द्वारा यह क्यों कह रहे हो कि यह मामला राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है अतएव मजदूरों की मांग अविवेक पूर्ण हैं। आपको आयोग का विवरण प्रस्तुत करना था जिसमें यह कहा जाता कि इस विषय पर विचार किया जा रहा है और हम इस पर अपना निर्णय देंगे। आपने ऐसा क्यों नहीं कराया? आयोग ने आपको एक पत्र भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि आर्थिक

सचिवों की बैठक अक्टूबर में होने वाली है और इसके लिये मजदूरी के प्रश्न का ज्ञापन भेजा जाये। आकाशवाणी से बार-बार यही कहा जा रहा था कि चूंकि यह प्रश्न आयोग को सौंप दिया गया है, अतएव हड़ताल आदि करना अविवेकपूर्ण हैं। मैंने आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों से कहा कि वे यह वक्तव्य दें कि इस पर विचार किया जा रहा है, परन्तु उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। चूंकि आयोग को सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन करने के लिये अपना साधन बनाया जा रहा था। अतएव यह मजदूर संघों के नेता और प्रतिनिधियों के लिए एक बेइज्जती थी। अतएव मैंने आयोग से हटजाना ठीक समझा। यह आयोग की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल बात थी कि वह सरकार के हितों की रक्षा का साधन बने। एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया था जिसमें कर्मचारी, सरकार और मजदूर संघों के प्रतिनिधि थे। अतएव ऐसा मत सोचिये कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का नारा राजनीतिक कारणों से लगाया गया। जब दूसरा वेतन आयोग नियुक्त किया गया तो सरकार से आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के बारे में पूछा गया तो श्री मोरारजी देसाई ने उत्तर दिया कि सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि सरकार इसको कार्यरूप देने का प्रयत्न करेगी। जब देश के इतिहास में पहली बार 1957 में मजदूरी के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था तो दो वर्ष के भीतर ही उप प्रधान मंत्री जी ने इसे मानने से इन्कार कर दिया, और इसके दस वर्ष के भीतर ही कर्मचारियों पर गोली वर्षा की गई थी, क्योंकि वे उस सिद्धान्त पर डटे हुए थे। आप इस मामले को पंचनिर्णय को भेज सकते थे परन्तु आपने उस सिद्धान्त का खून कर दिया।

सरकार कहती है कि न्यूनतम वेतन का प्रश्न पंचनिर्णय को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि यह तो एक प्रकार से बजट को पंचनिर्णय के पास भेजने के समान है यह, कैसा बेहूदा वक्तव्य है। सरकार ने पहले मंहगाई भत्ते का मामला गजेन्द्रगड़कर आयोग को भेजा था और उसका प्रतिवेदन स्वीकार किया था। तो क्यों नहीं सरकार आवश्यकता पर अधारित न्यूनतम वेतन का प्रश्न आयोग को भेज सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बात हो इसका कारण यह है कि सरकार एकाधिकारी लाभों पर प्रहार नहीं करना चाहती है।

ऐसी दलील दी जाती है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम अभिसमय को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जीविका मिलेगी परन्तु इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 43 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में निर्वाह वेतन दिलाने का वचन दिया गया है, परन्तु भाषा के प्रश्न की तरह उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक लोकतांत्रिक देश में अर्थ व्यवस्था तभी प्रगति कर सकती है जब कि देश में उत्पादन का अधिक से अधिक भाग उत्पादकों को मिले और कम से कम उन लोगों को मिले जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है। इस प्रकार से पर्याप्त जीविका लाई जा सकती है। संविधान को बनाने वाले बहुत बुद्धिमान थे उन्होंने 39 (क) में कहा है कि पर्याप्त जीविका दी जानी चाहिये ताकि कुछ ही लोगों के हाथ में सम्पत्ति एकत्रित न हो सके। इसका परिणाम यह होता है कि पर्याप्त जीविका देना असंभव हो जाता है। अगर आप जीविका मजदूरी देना चाहते हैं तो सम्पत्ति को किसी के हाथों में केन्द्रित मत होने दीजिये। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री

ने यह वक्तव्य दिया था कि बहुतों को हानि पहुँचा कर कुछ को लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता। क्या संविधान में यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को एक ही दिन में एक साथ जीविका मिलने लगेगी? ऐसा कहा गया था कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है परन्तु इस राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का फायदा कुछ ही लोगों को हुआ है। स्वय नेहरू जी ने यह बात स्वीकार की थी और इसके लिए एकाधिकारी समिति बिठाई गयी थी।

कुछ वक्ताओं ने यह कहा था कि प्रत्येक को न्यूनतम आधारित वेतन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था डावांडोल हो जायेगी, परन्तु कुछ उद्योग पहले ही आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दे रहे हैं और फिर भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

कुछ उद्योग हर प्रकार से जायज और नाजायज फायदा कमा रहें है, हमने उन उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी के लिये संघर्ष किया और इसमें सफल हुए। मैं आपको कई उन उद्योगों के बारे में बता सकता हूँ जहां कि उत्पादन बढ़ा है और फलस्वरुप कर्मचारियों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के लिए सघर्ष किया और मालिकों ने उनकी मांगों को माना, ऐसा करने से उनकी कम्पनी की अर्थ व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आया तो फिर अगर सरकार अपने कर्मचारियों को इस प्रकार का न्यूनतम वेतन देती है तो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था कैसे डांवाडोल हो सकती है।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन एक अभिसमय है कि कर्मचारी कुछ पूंजीपतियों को अपनी कार्यवाही द्वारा इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि इसे कार्य-रूप में लाया जाय। सरकार देश के सबसे बड़े मालिक के रूप में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने की स्थिति में है।

जहां तक मजदूरी चुकाने की क्षमता का प्रश्न है, यह याद रखना चाहिए कि जब कोई उद्योगपति एक उद्योग शुरु करता है तो उस समय वह मजदूरी चुकाने की क्षमता का विचार लेकर नहीं आता। मजदूरी भुगतान करने के लिए 'मजदूरी देने की क्षमता' कभी भी मानक नहीं होती। मजदूरी का निर्धारण किन्हीं दूसरे कारणों से होता है जैसे कि लाभ की दर तथा कर्मचारी की सौदा करने की क्षमता तथा इसके लिए हड़ताल करने की क्षमता आदि। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग द्वारा अनुमोदित महंगाई भत्ते के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था तो इस पर हड़ताल करने की धमकी दी गई थी। सरकार हड़ताल नहीं चाहती थी, अतएव मंहगाई भत्ते की मांग को मान लिया गया। इस प्रकार हड़ताल ने सरकार के मजदूरी देने के सामर्थ्य को बल दिया। लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि सरकार को कर्मचारियों को देनी पड़ी।

उप प्रधान मन्त्री ने गोआ में यह वक्तव्य दिया था कि सरकार उन राज्यों का घाटा उठाने को तैयार है जो मद्यनिषेध को लागू करेंगे। अगर सरकार उनका घाटा 100 करोड़ रुपये तक उठाने को तैयार है तो क्या कर्मचारियों के लिए वह 100 करोड़ रुपया नहीं जुटा सकती? परन्तु सरकार अपने कर्मचारियों पर डंडे बरसा रही है। सरकार ने अध्यादेश जारी

करके चारों ओर भय का वातावरण फैला दिया। इन्द्रप्रस्थ की घटना इसका ज्वलन्त उदाहरण है। पठानकोट में भी यही बात हुई और वहां छः जानें गई। इस देश में यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां साधारण नागरिक का कोई मूल्य नहीं है।

गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि स्थिति सामान्य है और हड़ताल विफल हो गई है। यदि हड़ताल विफल हो गई थी तो इन्द्रप्रस्थ भवन में आतंक क्यों फैलाया गया? क्या इस लिये कि वहां कर्मचारी काम पर आ गये थे। यदि स्थिति सामान्य थी तो पठानकोट, बीकानेर तथा गौहाटी में गोलियां क्यों चलाई गई? आप एक ओर लोगों पर गोली बरसा रहे थे और दूसरी ओर आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को बता रहे थे कि स्थिति सामान्य है, हड़ताल विफल हो गई है। यह एक अद्भुत बात थी। इसके बाद लोगों को सताया जाना शुरु किया गया। 65,000 कर्मचारियों को सताया गया तथा इसके बाद भी यह बात कही गई कि स्थिति सामान्य । इससे भी विचित्र बात यह थी कि गृह मन्त्री महोदय ने यह बताने से भी इंकार कर दिया कि वह हड़तालियों के बारे में कड़ा रुख अपनायेंगे अथवा नरम। इस बात को उप प्रधान मन्त्री पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वह अपने कड़े रुख के लिये विख्यात हैं। इसके उपरान्त यह जिम्मेदारी प्रधान मन्त्री पर टाल दी गई और प्रधान मन्त्री ने निर्णय किया कि नरम रुख अपनाया जाये तथा सरकार एकदम उदार बन गई। यह एक अच्छी बात थी। 48,000 कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति दी गई, परन्तु क्या यह उदारता वास्तव में उदाता थीं? जिन 48000 कर्मचारियों को पुनः काम पर आने की अनुमति दी गई थी, उनकी सेवा में व्यवधान कर दिया गया। यह एक विचित्र बात है। एक ओर सरकार उदारता का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों को सताया जा रहा है। 48,000 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान कर दिया गया है और 12,000 कर्मचारियों को सतायाजा रहा है। यदि सरकार वास्तव में उदारता की नीति पर चल रही है, तो इन 12,000 कर्मचारियों को क्यों सताया जा रहा है। यदि सरकार वास्तव में उदार है तो सब कर्मचारियों के मामले वापस लिये जाने चाहिये और उन्हें सताया नहीं जाना चाहिये। सरकार दोहरी बातें कर रही है, उसे स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि उसकी नीति क्या है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उसे हडताल पर प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं करनी चाहिये। इस से देश 100 वर्ष पीछे चला जायेगा। यदि आप देश को 100 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं, तो फिर यहां वही घटनायें होंगी, जो ब्रिटेन में विलियम पिट द्वारा हड़तालियों की बलि चढ़ाने के बाद हुई थी। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सब मामले वापस लिये जायें, तथा वास्ताविक उदारता का परिचय दिया जाये।

जहां तक आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का सम्बन्ध है, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि सरकार अपने कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने की स्थिति में है। जब आप शराबियों को 100 करोड़ रुपये दे सकते हो तो अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते। आपके कर्मचारी केवल कारकून अथवा टाइपिस्ट ही नहीं है, उन में 15 लाख रेलवे कर्मचारी भी शामिल है तथा प्रतिरक्षा के वे कर्मचारी भी शामिल है जो आप के लिये बन्दूकें बनाते है। इसके अतिरिक्त उनमें विभिन्न इस्पात श्रमिक तथा मशीन श्रमिक हैं, जो वास्तव में उत्पादन करते हैं, जिससे आपके बजट में सैंकड़ों करोड़ रुपये की वृद्धि होती है। जिन्हें भ्रष्टाचार तथा उद्योगपतियों को राजसहायता देने पर बर्बाद किया जाता है।

सरकार को उन लोगों को राजसहायता देनी चाहिये, जो वास्तव में उत्पादन करते हैं। न कि उन गैर ईमानदार व्यक्तियों को जो न तो निर्यात करते हैं और न ही आयात करते हैं, अपितु सब प्रकार की धान्धली करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने की स्थिति में हैं। संविधान में इस बात का उपबन्ध है और इसकी मांग करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। अतः मेरा निवेदन है कि आप कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सब मामले वापस लेलें और जो विधान आप अभी लाने वाले हैं, उसे न लायें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अन्य मार्ग पर चलने को बाध्य होना पड़ेगा। हमने आन्दोलन शुरु करने होंगे, इस आन्दोलन को जारी रखना होगा, प्रदर्शन करने होंगे तथा भूखहड़तालें होंगी। अतः मेरा निवेदन है कि आप अत्याचार और ज्यादतियों का रास्ता छोड़ दें और अपनी नीति में परिवर्तन करें। आपको प्रजातंत्र के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये। यह हड़ताल राजनैतिक नहीं अपितु श्रमिकों की अधिक वेतन की मांग है। देश की अर्थ व्यवस्था इस स्थिति में है कि उन्हें अधिक वेतन दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र।

श्री समर गुह : मेरा एक निवेदन है कि राष्ट्र के निर्माता कई हजार प्राथमिक शिक्षक देश के सब भागों से आये हुए हैं और विजय चौक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री अपने शिक्षा मन्त्री को उन से मिलने के लिये भेजें।

श्री बलराज मधोक : हम आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, उस से उनकी जीविका चलनी असम्भव है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने का यह तरीका नहीं है। मन्त्री महोदय को मिलने के कई तरीके हैं, तथा वे आसानी से उनसे मिल सकते हैं परन्तु इस प्रश्न को इस प्रकार सभा में नहीं उठाया जा सकता।

Shri Bibbuti Mishra (Motihari) : At the commencement of each session of Parliament, no-confidence motion is brought by the opposition. This time wisdom has down upon the Swatantra Party and they have dis-associated themselves with this no-confidence motion. First of all I would like to say as to why this no-confidence motion has been brought here. I think the reason is that the opposition had instigated the Government employees and workers, to go on strike and now in order to hide the reaction that followed the strike, they had brought this no-confidence motion.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

From the attitute adopted by Opposition Members, it appears that the question of need based minimum wages is limited to Government employees only. But that is not so. While considering the question of need based wages we have to keep in consideration the needs of agricultural labourers, who constitute the 80% of our population. Our national income is only 22,000 crores and while distributing it we have to keep in consideration the needs of the entire population of the country. It will be most unfair on our part to

distribute the entire national income among the Government employees and industrial works and leave the agricultural workers to their fate to starve.

I want to make it clear that I have full sympathy with the demands of class III and class IV Government servants and Government should do its utmost to meet their demands. But at the same time we have to keep in view our resources also and as such I think it will be in the fitness of things to examine this question of need based wages after the Report of the National Labour Commission is received. If we accede to the demand of need based wage, the simple question is as to how it will be possible to raise our money resources. The only answer to this question is that we will have to levy more taxes and those taxes will be paid by our farmers, labourers and industrialists. The people at large are opposed to these taxes. I want to give you an instance in this connection. The prices of postal envelpoes and post cards etc. has been raised. The reaction to this increase in our villages is that in order to give more pay to postal employees the Government has compelled us to pay more price for postal envelops and post cards.

Shri Dange has talked about economics and he has also expressed his distress over what had happened at Pathankot and Indraprastha Bhawan. I want to tell my hon. friend that we are no less distressed over the happenings in Indraprastha Estate. The Government is siezed of the matter. The S. P. concerned has been suspended and the A. D. M. has been transferred. Had we not been distressed about this happening, why these steps would have been taken at all. An enquiry has already been made and another enquiry is in progress and in case Government is not satisfied with the present, another enquiry will be made. I would ask one question from the opposition parties whether it was not a fact that stones were thrown upon the police from Indraprastha Bhawan and the police was compelled to resort to lathi charge in order to control the situation. It was but natural that some persons were injured in that lathi charge. So far as the question of police excesses is concerned an enquiry should be condected and it is being conducted.

It has been noticed that opposition parties always try to create choos before every election. The Swatantra party has disassociated themselves this time from this no-confidence motion and the rest of the opposition parties including Jan Sangh are one so as this motion is concerned. I want to ask a question from the opposition parties, which have brought this motion as to whether they are competent enough to run Coalition Government. It is an open fact that they have miserably failed to run Coalition Governments in different States. They have failed to run S V D Government in U. P., Bihar. Bangal, Punjab and Haryana. The public has tested them and come to the conclusion that they are incompetent of running the Government. They are incapable of forming a Government at Centre. It is, therefore, futile to bring forward this no-confidence motion. The motion has been brought with political motives. The political parties who have numerous differences among one another and are accusing one another day in and day out have combined themselves with political motives to bring this motion. These parties have instigated and misguided the Government servants to go on strike. So I would appeal to my own partymen that they should work hard to off set the attempt of the opposition parties to create mis-understanding among the Government servants. They should work with the Government servants and give them proper guidelines, so that they are saved from the clutches of opposition parties.

I would also appeal to the Home Minister that the Government servants are innocent employees, but they have been mis-guided and instigated to go on stricke. So they should be pardoned for their action and taken back in service

So far as the ordinance is concerned, I strongly feel that the Government had done a right thing in issuing the ordinance. An able surgeon always operates upon the patient

before he becomes incurable and the Government has acted likewise. The proposed legislation to ban strick is welcome otherwise there will be strikes day in and day out. Strike disrupt our national life. The need of the hour is to check the political parties from misguiding Government Servants for their political end. If this is not done it will be great danger to our democracy. If political parties are al'owed to enter into the Unions of Government Servants, it will be sucidial for our democracy. So I would appeal to the hon. Home Minister that Government employees and workers should not be allowed to be utilised by political parties for their selfish motives. If that is allowed, our democracy will be in great danger. The Government employees should not be allowed to farm Unions and thus come under the influence of political parties. A separate institution should be created to look into the grievances of the employees. The Government should have direct talks with their employees and not through political leaders.

Though Shri Dange has advocated for need based wages, I want to tell him that our per-Capita national income is Rs. 300 only. He is talking that capitalism should be uprooted, but I want to tell him that he is leading a more luxurious life than the capitalists. He owns an air conditioned house in Bombay and shares worth lakhs of rupees, so it is not good preaching, what he his no doing himself.

The main cause of discontentment among class III and IV Government employees is that their superior officers do not behave properly with them. So this leads to discontentment. I would appeal to the Government that their proper demands should be syampathetically considered, but these employees should not be allowed to be influenced by political parties. The Government must ban the entry of political parties into the Unions of the employees. The political parties are only interested in creating chaotic conditions. So I would appeal to the Home Minister that he must bring a law to replace the ordinance. The Government should not be disheartened by the threat of hunger-strikes. They should educate the people that the opposition parties are not interested in developmental and Social Welfare activities, but they want to disrupt the national life and resources.

Shri S. M. Joshi (Poona): Mr. Chairman, I rise to support the no-confidence motion. I have been listening the speeches of hon. Members on this motion. My hon. friend Shri Bibhuti Mishra, has stated that Government Servants should not have the right to go on strike. This Statement and that too by an elderly Member like Shri Mishra has pained me very much. This suggestion, I say, is aganist all democratic principles and is also against the provisions of our Constitution. There are fundamental rights in our Constitution and the right to go on strike is one of them. So this suggestion that Government servants should not have the right to go on strike, it is not only improper, but also unconstitutional.

My hon. friend Shri Dange has talked about the economic aspect of need based wage. I am not going in detail but I would like to deal with one aspect of the need based wages. A false propaganda is being made by the All India Radio and the newspapers owned by capitalists that the Government employees were demanding need based wages and the Government was not in a position to pay them need based wages This statement is in correct. We never said that Government servants should be paid need based wages immediately. Our only demand was that in case Government is not inclined to pay need based wages to Government employees, the matter should be referred to arbitration. Whatever the Government are saying to-day in this House or before the people through the All India Radio, they could have said the same thing before the arbitrator. It was for the arbitrator to judge whether need based wages are justified or not. But unfortunately by Government did not accept this demand.

The first strike by Government employees had taken place in 1960. At that time Pt. Jawahar Lal Nehru was the Prime Minister and the Defence Minister and I was the

General Secretary of the All India Defence Employees Federation. At that time I had an occasion to discuss with the Prime Minister the demands of the Government employees in the capacity of the General Secretary of All Indian Defence Employees Federation. Pt. Jawahar Lal Nehru used to say that if Government servants go on strike, how it would be possible to run the Government. Then I pointed out to him that Government employees are also workers like other private sector workers and if they have no right to go on strike then there should be other ways to remove their grienvances. After that it was decided that the grievances of the Government employees can be removed by arbitration. So after the strike of 1960 a machinery was set up by Government with a view to eliminate the chances of strike by Government servants. When this machinery was set up certain questions were raised by Government and it was said in reply thereto that Government is no sovereign. If there is any body sovereign in the country, they are the people of the country and as such Parliament is sovereign, and not Government, beacause the members of Parliament are the representative of the people. In regared to the binding of arbitration it was clearly laid down that subject to the over riding authority of Parliament the decision of the tribunal would be binding on both parties. It clearly means that if the arbitration goes against the Government, the Government can come before the Parliament and explain its difficulties in accepting the arbitration. If Parliament with its over riding powers felt convinced with the argument of the Government, it can reject those recommendations. The Government by not accepting the demand for arbitration had gone back on the assurance which it had given in the joint Consultative Machinery. The Government's action of not accepting the demand of arbitration is not moral. The Government always says what suits it at a particular time. When at the time of Katch award, the opposition raised a voice against that award. The Government said that they were bound to accept that because they were as true to their words as Harish Chandra was. I want to ask where that truth has gone now.

The allegation which has been levelled on opposition parties that the demand of arbitration is political, is absolutely baseless. The fact is that the Government had itself introduced politics in the whole matter by not agreeing to refer this matter to arbitration, It is only a question of workers and there is no politics in it.

I was under the impression that repressive machinery would not used because it was one day's token strike beacouse late Shri Govind Ballabh Pant had said in 1960 after the then strike was over that had it one days' strike that much would not been done. But this Government has made use of such a machinery even for a token strike. But I would like to submit that it was not a strike, it was a **Satyagraha** We had reached an agreement with the Government which was not later on complied, with by them.

I would like to make it plan to the Government that whenever we take a decision to go on strike we take it after taking into cosideration all the pros and cons of the situation. Now I would to tell why such a decision was taken. I was called from Marathwada to see Shri Chavan on 12th September. We wanted that the strike could be aveted. We put three proposals to Shri Chavan. Firstly that our case should be referred for arbitration. He said that no decision could be taken till the report of National Commission is received. Then we said that we are prepared to take National Commission as our arbitrator. But he did not agree even to that. Then we put the third proposal that we will not press for need based wages but dearness allowance should be fully neutralised. But I am sorry to say that even that proposal was turned down. When we failed in all our efforts we thought that in protest one days' token strike must take place, But Shri Chavan thought that the situation will become serious and thus he got the ordinance issued and thus it became a political question. I think that there was no need of the ordinance. The ordinance had posed a challenge to the employees and there was no alternative left for the feaders but to face that challenge.

The attitude which the Government adopted against the employees who went on strike was very shameful. Unnecessary force was used against them. I went at many places such as Bikaner, Pathankot, Sarai Rohilla etc. and there I saw that people had been beaten up and shot even in their own houses. What to speak of male employees even women employees were not spared. Not only that even the members of the families of the employees were ill treated. Looking at such shameful things we had demanded that a judicial enquiry should be instituted but it is a matter of great regret that Government had not agreed to hold a judicial enquiry we wanted that a judicial enquiry must be held.

I may add that an non.-official Inquiry Committee headed by Shri Purshottam Trikam Das has enquired into the Indraprastha Bhawan Incident in Delhi. I with your permission place a copy of the Report on the Table of the House. **[Placed in the Library. See. No. L.T. 2067/68]**

Some people have said that our demands were against the interest of national economy. I have challenged it publicly that it was not so. I can prove it that our demand for the need based wages is not against the interest of national economy. It is a fact that the need-based wage and the living wage are the same thing. Therefore I can vouchsafe say that if need-based wages are given to the employees it will not be against the interest of the country.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

Sir, something wrong was being propagated that we had passed a motion to go on indefinite strike. I am the Chairman and can well say that it was not so and a wrong propaganda was being done.

In the end I would like to say that there was absolutely no need of the ordinance. This was issued merely to victimise the employees. I can assure the Government that this sort of their attitude will not cool down the passions of the employees. Instead it will burn their passions and they will try to oppose it with more vigour. I would therefore like to say that they should be treated with sympathy.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Deputy Speaker. Sir, I oppose the motion of no-confidence brought forward by the opposition, which has been motivated by political motives rather than interests of Government employees. It will be a great injustice to us on this side to say that we lack sympathy and consciousness for the cause of Government employees. The people have given their verdict in the elections that the interests of labour, interests of the poor and the farmers are safe in the hands of Congress. But for the discussion on no-confidence motion, these very opposition parties condomn the Government employees as beaurocrats, corrupt and inefficient.

The speech of Shri Kanwar Lal Gupta, who moved this motion, lacked substance though he is a good speaker. There were no tangible reasons to table this motion. He referred to the incidents at Indraprastha Bhavan. We are equally pained to know of the excesses committed on the employees there. He wants to gain their support by tabling this motion although he has no sympathy with them. I do not think that a judicial enquiry is called for. If we go deep into the incidents, it would be found that some interested political parties had a hand in the police excesses. I have got sufficient evidence to prove that the beating of employees was planned by some interested political parties in connivance with the police.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.* }

Only 10 percent Government employees took part in the strike and only 1 per cent of them have been suspended. Since 90 percent employees remained loyal and attended peacefully to their duties in their office, a conspiracy was hatched to terrorise and disturb them. Government should look into it and take action so that political parties are not able to misguide the Government employees to serve their political ends.

On this occasion I would appeal to Government to accept the genuine demand of school teachers. The condition in Himachal Pradesh is bad, where the teachers are on strike for the last six months. The recommendations of Kothari Commission have not been implemented. Justice should be done with them first and foremost when we talk of wage awards etc.

Shri Kanwar Lal Gupta talked of law and order. I have got very pathetic tales of sufferings of people in Kerela where shops are looted in broad day light and the police remain a silent spectator. No enquiry is held in such cases. The position in Madras is no better where D. M. K. is in power.

I would request the Government to deal with the cases of erring employees sympathetically since they were misled. Had the Government not dealt firmly with the strike a serious situation would developed in the country.

Shri S. M. Banerjee : I rise to support the motion move by my friend Shri Kanwar Lal Gupta. The strike on 19th September could be averted had the Government not issued the ordinance to crush the strike and had agreed to refer to arbitration the issues of neutralisation of dearness and need based minimum wage. Government is responsible for creating a dead lock in the joint consultative machinery. Its consitution clearly lays down arbitration on issues relating to pay and allowances, weekly hours of work and leave. There is no ambiguity about it. Government could modify the award to be given by the arbitrators and it could be rejected with the permission of the House. But Government made an issue of trial of strength. When we were trying to negotiate a solution on 12th September, the Home Minister had the draft ordinance before him. On 13th September the ordinance was issued which enraged the Government employees, who threw it to the winds.

The strike was cent per cent peaceful and there was not even a single case of violence anywhere in the country. On the other hand there was naked dance by the police at Indraprastha Bawan. The Prime Minister, Shri Chandra Jit Yadav and others have expressed their grief over the incidents. But why a judicial enquiry was not held ? The police firing on workers at Pathankot is a grim tale of brutalities. The findings of people not connected with the strike are astonishing and startling. A boy was caught hold by two policemen and shot dead before his mother If we draw attention to these atrocities we charged with political motives. One Mr. Raj Bahadur, an Electrical Khalasi, who did not take part in the strike was murdered just because this resembled that of the Vice-President of the Northern Railway men's Union. Will our young sisters will get back their husbands who were killed by police. There were police firings at Bikaner, Gauhati, Kalka etc. and six to eight people were killed. Our sisters and daughters were broutally beaten up and their blouses were torn by police. 48,000 employees have been taken back. But the orders terminating the services of the 4,000 employees who were discharged after giving one month's pay, have not been withdrawn. There case is

no different than that of the 44,000 employees. Eight thousand employees are still under suspension. They have been charge-sheeted under section 144,188 and section 5 of the ordinance, none of which involves moral turpitude. These are not criminal cases.

The Prime Minister should re-think about those four thousand people also whose services were terminated after paying one month's pay. They were quite innocent employees. They also had absented themselves just as others did. And in the light of the incident which took place in I. P. Bhavan, no employee would like to become a loyal employee. I, therefore, request the Prime Minister to restore normally for the affected employees. Mr. Chavan should not try to become a man of steel. He must take back there 4,000 employees also as he has taken back other forty eight thousand people suspended employees should also be re-instated.

Although the Govt. have declared that the striking people's cases will be dealt with symphathetically, but you have put several fears with regard to their service. You would keep a close watch on them for three or five years. They will always remain under certain continious duress. It is absolutely incorrect to say that there has been any anti-social or political move behind this strike.

The need-based minimum wage demand is quite legitimate and it will remain there. The much beleived computor has also confirmed it. I congratulate Mr. Nimbudripad for having defied the ordinance. He was cent per cent right in his action.

I would urge that there should be a judicial inquiry about the police atrocities excesses in the I. P. Bhavan incident also in Pathankot, Gauhati, Bikaner etc.

The loyalty of the Govt. servants can never be doubted upon. They have given enough proof of their loyalty in 1962, when China attacked India. At that time the employees had immediately withdrawn all of their demands. They had decided to forgo their overtime allowances just for the sake of the nation's cause.

You have withdrawn recognition to the employees' unions but maintained the same for the INTUC, for it is your own loyal instrument. You are prepared to talk with the underground Nagas but not to us, because we have been de-recognised. On the other hand Govt. are having false hopes on INTUC.

Finally, I want to request that the Ordinance may please withdrown immediately. We shall continue to fight for the need-based minimum pay and will continue defying all the Ordinance you promulgate.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मुझे विरोधी पक्ष वाले तर्क समझ में नहीं आये। सरकार ने सांकेतिक हड़ताल से उत्पन्न होने वाली स्थिति को काबू में करने का प्रयत्न करके कोई गलती नहीं की है। क्योंकि इस सांकेतिक हड़ताल का अभिप्रायः देशव्यापी आम हड़ताल कराने का भी था। ऐसी स्थिति में सरकार को उचित कार्यवाही करनी ही थी।

यदि हम सारी स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हालात क्या थे ? मैं कार्मिक संघ-वाद का समर्थक हूँ और मजदूरों के हड़ताल कर सकने के अधिकार

का पूरा समर्थक हूँ, परन्तु मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर के शब्दों की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि कार्मिक संघों का कार्य देश की सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति को आगे बढाना तथा कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा करना है। और यही समय है कि वे कुछ रचनात्मक कार्य करें।

इसी दृष्टिकोण से हमें हड़ताल और उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार करना है। सांकेतिक हड़ताल एक धमकी थी तथा यह कहा गया था कि यदि मांगें स्वीकार न की गई तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अनिश्चित काल के लिये आम हड़ताल कर देंगे। सरकार को स्थिति का सामना करना था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने इस हड़ताल को गैर- कानूनी करार दे दिया था परन्तु इस निर्णय को लागू करने के लिये किसी संसदीय अधिनियम की आवश्यकता थी और इसीलिए अध्यादेश जारी किया गया। इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था। देश के एक निष्पक्ष, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण पत्र **अमृत बाजार पत्रिका** ने भी कहा था कि देश यह सहन नहीं करेगा कि उसे इस प्रकार दाव पर लगा दिया जाय तथा सरकार भी कार्मिक संघों की इस चुनौती की उपेक्षा नहीं कर सकती। अतः समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश रखने के लिए सरकार की इस कार्यवाही का जनता अनुमोदन करेगी।

बंगाल में हड़ताल का बहुत कुप्रभाव पड़ा। बिजली वालों ने हड़ताल की तो कम से कम पांच भारी ट्रान्समीटर बन्द हो गये तथा इस देश विरोधी कार्यवाही से देश को बड़ा नुकसान हुआ।

श्री रंगा की इस दलील पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्जीनियरिंग उद्योग द्वारा आवश्यकता के आधारपर वेतन देने की स्वीकृति के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की यही मांग भी उचित है। यदि सरकारी कर्मचारियों को गैर सरकारी कर्मचारियों के समान समझा गया तो देश को आपात-काल में निश्चय ही खतरा हो जायेगा। सरकारी कर्मचारी मुनाफे के काम में नहीं लगे है। वे सरकार की सेवा करते हैं, तथा इसके लिए कुछ उत्पादन नही करते हैं। वे तो सरकारी की नीतियों को लागू करने के कार्य में लगे हैं।

प्रधान मन्त्री ने अपने प्रसारण में स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करना कैसे सम्भव नहीं है। उन्होंने यह साफ जाहिर कर दिया था कि रेलवे तथा गोदी कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अन्य करोड़ों लोगों से अधिक सुखी और सम्पन्न हैं। उनकी मांगों को स्वीकार करना देश के हित में नहीं होगा। प्रधान मन्त्री ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी परन्तु यह बताया था कि सरकार को कुछ थोड़े से लोगों का नहीं बल्कि 50 करोड़ लोगों का भी खयाल रखना है। उन लोगों का भी तो ख्याल करना है जो कि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा बेहद गरीब दुःखी तथा संतप्त है।

यह कैसे हो सकता है कि केवल 26 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की खातिर इस प्रकार देश की अर्थ-व्यवस्था ठप्प कर दी जाये ?

बहुत पहले से ही सरकार की इच्छा रही है कि अपने कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार न्यूनतम वेतन दिया जाये परन्तु इसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि सरकार तथा कांग्रेस दल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्युनतम वेतन की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। परन्तु इसके साथ साथ यह भी सम्भव नहीं कि यह सुविधा केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही मिले। इसीलिये सरकार ने संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के नेताओं को कहा था कि वे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करें, यद्यपि आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन का मामला उस आयोग के पास नहीं था। हां सरकार, इस आयोग को यह मामला सौंप भी सकती थी।

न्युनतम वेतन की बात से कई कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए उसकी मांग करेंगी। अतः यह निर्णय बड़ा भारी सिद्ध होता है। फिर हजारों कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रमों में भी हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि सरकार को इस मामले पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना था। अतः जब तक उचित स्थिति उत्पन्न नहीं होती सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकती और न ही इसको मध्यस्थ निर्णय के लिये पेश कर सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही पन्द्रह मिनट का समय ले चुके हैं। वह अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तेईसवां प्रतिवेदन

डा० रामसुभग सिंह : मैं कार्य-मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

इसके पश्चात, लोक-सभा मंगलवार 12 नवम्बर, 1968/21 कार्तिक, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 12 1968/ Kartik 21, 1890 (Saka)